लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४७, १९६०/१८८२ (शक)

[१४ से २५ नवम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से ४ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/73
2nd Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४७ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

ीय माला, खण्ड ४७—अंक १ से १०—१४ से २५ नवम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से ४ अग्रहायण १८८२ (शक)]

क १	सोमवार, १४ नवम्बर, १९६०	पृष्ठ
	२३ कार्तिक, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--		
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९		१—२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--		
तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४२		२३—२९
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५३		४०—६३
निधन सम्बन्धी उल्लेख		६२
स्थगन प्रस्तावों के बारे में		६२—६३
विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में		६३—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र		६५—६८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति		६८—६९
सिन्धु पानी सन्धि के बारे में वक्तव्य		६९—७१
विशेषाधिकार समिति--		
प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना		७२
मोटरगाड़ी कर्मचारी विधेयक--		
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना		७२
महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक—पुरस्थापित		७२
मोटर गाड़ी (द्वितीय संशोधन) विधेयक—		
विचार करने का प्रस्ताव		७३—७५
खंण्ड २ से १० तथा १ पारित करने का प्रस्ताव		७५
कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक		७५—९५
विचार करने का प्रस्ताव		७५—९२
खण्ड २ से ६ तथा १ पारित करने का प्रस्ताव		९३—९५

	पृष्ठ
बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९६—९७
खण्ड १ से ४—पारित करने का प्रस्ताव .	९७
भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	९७—१०२
खंड २ से ६ तथा १ पारित करने का प्रस्ताव	१०२
पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	१०२—१०४
सभा का कार्य	१०४–०५
दैनिक संक्षेपिका	१०६—११४
अंक २—मंगलवार, १५ नवम्बर, १९६०/२४ कार्तिक, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ५२	११५—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ९४	१३९—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ से २३९ .	१६०—२०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	
कार्य मंत्रणा समिति .	२०३–२०४
छप्पनवां प्रतिवेदन	२०४
पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	२०५—२१०
भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव .	२१०—३२
खण्ड २ से १३ तथा १—पारित करने का प्रस्ताव . .	२३२–३३
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा भेजे गये रूप में, विचार करने का प्रस्ताव	२३३
दैनिक संक्षेपिका	२३४—४०

पृष्ठ

अंक ३—बुधवार, १६ नवम्बर, १९६०/२५ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५ से १०० २४१—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से ११४ और ११६ से १६८ २६१–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १८५ और १८७ से २४४ २९४–३३९

स्थगन प्रस्ताव —

प्रधान मंत्री का वक्तव्य—सिन्धु पानी संधि के बारे में ३४०–४१

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में ३४१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३४२—४५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकहत्तरवां प्रतिवेदन ३४५

समवाय संशोधन विधेयक—

विचाराधीन प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३४६—८३

दैनिक संक्षेपिका ३८४—९४

अंक ४—गुरुवार, १७ नवम्बर, १९६०/२६ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६९ से १७७ ३९५—४१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८ से २०९ . . ४१८—३१

अतारांकित प्रश्न संख्या २४५ से ३०९, ३११ और ३१२ . ४३१—६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४६२–६३

याचिकायें—

(१) भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक और . ४६३

(२) राष्ट्रीय स्मारक आयोग विधेयक . ४६३

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . ४६३–६४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र द्वारा कोयले का खनन . ४६४—६६

समवाय (संशोधन) विधेयक —

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ४६६—९१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४९२—९७

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, १८ नवम्बर, १९६०/२७ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१० से २१६, २१८ से २२१, २४१ और २४४ ४९९—५२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७, २२२ से २४०, २४२, २४३ और २४५ से २५९ . . . ५२५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१३ से ४०१ ५४१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५८१

सभा का कार्य ५८१–८२

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये समय का बढ़ाया जाना . . . ५८२

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक ५८२—८४

(२) वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक ५८५

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५८५—६०९

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकहत्तरवां प्रतिवेदन . . ६०९–१०

नौवहन के लक्ष्य के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ६१०—२५

सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६२६

दैनिक संक्षेपिका . . ६२७—३३

अंक ६—सोमवार, २१ नवम्बर, १९६०/३० कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६० से २६९ . ६३५—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७० से ३१२ और ३१४ से ३२४ . ६५६—८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२ से ४९९ और ५०१ से ५०४ . ६८३—७२७

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—

(१) बम्बई में विस्फोट . ७२७–२८

(२) हुगली नदी में एक ड्रेजर का उलटना . . ७२८–२९

(३) उत्तरी सीमांत जिलों में कम्युनिस्टों द्वारा कथित प्रचार ७२९—३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ७३२–३३

कार्य-मंत्रणा समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन . . ७३३

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक —

विचार करने का प्रस्ताव ७३३—५०

खण्ड २, ३ तथा १—पारित करने का प्रस्ताव . . ७५०

इंडियन रिफ़ाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७५१—६३

दैनिक संक्षेपिका ७६४—७१

अंक ७—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९६०/१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२६ से ३३५ और ३३७ ७७३—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३३६ और ३३८ से ३६२ . . ७९७—८०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५४८, ५५० से ५७७ और ५७९ से ५८१ ८०९—४१

स्थगन प्रस्ताव—

(१) गश्ती गाड़ी का पटरी पर से उतर जाना . . ८४२–४३

(२) बेरूबारी के मामले में केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच कथित गंभीर मतभेद . . ८४३—४५

(३) कुछ राज्यों में सांविधानिक व्यवस्था की कथित विफलता ८४५–४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८४६–४७

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) प्राक्कलन समिति ८४७

(२) लोक लेखा समिति . ८४७–४८

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक . . ८४८

(२) औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक ८४८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन ८४९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ८५०—८४

दैनिक संक्षेपिका ८८५—९०

अंक ८—बुधवार, २३ नवम्बर, १९६०/२ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६४, ३६६, ३६८ से ३७५ और ३७७ से ३८२ . ८९१—९१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६३, ३६५, ३६७, ३७६, ३८३ से ३८९ और ३९१ से ४०४ . . . ९१७—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८२ से ६७३ ९३०—७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ९७२—७५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बहत्तरवां प्रतिवेदन ९७५

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ९७५—१०१७

दैनिक संक्षेपिका १०१८—२६

अंक ९—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९६०/३ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१४, ४१६ और ४१७ . १०२७—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०६, ४१५ और ४१८ से ४५२ . १०४८—६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६७४ से ७७८ . . १०६४—११०४

स्थगन प्रस्ताव—

(१) कांगो के सैनिकों द्वारा लियोपोल्डविल में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से नियुक्त भारतीय अधिकारियों पर हमला . ११०४—१०

(२) तिब्बत में राकेट के अड्डे बनाना और राकेट छोड़े जाना १११०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १११०—१२

मध्य प्रदेश खाद्य क्षेत्र के बारे में वक्तव्य . . १११२—१४

समवाय (संशोधन) विधेयक—

खण्ड २ से ८, १०, १२, १५, १६, ९, ११, १३, १४, १७ से २३, २६ से ४१, ४३, ४६ से ५४, २४, २५, नया खण्ड ४०-क, ४२, ४४, ४५, ५५, ५६, ५८, ६० से ६४, ६७ से ६९, ७१, ७३, ७६, ७८, ५७, ५९, ६५, ६६ और ७० . ११४०—४०, ११४०—४४

सभा का कार्य ११४०

दैनिक संक्षेपिका . . . ११४५—५२

अंक १०—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९६०/४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ११५३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५३, ४५५, ४५६, ४५८ से ४६५, ४८२, ४९१ और ४६६ ११५३—७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५४, ४५७, ४६७ से ४८१, ४८३ से ४९० और ४९२ ११७६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८४३ ११८८—१२१८

स्थगन प्रस्ताव—

आसनसोल के निकट कोयला खान में कथित उपद्रव १२१९–२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १२२०–२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नारियल के तेल और गोले का आयात १२२१–२२

सभा का कार्य १२२२–२३

त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक—पुरस्थापित १२२३

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खण्ड ७०, ७२, ७४, ७५, ७७ और ७९ . . . . १२२४—३५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बहत्तरवां प्रतिवेदन १२३५

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (नये अध्याय ५ कक का रखा जाना) (श्री त० ब० विट्ठल राव का) . . १२३५–३६

(२) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक (धारा ६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना) (श्री त० ब० विट्ठल राव का) १२३६

(३) धर्मार्थ न्यास विधेयक (श्री रामकृष्ण गुप्त का) १२३६

पशु खाद्य के निर्यात पर प्रतिबन्ध विधेयक (श्री झूलन सिंह का)—वापस लिया गया—

विचार करने का प्रस्ताव . . १२३६—४८

नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का) —

विचार करने का प्रस्ताव १२४९—५४

दैनिक संक्षेपिका . . १२५५—६०

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

———

GMGIPND—LS III—1428 (Ai LSD)—20-12-60—115.

लोक सभा

शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९६०

४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री भवानी प्रसाद (सीतापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बिहार में गंधक माक्षीक (सल्फर पाइराइट्स) की खोज

\+

*†४५३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री खुशवक्त राय :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अमजद अली :
श्री साधन गुप्त :
श्री प्र० के० देव :
श्री सुबिमन घोष :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री वोडयार :
श्री न० म० देव :
श्री कोरटकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के अमजोर क्षेत्र में गन्धक माक्षीक (सल्फर पाइराइट्स) के विस्तृत उद्गम स्थान पाये गये हैं;

†मूल अंग्रेजी में

1428 (Ai) LSD—1.

(ख) यदि हां, तो क्या नये विक्षेपों के परिमाण और किस्म का अनुमान लगाया गया है ;

(ग) उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) किन किन उद्योगों को इससे अधिक लाभ होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारतीय खान ब्यूरो द्वारा, जिसने इस सम्बन्ध में जांच की थी, प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार बिहार राज्य के अमजोर क्षेत्र में, गन्धक माक्षीक के ८० लाख टन के निक्षेपों का पता चला है। विचार किया जाता है कि संभावित निक्षेपों की मात्रा इससे भी अधिक होगी।

अयस्क में गन्धक की मात्रा काफी है, उसका विश्लेषण इस प्रकार है :

(१) गन्धक की मात्रा ३२ से ४९ प्रतिशत तक है
(४० प्रतिशत के अधिक निकट है)

(२) लोहे की मात्रा २९ से ४३ प्रतिशत तक है
(३८ प्रतिशत के अधिक निकट है)

(३) संखिया की मात्रा कुछ अणुओं से ०.०३ प्रतिशत तक है

(४) फासफोरस की मात्रा कुछ अणुओं से ०.०३ प्रतिशत तक है

(५) सी, यू, सी ओ, एन, आई इत्यादि के केवल कुछ अणु मौजद हैं।

गन्धक अधिकांश रासायनिक उद्योगों का आधार है विशेषत: उर्वरक उद्योग का।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: सरकार उक्त नतीजों को प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है।

†**श्री मनुभाई शाह** : निक्षेपों की मात्रा हमारे आशावादी अनुमान से भी कहीं अधिक निकली है, इसलिये वर्तमान दृष्टिकोण यह है कि हम प्रतिदिन ४०० टन गन्धक गलाने का संयंत्र लगायेंगे जिससे हमें लगभग सवा लाख टन गन्धक प्राप्त होगा। हम प्रतिदिन १ हजार टन सल्फ्यूरिक एसिड (गन्धक का तेजाब) का निर्माण करने वाले संयंत्र की भी स्थापना कर रहे हैं तथा और अधिक अयस्क निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करने वाले उद्योग आयातित एसिड के स्थान पर इस अयस्क का प्रयोग करें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : खानों से गंतव्य स्थान तक इन गंधक माक्षीकों को पहुँचाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसका परिवहन रेलवे द्वारा किया जायेगा क्योंकि यह सामान्य अर्थ में ज्वलनशील नहीं हैं ।

श्री म०ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो सल्फर पाइराइट्स वहां पर मिला है तो उसके प्रयोग के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है और क्या उसको एक्सपोर्ट भी किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : हां अभी फिलहाल दो टैकनीशियंस् को नार्वे भेजा है और वह पिछले २२दिन से वहां है। ८०० टन ओर्स वहां पर भेजा था और उसका बड़ा सक्ससफुल एक्सपरीमेंट किया जा चुका है और हम ५,०००टन ओर्स और भेजने की सोच रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि ८०० टन और नार्वे भेजा गया और ५०००टनऔर भेजा जायगा तो क्या मैं जान सकता हूँ कि इस पायराइट्स की जांच के बाद इस गंधक फैक्टरी का निर्माण नार्वे में कितने दिनों के अन्दर हो जायेगा और कब तक यहां पर अमजोर में उसको लगाने का काम शुरू हो जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : वैसे दो साल में हो जाना चाहिए लेकिन वह और बहुत अच्छा है और काफी मात्रा में है इस लिए हमने सोचा कि दो स्टीमर भर कर नार्वे भेज दें जिससे १२५ टन के बजाय हम ४००, ५०० टन के स्मैलटर लगा दें जिससे कि बड़ी तादाद में उत्पादन कार्य आरम्भ हो सके और इसलिए हो सकता है कि दो साल की जगह तीन साल का समय लग जाय।

†**पं० द्वा० ना० तिवारी :** इस संयंत्र का अनुमानित व्यय क्या होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ये सारे अनुमान बदलने होंगे। एक स्थिति में हम सोच रहे थे कि इनमें सात या आठ करोड़ रुपये लगेंगे, अब व्यापक संभावनाओं की दृष्टि से यह व्यय बहुत बढ़ जायेगा।

†**श्री प्र० के० देव :** देश में प्रतिवर्ष कितनी राशि का गन्धक आयात किया जाता है, क्या इन खानों की खोज से देश गन्धक सम्बन्धी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में स्वावलम्बी हो जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इस समय हम ढाई लाख से ३ लाख टन गन्धक का आयात कर रहे हैं, तीसरी योजना के अन्त तक यह आयात बढ़ कर ६ लाख हो जायेगा। वर्तमान अनुमानों के अनुसार यदि इन खानों का उचित उपयोग किया जाय तो तीसरी योजना के अन्त तक हम राष्ट्रीय आवश्यकता का ५० प्रतिशत प्राप्त करने में समर्थ होंगे, सम्भव है कि चौथी पंचवर्षीय योजना तक हम इस मामले में स्वावलम्बी ही हो जायं।

†**डा० राम सुभग सिंह:** अभी अभी यह बताया गया कि अमजोर में गन्धक की बहुत बड़ी खानें मिली हैं। गन्धक उर्वरकों के निर्माण का एक आधारभूत तत्व है, क्या सरकार गन्धक संयंत्र के साथ साथ उर्वरक संयंत्र की स्थापना पर भी विचार करेगी।

†**श्री मनुभाई शाह :** निस्सन्देह इससे बिहार सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली बिहार फास्फोटिक उर्वरक कारखाने तथा सिंदरी को बहुत सहायता प्राप्त होगी। इससे अन्य राज्यों में स्थापित किये जाने वाले प्रत्येक कारखाने को भी सहायता मिलेगी।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक गंधक का सवाल है बिहार के सिवाय इस देश में क्या और भी खोज हो रही है कि गंधक कहां कहां है और क्या इस सम्बन्ध में कुछ ऐसी कार्यवाही की जाने वाली है कि हमारे देश में हमको बाहर से गंधक न मंगाना पड़े ?

श्री मनुभाई शाह : वही आजकल हमारी कोशिश हो रही है क्योंकि सल्फर इतना स्ट्रैटजिक मैटीरियल है कि शांति के समय और आपत्ति काल अर्थात युद्धकाल में वह हमारे लिए बहुत उपयोगी वस्तु है और काम में आने वाला पदार्थ है। मैसूर में भी उसकी तलाश की जा रही है, आसाम में भी तलाश की जा रही है और मध्य प्रदेश में भी तलाश की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विठ्ठल राव** : माननीय मंत्री ने बताया है कि इस खान से सिंदरी के कारखाने को सहायता प्राप्त होगी, क्या उस कारखाने में राजस्थान से प्राप्त होने वाले जिप्सम का उपयोग समाप्त कर दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं । इन संयंत्रों के विस्तार की योजना सदैव तैयार रहती है अतः वर्तमान स्रोतों को बन्द करने की आवश्यकता नहीं होगी । इससे राष्ट्रीय आवश्यकता में वृद्धि होगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गंधक के इस विशाल संभरण स्रोत का पता लग जाने से उवरकों की कीमत में कमी आयेगी ।

†**श्री मनुभाई शाह** : संभव है ऐसा न हो । सभा को ज्ञात है कि विश्व में गंधक के निक्षेप इतने अधिक हैं कि खुदाई का व्यय बहुत कम है, यहां हमें गंधक लोह मिश्रित माक्षीकों का पता चला है जिसकी प्रक्रिया अपेक्षाकृत कठिन होती है यह अधिक खर्चीली भी है । इसकी लागत आयात होने वाली गंधक की लागत, बीमा भाड़ा सहित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत से कम नहीं तो उसके बराबर ही होगी ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : देश में आवश्यक गंधक की मात्रा कितनी है, और हम कितनी गंधक आयात कर रहे हैं, हम कब तक स्वावलम्बी बन जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं अभी अभी इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर दे चुका हूं ।

सेठ अचल सिंह : सल्फ़र पाइरेट्स में प्योर सल्फ़र का कितना परसेंटेज होता है ?

श्री मनुभाई शाह : मैं ने अभी बताने की कोशिश की है कि पहली वैरायटी में ४० प्रतिशत सल्फ़र है, दूसरी वैरायटी में ३८ प्रतिशत और आम तौर पर ३० परसेंट है ।

गोआ के लिए स्थलमार्ग

+

†*४५५. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री प्र० के० देव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री आचार :
श्री आसर :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री हेम बरूआ :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री अगाड़ी :
श्री वोडयार :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** १२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोआ के लिए दो नये स्थलमार्ग जिनसे यात्रा में सुविधा होगी, इस बीच खोले जा चुके हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : जी हां। अक्तूबर, १९६० से आने जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो नये मार्ग खोल दिये गये हैं। इन मार्गों से यातायात अभी आरम्भ नहीं हुआ है क्योंकि गोआ में पुर्तगीज अधिकारियों ने अपने सीमा क्षेत्र में इस प्रकार की कोई सुविधायें नहीं दी हैं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या निकट भविष्य में इस मार्ग के खुलने की कोई संभावना है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमारी ओर से मार्ग १ अक्तूबर को खोल दिये गये हैं। अब यह बात पुर्तगीज सरकार के ऊपर निर्भर है कि वह इस मार्ग से आने जाने वालों के लिये सुविधायें देना चाहती है या नहीं।

†**श्री जगन्नाथ राव** : क्या इन दोनों मार्गों का नियंत्रण सीमा शुल्क अधिकारियों के हाथों से लेकर रक्षित पुलिस को दे दिया गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी हां।

†**डा० विजय आनन्द** : क्या नये मार्ग खोलने से सम्बन्धों में सुधार होने की आशा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य स्वयं ही समझ सकते हैं कि इनसे सम्बन्धों में सुधार होगा या नहीं।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि पहिले जब इन मार्गों को बन्द किया गया था तो इसका उद्देश्य पुर्तगाल पर गोआ छोड़ने के लिये दबाव डालना था ? क्या इन मार्गों के खोलने का तात्पर्य यह है कि स्थिति में परिवर्तन आ गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : परिस्थितियों में हर कहीं परिवर्तन होता रहता है, इसका यह आशय नहीं है कि हम जनता से—सरकार से इसका सम्बन्ध और भी कम है—प्रतिबंध हटाना चाहते हैं। सावधानी से विचार करने के उपरांत हमने सोचा कि विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों को इस प्रकार रोक कर उनके मार्ग में कठिनाई पैदा नहीं करनी चाहिये। हमारे सम्मुख यह प्रश्न था।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या विदेशी व्यापारियों को विसा होने पर इन मार्गों से जाने दिया जायेगा, यदि हां, तो क्या इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम इन मार्गों के रास्ते गोआ से किये जाने वाले विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दे रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं यह नहीं जानता हूं। आवश्यक कागज-पत्र होने पर एक विदेशी भी किसी अन्य व्यक्ति की तरह इन मार्गों का उपयोग कर सकता है। वे समुद्र के मार्ग से जब चाहें तब गोआ जा सकते हैं। वे भारत में भी किसी भी मार्ग से बिना किसी कठिनाई के आ सकते हैं। अतः उन्हें उस मार्ग का उपयोग करने से रोकने में कोई लाभ नहीं है। मेरे विचार से अधिक विदेशी व्यापारी वहां नहीं जा रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि केसल राक से होकर जाने वाला पुराना मार्ग कम से कम तस्कर व्यापार को रोकने के लिये काफी था ? यदि ऐसा है तो हम दो अन्य मार्गों को क्यों खोल रहे हैं ?

---

†मुल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वह मार्ग तस्कर व्यापार को रोकने के लिये काफी था । हमारे भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी तस्कर व्यापार चलता रहता था, और यह विचार किया गया कि नई व्यवस्था के फलस्वरूप तस्कर व्यापार में अधिक प्रतिबंध लग सकेगा ।

उत्तर प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को छूट

†*४५६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियों को छूट की काफी बड़ी रकम अभी देना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो १ अक्तूबर, १९६० को कितनी रकम बकाया थी;

(ग) भुगतान में देर होने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें नियमित रूप से भुगतान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जानकारी एकत्र की जा रही है अथवा १ अक्तूबर, १९५९ को छूट की बकाया के सम्बन्ध में क्या जानकारी है ?

†**श्री कानूनगो** : १९५९ के पहिले के बकाया के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की सरकार के कुछ लेखे प्राप्त हुए, लेकिन उनमें कुछ त्रुटियां थीं । उन्हें उन त्रुटियों के निराकरण के लिये वापस भेजा गया । जब वे वापस आ जायेंगे तो बकाया राशि स्वीकृत कर दी जायेगी । १९६०-६१ के पश्चात एक नई प्रक्रिया अपनाई जायेगी जिससे कि लेखाओं के निपटाने सम्बन्धी पुरानी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी । मार्गोपायों की व्यवस्था कर ली गई है, और राज्य सरकार उनका वितरण अपनी इच्छानुसार कर सकती है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या यह सच है कि लगभग प्रत्येक राज्य में विशेषतः बिहार में, हथकरघा बुनकर समितियों की बहुत बड़ी रकम बकाया है, यदि हां, तो वह कब चुकाई जायेगी ।

†**श्री कानूनगो** : मुझे सही रकम ज्ञात नहीं है । १९५८-५९ में इस बात का प्रयत्न किया गया कि सभी राज्यों में हथकरघा वस्त्र की बिक्री पर छूट की बकाया रकम चुका दी जाय । तदनुसार १९५९ में १७३ लाख रुपये की रकम स्वीकृत की गई । इस प्रकार बहुत सी बकाया राशि चुका दी गई थी । बकाया राशियों का भुगतान तभी सम्भव हो सकता है जब कि सहमति प्राप्त लेखे उपलब्ध हो जांय ।

†**श्री तंगामणि** : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि नई योजना १९६०-६१ से क्रियान्वित की जायेगी । क्या छूट की राशि माल की निकासी के तत्काल पश्चात् दे दी जायेगी या कि इसके तीन माह के अन्दर दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : इसका निश्चय कि छूट की राशि क्या होगी तथा वे किस किस्म के कपड़े पर दी जायेगी राज्य सरकार करेंगी। वे केन्द्रीय सरकार के निर्देश किये बिना ही इस राशि को मार्गोपाय निधि से वितरित कर सकती हैं।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय को पता है कि जो हैंडलूम को-आपरेटिव सोसायटीज़ हैं, उन में से बहुत सी सोसायटीज़ ग़लत कैश-मीमो दे कर रीबेट हासिल कर रही हैं ? यदि हां, तो क्या इस की जांच कराई जा रही है ?

श्री कानूनगो : यह तो खबर नहीं है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस बात को ध्यान में रख कर कि अन्य राष्ट्रों को भी बड़ी रकम बकाया है, क्या अन्य राज्यों के सम्बन्ध में भी जानकारी एकत्र की जायेगी ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां, सभी राज्य सरकारों से बकाया रकम के सम्बन्ध में, १९६० के पूर्व सर्वसहमत लेखे मांगे गये हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस नई प्रक्रिया को अपनाने में कोई कठिनाई सामने आयेगी ?

†**श्री कानूनगो** : नई प्रक्रिया से ये कठिनाइयां पैदा नहीं होंगी।

कोयला क्षेत्र भरती संगठन

+

†*४५८. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री यादव नारायण जाधव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों की औद्योगिक समिति ने यह सिफारिश की है कि जिन मजदूरों को कोयला क्षेत्र भरती संगठन भरती करती है उन पर उसके नियंत्रण और विनियमन की शक्ति समाप्त कर दी जाये; और

(ख) क्या रानीगंज कोयला क्षेत्र में यह सिफारिश कार्यान्वित की गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां।

(ख) अभी नहीं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस बात की सिफारिश के बावजूद कि कोयला क्षेत्र भरती संगठन समाप्त कर दिया जाय, वास्तविकता यह है कि बहुत सी कोयला खानों में अभी भी यह संगठन कार्य कर रहा है, उन के द्वारा नियंत्रित तथा भरती किये हुए श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री आबिद अली** : जो योजना इस सम्बन्ध में बनाई जायेगी उस के द्वारा गोरखपुर के श्रमिकों को रोजगार मिलते रहना चाहिये। इस समस्या पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है। इस के पश्चात् अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी इस समय इस क्षेत्र में स्थिति शांतिपूर्ण है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह प्रश्न गोरखपुर के श्रमिकों को रोजगार देने से संबंधित नहीं है, प्रश्न यह है कि उन्हें पृथक व्यवस्था के अधीन पृथक शिविरों में अधीक्षकों के अधीन रखा जाता है और उन से बेगारों की तरह काम करवाया जाता है मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सिफारिश के, कि उन में तथा अन्य श्रमिकों में किसी भांति का भेद नहीं किया जाय, क्रियान्वित किया गया है या नहीं ?

†**श्री आबिद अली** : दस वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति थी । अब ऐसी स्थिति नहीं है । निस्सन्देह वे पृथक रहते हैं तथा उन के भोजन बनाने इत्यादि की व्यवस्था पृथक रूप से होती है, संसद् सदस्यों की एक अनौपचारिक समिति ने इस क्षेत्र का दौरा किया था, उन्हें ज्ञात हुआ कि इन में से अधिकांश आरोप निराधार हैं । जहां तक उस विशेष संगठन का संगठन है, ऐसी योजना बन जाने पर जिस से कि उन का रोजगार बना रहेगा, इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : *क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इस प्रथा का विरोध किया है और अभी भी वहां की ट्रेड यनियन से बराबर माननीय मंत्री जी को लिखा हुआ आ रहा है कि एक प्रथा वहां जारी है और उस से मजदूरों को नुक्सान पहुंच रहा है ?*

श्री आबिद अली : ऐसा लिखा गया है वहां से ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : यह सिफारिश की गई थी कि गोरखपुर के श्रमिकों को भरती करने वाले इस संगठन को नियोजन और पुनर्वास निदेशालय में मिला दिया जाय । इस निदेशालय द्वारा इस कार्य के किये जाने में क्या विलम्ब हो रहा है ?

†**श्री आबिद अली** : इस के पूर्व मैंने बिल्कुल यही बात कही है, एक योजना बनाई जा रही है जिससे कि उन को रोजगार मिलता रहेगा । इस पर विचार किया जा रहा है ।

ट्रांजिस्टर रेडियो

†*४५९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में ट्रांजिस्टर रेडियो तैयार करने की योजना किस प्रक्रम पर है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चित योजना अन्तिम रूप से तैयार की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). कई वर्तमान रेडियो निर्माताओं ने, जिनको कि ट्रांजिस्टर लगाये गये रेडियो सैटों के निर्माण की अनुमति दी गई थी, ट्रांजिस्टर रेडियो सैट बनाना आरम्भ कर दिया है, बहुत सी फर्मों ने अपनी व्यवस्था पूर्ण कर ली है और आशा है वे १९६१ के प्रारम्भ से ट्रांजिस्टर रेडियो बनाना आरम्भ कर देंगे ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या सरकारी क्षेत्र में ऐसे कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं ।

†**श्री अंसार हरवानी** : क्या यह सच है कि यहां निर्मित होने वाले ट्रांजिस्टरों में सभी हिस्से आयात किये जाते हैं, और शायद ही कोई भाग यहां बनाया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : सभा यह बात स्वीकार करेगी कि ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर लगाये गये रेडियो सैटों में भेद है । हम ने ट्रांजिस्टरों के निर्माण के लिये सात योजनाओं को लायसेंस दिया है । केवल जिराको नियम और कुछ अलभ्य धातुओं या अलभ्य रेडियो के भाग आयात किये जायेंगे । अन्य हिस्सों का देश में ही निर्माण किया जायेगा ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या ट्रांजिस्टरों का आयात किया जाता है, यदि हां, तो कितने ?

†श्री मनुभाई शाह : हम ने देश के सभी रेडियो निर्माताओं को इस की अनुमति दे दी है । सभा को ज्ञात है कि छोटे व बड़े पैमाने के उद्योग में उन की संख्या २०० है। हमने उन्हें प्रत्येक छःमाही में स्वीकृत विदेशी मुद्रा के आधे का ट्रांजिस्टर पुर्जों के आयात में उपयोग करने की अनुमति दे दी है ।

श्री अ० मु० तारिक : क्या यह हकीकत है कि इस वक्त हिन्दुस्तान में ट्रांसिस्टर सैट बहुत मकबूल हो रहे हैं और ट्रांसिस्टर सैट काफी हद तक स्मगल करके यहां लाये जाते हैं ? अगर यह हकीकत है तो इस सिलसिले में हुकूमत ने क्या कदम उठाया है ?

श्री मनुभाई शाह : यह बात सही है कि लोगों में ट्रांसिस्टर बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं । इसी वजह से हमने यह तय किया है कि कम से कम ५० परसेंट की मिकदार में जो रेडियो बनें वे ट्रांसिस्टर के बनें । इस के अलावा जैसे हाउस को पता है, भारत इलैक्ट्रोनिक्स ने भी एक स्कीम बनाई है जिस के द्वारा रेडियो वाल्व और ट्यूब्स वहां बनेंगे, और ट्रांसिस्टर्स भी वे बनायेंगे, जिसकी स्कीम विचाराधीन है ।

†श्री सुब्बया अम्बलम् : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि सात योजनाओं के लायसेन्स दिये गये हैं, उन सात योजनाओं की वर्तमान क्षमता क्या है, क्या देश में ट्रांजिस्टरों की वर्तमान आवश्यकता का अनुमान लगाने का प्रयत्न किया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : हमारे अनुमान के अनुसार तीसरी योजना के अन्त तक प्रतिवर्ष ५० लाख ट्रांजिस्टरों की आवश्यकता होगी । अभी तक हमने ३५ लाख ट्रांजिस्टर बनाने की क्षमता संबंधी लायसेन्स जारी किये हैं । अधिक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है । हमारा विचार यह है कि जो लोग ट्रान्जिस्टरों के निर्माण के लिये उपयुक्त योजनायें रखेंगे, उन्हें उन के आवेदन करने पर अनुमति दे दी जायेगी ।

उस प्रश्न के सम्बन्ध में जिस के सम्बन्ध में पहिले सदस्य यह समझ रहे थे कि मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, चोरी छिपे ट्रांजिस्टर के लाये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । देश में जो कुछ आता है वह विदेश जाने वाले भारतीयों के व्यक्तिगत सामान के नाम पर आता है । वे एक दो सैट लाते हैं । अन्यथा ट्रांजिस्टर किये गये रेडियो सैटों का बड़े पैमाने पर चोरी छिपे लाये जाने की घटना हमारी नजर में नहीं आई ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : क्या सरकार जापान में ट्रांजिस्टर रेडियो सैटों के संबंध में होने वाले नवीनतम विकास से परिचित है ?

†श्री मनुभाई शाह : जी हां, सरकार पूरी तरह अवगत है, अतः हम ने यह विचार किया है कि तीसरी योजना में जेबों तथा हल्के ट्रांजिस्टर रेडियो के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ निश्चयात्मक कदम उठाये जायें जिससे कि एक सामान्य नागरिक भी उन्हें खरीद सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिरुमल राव** : क्या सरकार ट्रांजिस्टर रेडियो की कीमतों पर नियंत्रण रखती है, यदि हां, तो इस की अधिकतम और न्यूनतम कीमत क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कीमतों पर नियंत्रण करने का विचार नहीं किया गया है। हमने चालू वर्ष के प्रारम्भ में सस्ते रेडियो निर्माण की एक योजना बनाई थी जिससे कि एक रेडियो का विक्रय मूल्य १२५ रु० हो। हम ने इसके लागत के सम्बन्ध में सूचना और प्रसार मंत्रालय से परामर्श किया था। डा० केसकर इस मामले में व्यक्तिगत दिलचस्पी ले रहे हैं। हमें ज्ञात हुआ कि कीमत को १२५ रु० से कम नहीं किया जा सकता है। प्रत्यक रेडियो निर्माता ने यह आश्वासन दिया है कि कम से कम १० प्रतिशत सैट १२५ रु० या उस से कम कीमत के होंगे। सरकार ने इस सम्बन्ध में एक प्रोत्साहक योजना भी रखी है जिस से कि ३० प्रतिशत उत्पादन इसी लागत के अन्तर्गत होगा।

†**श्री तिमय्या** : क्या यह सही है कि सरकारी क्षेत्र में केवल ५० प्रतिशत पुर्जों के आयात की अनुमति है जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र में शत प्रतिशत पुर्जों के आयात की अनुमति ह ? यह भेद क्यों किया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सरकारी क्षेत्र में मैसूर राज्य के कारखाने को छोड़ कर और कोई कारखाना नहीं है। भारत इलेक्ट्रोनिक्स में रेडियो नहीं बनाये जाते हैं। वह वाल्व या ऐसे ट्रांजिस्टर बनायेगा जो सामान्यत: वाणिज्यिक निर्माताओं द्वारा बनाये जाते हैं।

†**कुछ माननीय सदस्य** : रैमको।

†**श्री मनुभाई शाह** : उक्त कारखाना मैसूर राज्य का है। उन सभी के साथ एक सा व्यवहार किया जाता है किसी को ५० प्रतिशत या किसी को १०० प्रतिशत आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। हम ने सभी रेडियो निर्माताओं को यह स्पष्ट और निश्चयात्मक आदेश दे दिया है कि दिसम्बर, १९६१ के बाद से एक भी पुर्जे का आयात नहीं करने दिया जायेगा।

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन

\+

†*४६०. **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची को कितने कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल कर्मचारियों की आवश्यकता है क्या इस का अन्तिम रूप से अनुमान लगा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में कहां तक भरती की गई है ;

(घ) क्या उन के अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या व्यवस्था की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अनुमान है कि रांची में हेवी मशीन बिल्डिंग और फाउण्ड्री फोर्ज संयंत्र के लि तथा कोयला खान मशीनरी संयंत्र दुर्गापुर के लिये हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को १०८८३ कर्मचारियों की आवश्यकता होगी । विभिन्न प्रकार की कोटियों के निम्न संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होगी :—

उच्च प्रवीण . .	२,२८३
प्रवीण	५,६४६
अर्धप्रवीण	१,६२६
अप्रवीण	१,३२५
कुल	१०,८८३

इन कर्मचारियों की वास्तविक भर्ती तो अभी आरम्भ नहीं हुई, परन्तु इसके लिये प्रारम्भिक व्यवस्था और प्रशिक्षण कार्य को भारत, रूस और चैकोस्लाविया में आरम्भ करने के लिये निगम कार्य कर रहा है । २४६ कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण के लिये रूस और चैकोस्लाविया भेजा जायेगा । औद्योगिक क्षेत्रों में सभी सरकारी और गैर सरकारी इकाइयों से प्रार्थना की जा रही है कि वे प्रविधिक प्रशिक्षण की सुविधायें कर्मचारियों को प्रदान करें । इस दिशा में लम्बे काल की प्रशिक्षण व्यवस्था के लिये रांची में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था के चालू करने की योजना भी निगम द्वारा बनाई जा रही है । इसमें कर्मचारियों को निरीक्षण सम्बन्धी पूरा प्रशिक्षण दिया जाया करेगा ।

†**श्री राधा रमण**: क्या इन निकायों में वहां के स्थानीय लोगों में से ही प्रवीण/अप्रवीण कर्मचारी भर्ती कर लिये जायेंगे अथवा सारे देश से यह भर्तीकी जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : गत सत्र में मैंने इस भर्ती सम्बन्धी नीति विवरण सभा-पटल पर रख दिया था । उसमें नीति स्पष्ट कर दी गयी थी । कुछ वर्गों के कर्मचारी केवल स्थानीय ही लिये जायेंगे । परन्तु प्रवीण कर्मचारियों के लिए यह बात नहीं होगी । उनके लिए स्थानीय होने का मापदण्ड काफी नहीं होगा । इस मामले में केवल योग्यता और क्षमता के आधार पर ही लोग भर्ती किये जायेंये ।

†**श्री राधारमण** : क्या हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के लिए कुछ विशेज्ञों को सरकार बाहर से भी बुला रही है, यदि हां, तो उसकी संख्या क्या है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : यहां तक मशीन निर्माण का प्रश्न है, हम रूस का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं । फाउण्ड्री के लिये हमें चेकोस्लोवाकिया सहायता दे रहा है । खानों के सामान के लिये भी रूस ही हमारा सहयोगी है । अतः अनुमान है कि निर्माण की अवस्था तक पहुंचने तक, जो कि १९६३–६४ में होगी, लगभग १५०० विदेशी विशेषज्ञ हमारी सहायता करेंगे । संयंत्र के चालू होने के बाद यह सख्या धीरे धीरे कम कर दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामसिंह भाई वर्मा : जो श्रमिक गांधी सागर, हैवी इलैक्ट्रोनिक्स भोपाल और भिलाई इत्यादि में सरपलस और वेकार हो रहे हैं, उन्हें इसमें लगाने में और ट्रेनिंग देने में क्या प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री मनुभाई शाह : यह बहुत पहले से तय है कि जहां जहां पब्लिक सैक्टर कारपोरेशन्स का काम खत्म होने को आता है वहां को जो टैम्पोरेरी और अनस्किल्ड लेबर होती है उसको दूसरी प्राजैक्ट्स में लेने की कोशिश की जाती है । उसी नीति को यह कारपोरेशन भी, जो कि बहुत बड़ी कारपोरेशन हो रही है, फालो करेगी ।

†**श्री जयपाल सिंह** : रांची में गतबार मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि भर्ती में स्थानीय लोगों को सामान्यत: तथा विस्थापित लोगों को विशेषत: प्राथमिकता दी जायेगी । क्या उन्हें सन्तोष है कि निगम उनके इस आश्वासन को कार्यान्वित कर रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं तो सन्तुष्ट हूं, परन्तु माननीय सदस्य ने एक बार इस ओर ध्यान आकृष्ट करवाया था तो सब आंकड़े देखे गये थे । मैं माननीय सदस्य तथा सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सभी निर्देशों का भली प्रकार पालन हो रहा है । जिन लोगों को भूमि इत्यादि अर्जन के फल-स्वरूप हानि उठानी पड़ी है उन्हें भर्ती में सबसे अधिक प्राथमिकता प्राप्त होगी । यह बड़ा व्यापक प्रश्न है और इस सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी जो विवरण सभा पटल पर रखा था उसे पूरी तरह कार्यान्वित किया जा रहा है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : गत बार जब अनुसूचिन जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त वहां गये थे तो हमें पता चला था कि केवल ८६ विस्थापित व्यक्तियों को ही वहां भर्ती किया गया था । यह तथ्य निगम के नोटिस में लाया गया था । पता चला है कि कुछ लोगों को विशेष प्रशिक्षण के लिये रूस और चैकोस्लाविया भेजा जा रहा है । क्या यदि स्थानीय लोग निर्धारित अर्हताओं पर पूर्ण उतर आयें तो उन्हें भी इस प्रकार का अवसर प्राप्त होगा ।

†**श्री मनुभाई शाह** : इसके कहने की आवश्यकता नहीं, सबको एक जैसे अधिकार और अवसर प्राप्त होंगे माननीय सदस्य को इस दिशा में किसी भी प्रकार का भय हृदय में नहीं रखना चाहिये । यह राष्ट्रीय परियोजनायें हैं और प्रत्येक देश के नागरिक को इसमें सेवा करने का पूरा अवसर प्राप्त होना चाहिये ।

†**श्री तंगामणि.** विवरण से पता चलता है कि गैर सरकारी और सरकारी औद्योगिक इकाइयों को भी इस उद्देश्य के लिये प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये कहा जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि इन उपरोक्त क्षेत्रों में से इस दिशा में जिन्होंने प्रशिक्षण देना मान लिया है उनके नाम क्या हैं; और कितने लोगों को यहां प्रशिक्षण के लिये भजा गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि विवरण में बताया गया है, ११,००० से अधिक लोगों को भर्ती किया जा रहा है । काम बढ़ने पर यह संख्या १८, २० हजार तक भी जा सकती है । अत: प्रशिक्षण के लिये सभी दिशाओं से सहयोग लेना आवश्यक है । अभी इस दिशा में हमने इकाइयों की सूची सरकारी और गैर सरकारी रूप में अलग अलग तो नहीं बनाई परन्तु गैर सरकारी क्षेत्र में प्रमुख इंजीनियरिंग इकाइयों ने सहयोग का आश्वासन दिया है । ये लोग पूरी तरह हमारे लड़कों को प्रशिक्षण देंगे ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह परियोजना बड़े महत्व की है और प्रवीण इंजीनियरिंग कर्मचारियों की देश में काफी कमी है । क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि प्रवीण कर्मचारियों के वेतन स्तर

---

†मूल अंग्रेजी में

बहुत नीचे नहीं हों ? ऐसा न हो कि वे प्रथम अवसर पर ही सरकारी परियोजना के कार्य को छोड़ जायें और गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिक वेतन मिलने के कारण चले जायें ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा, मैं उससे इंकार नहीं करता, परन्तु हमें इस बात पर गौरव है कि हम उन्हें बहुत अच्छा वेतन दे रहे हैं। यही कारण है कि सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजनायें अपने अनुसूचित समय के भीतर और कई अनुसूचित समय से पूर्व ही तैयार हो रही हैं।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : जिस रिक्रूटमेंट नीति का मंत्री महोदय ने निश्चय किया है और सेलेक्शन बोर्ड का जो तरीका ठहराया है तथा कमेटियों को सूचना भी भेजी गई है, क्या उस सेलेक्शन बोर्ड में ट्रेड यूनियनों का प्रतिनिधि भी रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मनुभाई शाह : सेलेक्शन में ट्रेड यूनियनों को कोई तजुर्बा नहीं है। वैसे बोर्ड पर हम लेबर का भी रिप्रेजेन्टेटिव लेते हैं लेकिन हम लोकल स्टेट के नामजद किये हुए अफसर को लेते हैं ताकि स्थानीय सरकार को हम विश्वास में ले सकें।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : क्या आप स्थानीय ट्रेड यूनियनों को विश्वास में लेने की आवश्यकता नहीं समझते ?

श्री मनुभाई शाह : ऐसी बात तो नहीं क्योंकि ट्रेड यनियनें भी रिक्रूटमेंट में हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन आज कल बहुत सी जगहों में रिक्रूटमेंट करना होता है। इसलिए एक स्थानीय ट्रेड यनियन का रिप्रेजन्टेशन होने से सारा काम नहीं चल सकता। इसलिए ऐसा आदमी लिया जाता है जो एक्सपर्ट हो, जांच पड़ताल करने के काबिल हो और स्टेट गवर्नमेंट का विश्वास रखता हो।

सरकारी क्वार्टर देने वाली समिति

\+

*४६१. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ३० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर देने आदि के लिये नियुक्त की गई समिति ने इस बीच अपना कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति की रिपोर्ट अथवा उसके सारांश की एक प्रति टेबल पर रखी जायगी; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). समिति ने जो सिफारिशें प्रस्तुत की हैं वह सरकार के विचाधीन हैं। यथा समय यह प्रतिवेदन सरकार के किये गये निर्णयों सहित सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : इस कमेटी के टर्म्स आफ रिफ्रेंस को मैं ने देखा था। क्या मैं यह आशा कर सकता हूं कि इस कमेटी ने संसद् सदस्यों की कठिनाइयों पर भी विचार किया है कि कभी कभी किसी सदस्य को एक फ्लैट भी नहीं मिलता है और कभी कभी एक एक सदस्य के पास दो दो फ्लैट हो जाते हैं?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : समिति ने अधिकतर सरकारी कर्मचारियों के आवास के बारे में ही विचार किया। संसद् का मामला आवास समिति के सभापति के नियन्त्रण में है।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स दिल्ली में काम करते हैं उन में से कितनी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि परमनेन्ट हैं लेकिन जिन को अभी तक मकान नहीं मिला है?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मोटे तौर पर अनुमान यह है कि हमें ४५००० इकाइयों की कमी है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय बतलाने को कृपा करेंगे कि इस कमेटी की रिपोर्ट पर कब तक विचार हो जायेगा और कब से नये नियम लागू हो जायेंगे?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** सचिवालय की भाषा में इतना ही है कि सरकार मामले पर बड़ी गम्भीरता से विचार कर रही है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में गोआ के बारे में चर्चा

\+

†*४६२. **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुबिमन घोष :
श्री डामर :
श्री कालिका सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ महा सभा की चालू बैठक में गोआ का विषय उठाने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ट्रस्टीशिप कमेटी के सामने यह विषय उठाने में सरकार को दिलचस्पी नहीं है; और

(ग) क्या सरकार ने पुर्तगाल की बस्तियों में नागरिक स्वतंत्रता न दिये जाने के विरुद्ध पुर्तगाल को कोई अंतिम विरोध पत्र भेजा है?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) और (ख). गोआ का विषय संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही ऐसा करने की सरकार की इच्छा है। परतन्त्र क्षेत्रों सम्बन्धी जानकारी के जिस प्रश्न पर चतुर्थ समिति विचार कर रही है वह प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत होता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रतिनिधि गोआ का उल्लेख भी करते रहे हैं। ८ नवम्बर, १९६० को अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ भारत ने चतुर्थ समिति में एक प्रस्तुत प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव

---

†मूल अंग्रेजी में

में स्पेन और पुर्तगाल की सरकारों से कहा गया था कि घोषणा पत्र के अनुच्छेद ७३ (ई०) के अन्तर्गत जो यह दायित्व उपरोक्त दोनों सरकारों पर आता है कि वे अपने अधिकार के उपनिवेशों के लोगों की अवस्था के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री को शीघ्रातिशीघ्र जानकारी दें। यह प्रस्ताव ११ नवम्बर, १९६० को स्वीकार हो गया। तदनुसार इन दो सरकारों से कहा गया कि वे इन उपनिवेशों के स्थानीय लोगों को पूरे लोकतंत्रीय तथा राजनीतिक अधिकार दें ताकि वे अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकें। इसके आगे क्या हुआ, इस सम्बन्ध में जानकारी की प्रतीक्षा है।

(ग) जिन उपनिवेशों में पुर्तगाल का कब्जा है, वहां नागरिक स्वतन्त्रता के दबाने के सम्बन्ध में हम हमेशा अपना विरोध प्रकट करते रहे हैं और करते रहेंगे।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार इसी आशा पर बैठी है कि अफ्रीका के घटनाक्रम के कारण पुर्तगाल की सरकार किसी न किसी दिन स्वयं ही गोआ को खाली कर देगी, मैं जानना चाहता हूं कि गोआ को स्वतन्त्र कराने के लिए सरकार क्या निश्चित कार्यवाही कर रही है?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** अभी तो हम उसी नीति पर चल रहे हैं जिस पर कि कुछ वर्षों से चलते आ रहे हैं। उसका उल्लेख सदन में भी किया जा रहा है। हमारी नीति सैनिक कार्यवाही करने की नहीं है। परन्तु इस सम्बन्ध में अन्य सम्भव कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह ठीक है कि पुर्तगाल ने, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अपने उपनिवेशों–जिसमें गोआ भी शामिल है—के सम्बन्ध में जानकारी देने से इस आधार पर इंकार कर दिया है कि उसके कथनानुसार गोआ उपनिवेश नहीं, बल्कि पुर्तगाल का सूबा है? यदि यह ठीक है, तो सरकार पुर्तगाल को समझाने के लिए क्या कर रही है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** शायद इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ पुर्तगाल को समझाने का प्रयत्न करे।

†**श्री नाथ पाई :** अभी अभी प्रधान मंत्री ने कहा है कि गोआ के प्रश्न को हल करने के लिए सैनिक व्यवस्था नहीं की जायेगी। इस सदन में शायद इस नीति की सराहना की जाये। परन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि विश्व के जनमत को गोआ की स्थिति के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्य बताने के लिए क्या किया जा रहा है। गोआ पर विश्व जनमत का प्रभाव हो इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? हम यह जानते हैं कि पुर्तगाल सरलता से विश्व जनमत का आदर नहीं करेगा, परन्तु हम इस दिशा में क्या कर रहे हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरा विचार है कि गत चार पांच वर्षों में विश्व का जनमत पुर्तगाल के बहुत विरुद्ध हो गया है। एक दो को छोड़कर बाकी लगभग सभी देशों ने पुर्तगाल की आलोचना की है। सभी देशों ने उसकी घरेलू नीतियों की भी आलोचना की है। हमारे दृष्टिकोण से यह अच्छी बात है और भारत के पक्ष में है।

श्री ब्रजराज सिंह : संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के उपबन्धों के अन्तर्गत परत्र देशों को अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्रों को देनी होती है। पुर्तगाल गोआ और अन्य परतंत्र क्षेत्रों को अपने अधीन रखे हुये है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि विश्व का जनमत पुर्तगाल के

†मूल अंग्रेजी में

विरुद्ध हो रहा है, अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र में इस बात पर जोर डालेगी ताकि पुर्तगाल को गोआ इत्यादि उपनिवेशों के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने पर बाध्य किया जा सके ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में इस दिशा में कार्यवाही की गयी है।

†**श्री खाडिलकर :** सरकार उपनिवेशों के स्वतन्त्रता संघर्ष के प्रति अपनी काफी सहानुभूति प्रकट करती रही है। हमने यदाकदा उन अस्थायी सरकारों को भी मान्यता दी है जो कि इस प्रकार के संघर्ष के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आईं। गोआ कोई उपनिवेश नहीं, हमारे देश का अंग है। यदि यहां स्वतन्त्रता संघर्ष के फलस्वरूप गोआनियों द्वारा कोई अस्थायी सरकार बनाई जाये, तो क्या हमारी सरकार उसे मान्यता प्रदान करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कल्पना की बातें हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** हमारी जानकारी के आजकल साधन क्या है ? कुछ भारतीयों को जो कि राजनीतिक बन्दी थे, गोआ से पुर्तगाल भेज दिया गया है। आजकल ये लोग किस स्थिति में रह रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमारी जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति को पुर्तगाल भेजा गया है। यद्यपि हम उसे भारतीय नागरिक मानते हैं, परन्तु वह इसे स्वीकार नहीं करते। अन्य जिन लोगों को भेजा गया है वे गोआ के रहने वाले हैं। अतः प्राविधिक रूप से उन्हें पुर्तगाली नागरिक ही माना जाता है।

और माननीय सदस्य किस जानकारी का उल्लेख कर रहे हैं उसका मुझे पता नहीं।

†**डा० राम सुभग सिंह :** इससे पूर्व मिश्र के दूतावास से हमें इन लोगों की राजी खुशी का पता लगता रहता था। परन्तु अब इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के साधन क्या हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** भारतीय हितों की देखभाल संयुक्त अरब गणराज्य के दूतावास द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास संस्था भी बन्दियों के हितों तथा उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखती है। सामान्य साधनों से भी आगे से अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब वहां से लोगों का आना जाना आगे से काफी अधिक है

†**श्री नाथ पाई :** जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है, पुर्तगाल का यह दावा बड़ा असंगत है कि गोआ पुर्तगाली राज्य-क्षेत्र का ही अंग है। कई देशों ने उसे आश्वासन दिया है कि उसकी क्षेत्रीय एकता की रक्षा की जायेगी। इस पृष्ठभूमि में क्या सरकार ने इन सरकारों से स्पष्टीकरण मांगा है कि उनका पुर्तगाल की क्षेत्रीय एकता के आश्वासन का वास्तविक अर्थ क्या है, क्या गोआ भी इस में आता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** अभी हाल ही में पुर्तगाल के समुद्र पार के क्षेत्रों के बारे में संयुक्त राष्ट्र में चर्चा हुई तो गोआ का प्रश्न आया था। यद्यपि अधिकतर चर्चा अफ्रीका स्थित पुर्तगाली क्षेत्र अंगोला पर ही हुई। उसमें भी यही कहा गया कि यह उपनिवेश नहीं पुर्तगाली राज्य-क्षेत्र का अंग है। यह बड़ी विचित्र सफाई है और कोई देश इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह तो

---

†मूल अंग्रेजी में

नितान्त हास्यस्पद बात है । इसे कई बार विभिन्न देशों के समक्ष रखा जा चुका है और कोई भी इस प्रकार के पुर्तगाली दावों को स्वीकार नहीं करता । हमारी कठिनाई यह है कि हम आजकल बड़ी ही विचित्र सी दुनिया में रह रहे हैं, जहां मामलों का निर्णय तथ्यों के आधार पर नहीं किया जाता । शीत युद्ध का विचार रख कर ही केवल मामलों को बिगाड़ने के लिए विशिष्ट प्रकार की नीति कई देशों द्वारा अपनाई जाती है ।

†**श्री जयपाल सिंह :** हम ठीक ही कहते हैं कि गोआ भारत का अंग है । परन्तु गोआवासियों को हम भारतीय नागरिक नहीं मानते; न ही हम उन्हें मतदान का अधिकार देते हैं । ये दो अलग अलग बातें क्यों हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह तो स्पष्ट ही है कि गोआ भौगोलिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का अंग हैं । परन्तु राजनीतिक तौर पर ऐसा नहीं है । यह तथ्य की बात है कि संसद् का आदेश गोआ में लागू नहीं होता ।

एक्स-रे उपकरण

+

†*४६३. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९५९–६० की अपने मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ ९६ पर पैरा संख्या ४६ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक्स-रे उपकरण देश में तैयार करने की जो योजना मंजूर की गयी है क्या वह कार्यान्वित की गयी है; और

(ख) उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

तीन योजनाओं के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार की है :—

१. मैसर्ज रैडन हाऊस, कलकत्ता—यह सार्थ एक्सरे के छोटे छोटे सामान के उत्पादन का कार्य छोटे स्तर पर कर रही है । आशा है कि यह सार्थ शीघ्र ही अपने उत्पादन को बढ़ायेगी ।

२. मैसर्ज़ एस्कोर्ट्स लिमिटेड, नयी दिल्ली—इस सार्थ की संयंत्र और मशीनरी आयात की प्रस्थापना स्वीकार कर ली गयी है । जैसे ही उन्हें संयंत्र और मशीनरी प्राप्त होगी, उनके उत्पादन के आरम्भ हो जाने की आशा है ।

३. मैसर्ज सीमन्ज़ इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई—आशा है कि दो अथवा तीन मास के भीतर ही इस कम्पनी का उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रा० च० माझी** : क्या यह योजनायें अनुसूचित समय के अनुसार कार्यान्वित हो रही हैं; यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अथवा इसके बाहर जहां भी यह योजनायें आती हैं, उन्हें स्वीकृत कर लिया गया है । जो योजनायें अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आतीं, उनका समय निर्धारित कर दिया गया है । यदि कोई सार्थ अथवा समवाय इस अनुसूचित समय के अन्तर्गत इन योजनाओं को कार्यान्वित नहीं करता तो उनका लाइसेंस अथवा स्वीकृति वापिस ले ली जाती है ।

†**श्री स० च० सामन्त** : क्या यह ठीक है कि कलकत्ता के डा० भौमिक ने केन्द्रीय सरकार से भारत में ही एक्सरे सामान के निर्माण के लिए सहायता की प्रार्थना की है ? एक्सरे सामान की कुछ चीजें वह कलकत्ता में बना भी रहे हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं समझता हूं कि यह महानुभाव मैसर्ज रैंडोन, कलकत्ता की योजना के अन्तर्गत आ जाते हैं ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से पता चलता है कि बम्बई में सीमन्स का उत्पादन तीन मास के भीतर आरम्भ हो जायेगा । इनके संयंत्र की क्षमता कितनी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह क्षमता आवश्यकतानुसार कम अधिक की जा सकती है । यह बड़े पैमाने के उत्पादन के अन्तर्गत नहीं आता । परन्तु मेरा अनुमान है कि ये लोग लगभग १५ लाख रुपये का सामान प्रति वर्ष बनायेंगे ।

सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

+

†*४६४. { **श्री त० ब० विट्ठलराव** :
श्री पांगरकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, जिसे कोथागुडियम में प्रस्तावित उर्वरक कारखाने के लिए प्रविधिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है, के ठेके की शर्तें इस बीच अन्तिम रूप से तय हो गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या संविदा (कन्ट्रैक्ट) की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या सिंदरी उर्वरक कारखाने में जो अधिकारी प्रारम्भिक कार्य कर रहे हैं, क्या उनके साथ पारिश्रमिक सम्बन्धी कोई निश्चय नहीं हुआ ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : सिंदरी के कार्य से आंध्र प्रदेश की सरकार को बहुत सहायता प्राप्त हो रही है, परन्तु आंध्र की सरकार ने सिंदरी की परामर्श व्यवस्था की प्रस्थापना को मानने से इन्कार

---

†मूल अंग्रेजी में

कर दिया है । दूसरी बात यह भी है कि विशाखापट्टनम में एक अन्य बड़ा उर्वरक कारखाना चालू किया जा रहा है । आंध्र सरकार इस पर विचार कर रही है कि कोटागुदाम परियोजना को आरम्भ करे अथवा यह सुझाव दे कि केन्द्र अथवा कोई गैर सरकारी समवाय इसे सम्भाल ले ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** यह कोठागुदियम उर्वरक परियोजना को छोड़ने की प्रस्थापना सब केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गयी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** इस प्रकार की प्रस्थापना तो केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखी गयी है; परन्तु फिर भी आंध्र सरकार विचार कर रही है कि उसे वह राज्य की पूंजी का विनियोजन क्यों कर । यह आंध्र प्रदेश में उर्वरक का दूसरा कारखाना होगा । एक तो है ही, अतः उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सरकार अथवा कोई गैर सरकारी समवाय इसे सम्भाल ले ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या राय है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** केन्द्रीय सरकार का विचार इसे सम्भालने का नहीं है । यदि सम्भव हो सका तो इसके लिए किसी गैर सरकारी समवाय की तलाश की जायेगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** सरकार देश भर में कई उर्वरक संयंत्रों तथा रूरकेला, नहरकटिया, ट्रामबे इत्यादि स्थानों पर लगे संयंत्रों को आर्थिक सहायता दे रही है । किस आधार पर इस उर्वरक कारखाने को आर्थिक सहायता देने से इन्कार किया जा रहा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** केन्द्र की इस परियोजना का आरम्भ नहीं किया गया था । राज्य सरकार ने स्वयं ही इस पर जोर दिया । वह यह कारखाना खोलना चाहती थी । हम ने उन्हें लाइसेंस दे दिया । अब एक और कारखाना लग रहा है जिसका इससे पूर्व कोई विचार नहीं था, अतः अब इसे उतनी प्राथमिकता नहीं दी जा सकती ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** विशाखापट्टनम का उर्वरक कारखाना राज्य सरकार का होगा अथवा केन्द्रीय सरकार का ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** इससे आन्ध्र प्रदेश की उर्वरकों सम्बन्धी मांग पूरी हो जायेगी ।

†**श्री पलनियाण्डी :** क्या यह सरकारी क्षेत्र में होगी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में ?

†**श्री सतीश चन्द्रः** विचार है कि इसका लाइसेंस किसी गैर-सरकारी समवाय को ही दिया जायेगा । इस समय हमारे पास पांच आवेदन पत्र हैं जिन पर हम विचार कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न संख्या ४६५ ।

†**श्री मुरारका :** मैं प्रश्न पूछता हूं । प्रश्न संख्या ४८२ और ४९१ को भी इस के साथ ले लिया जाये, यदि माननीय मंत्री को इस में सुविधा हो ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** जी, नहीं ।

†**श्री महन्ती :** अन्य प्रश्न इस प्रश्न से सर्वथा भिन्न हैं ।

†**श्री सतीश चन्द्र :** मुझे उसकी चिन्ता नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात योग्य वस्तुओं का उपभोग

†*४६५. **श्री मुरारका :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व बैंक की उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें उसने निर्यात योग्य वस्तुओं का देश में उपभोग करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कुछ चुने-चुने कर लगाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है और कब ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) अनुमानतः माननीय सदस्य विश्व बैंक के उन तीन सदस्यों द्वारा विश्व बैंक को दिये गये प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहे हैं जो इस वर्ष के आरम्भ में भारत आये थे । यदि हां, तो उत्तर हां है ।

(ख) भविष्य में करारोपण के जिन प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है उनका स्वरूप पहले बताना सम्भव नहीं है ।

निर्यात के लिए राजसहायता

†४८२. **श्री मुरारका :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार निर्यात की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए क्या कार्यवाही करन का सरकार का वि .ार है;

(ख) क्या निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष राजसहायता की पद्धति चालू करने के बारे में सरकार विचार कर रही है; और

(ग) क्या वह राजसहायता खास बाजारों के लिए या सामान्य तौर पर दी जायेगी ?

†वा णिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) निर्यात उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने वाले, उत्पादकता-जागरूकता पैदा करने वाले, निर्यात व्यापार के संगठन में सुधार करने वाले, अनेक साधनों के द्वारा प्रचार करने वाले और विदेशी बाजारों का अध्ययन करने वाले उपायों द्वारा तथा समय समय पर उपयुक्त वित्तीय तथा धन सम्बन्धी नीतियां अपना कर सक्रिय प्रोत्साहन दे कर उपयुक्त वातावरण बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

निर्यात की वृद्धि

†*४९१. **श्री मुरारका :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक की इस सिफारिश पर विचार किया है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करने और विदेशी मंडियों में स्थान प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयत्न किये जायें; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चंद्र)** : (क) और (ख). इस वर्ष के आरम्भ में विश्व बैंक के जो प्रतिनिधि आये थे, उन्होंने बैंक को जो प्रतिवेदन दिया है, उस में दिये गये सामान्य निष्कर्ष क: निर्यात नीतियां बढ़ाने में ध्यान में रखी जाती रही हैं और ध्यान में रखी जाती रहेंगी। उत्पादन में विविधता लाने और निर्यात के लिये उचित वातावरण पैदा करने की दृष्टि से धन तथा मुद्रा सम्बन्धी उपयुक्त नीतियां बनाने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। इस समय तक कितनी सफलता मिली है यह इस बात से जांची जा सकती है कि १९५९ का निर्यात १९५८ की तुलना में ५८ लाख अधिक था और १९६० के पहले ९ महीनों में निर्यात १९५९ की इसी समय के निर्यात की तुलना में २१ करोड़ अधिक है।

†**श्री मुरारका :** क्या माननीय मंत्री ने इस विषय के बारे में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने का प्रयत्न किया है कि देश के निर्यात को बढ़ाने के लिये उन के मन में क्या विशिष्ट पदार्थ और विशिष्ट प्रस्ताव हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** प्रतिवेदन निर्यात के सम्बन्ध में नहीं है। यह देश की सामान्य आर्थिक स्थिति के बारे में है और उसमें कहीं कहीं निर्यात सम्बन्धी कुछ कंडिकाएं हैं। निस्संदेह चर्चा हुई थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया मैं भी उपस्थित था। उन्होंने कुछ सुझाव दिये जो प्रतिवेदन में भी दिये गये हैं, जो संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

†**श्री मुरारका :** क्या उन वस्तुओं की कोई सूची जिनके उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा, सरकार द्वारा तैयार की गई है ताकि उन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाया जा सके ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** यदि वह इस की ओर दृष्टि डालें, तो माननीय सदस्य को पता चलेगा कि कम से कम ४० श्रेणियों की वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है। यदि घरेलू उत्पादन कम करना है तो उत्पादन शुल्क बढ़ाना होगा। यदि वह उस सूची को देखें, तो उन्हें पता चलेगा कि इन उपायों से घरेलू उपभोग कम करने में सहायता मिलती है।

†**श्री मुरारका :** क्या मुख्य प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् कोई ठोस कार्रवाई की गई है या इस दिशा में करने का विचार है जैसा कि विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने सिफारिश की है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** करों में परिवर्तन सामान्यतया बजट के समय किया जाता है। वित्त मंत्री और सरकार निश्चय ही इन मामलों पर उचित अवसर पर विचार करेंगे। कर घटाना या बढ़ाना हमारा काम नहीं। परन्तु इन बातों को लगातार ध्यान में रखा जाता है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या यह सच है कि हमारी चाय और पटसन का निर्यात कम हो रहा है जब कि लंका से चाय निर्यात, और पाकिस्तान से पटसन का निर्यात बढ़ रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या करने वाली है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** सब सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं। इस वर्ष कुछ सीमा तक चाय और पटसन का निर्यात गिर गया है, जिसका कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग कम हो गई है, परन्तु इस कारण कि इस वर्ष के आरम्भ में मौसम खराब था और सूखा था जिसके कारण कच्चे पटसन और चाय के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा।

†**श्री महन्ती :** क्या निर्यात संवर्धन परिषद् ने अपना निर्यात बढ़ाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या उन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र :** निर्यात संवर्धन परिषदों ने उन में से विभिन्न पदार्थों के लिये लगभग आधी दर्जन परिषदों ने प्रोत्साहक तथा अन्य कई योजनाएं बनाई हैं । यदि माननीय सदस्य उस विशिष्ट वस्तु के बारे में जो उन के मन में है, पृथक प्रश्न पूछें तो मैं अधिक ब्यौरे दे सकता हूं । परन्तु इन सब बातों का उत्तर एक प्रश्न के उत्तर में देना कठिन है ।

†**श्री मुरारका :** मेरे पहले प्रश्न को अच्छी तरह नहीं समझा गया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने अपने देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कोई ठोस कदम उठाये हैं या करने का विचार है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** बहुत से कदम उठाय गये हैं । विभिन्न वस्तुओं के निर्यात तथा उसके बारे में उठाये गये कदमों अर्थात् निकाली गई नई प्रोत्साहक योजनाएं, अभ्यंश देना, जिसके बारे में विभिन्न वस्तुओं के कृषकीय उत्पादन की वृद्धि की दृष्टि से दिन प्रति दिन फैसला किया जाता है, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्न आदि के सम्बन्ध में सभा में दिन प्रति दिन प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं । जब तक कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा जाता, कोई विशिष्ट उत्तर देना कठिन है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ये सब सामान्य प्रश्न हैं । अगला प्रश्न ।

आणविक संस्थापनाओं पर नियत्रंण और उनका निरीक्षण

+

†*४६६. **श्री प्र० के० देव :**
श्री साधन गुप्त :
श्री गोरे :
श्री हेम बरूआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में वियना में अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण की बैठक में भारत ने विभिन्न देशों में आण्विक संस्थापनाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण और निरीक्षण के प्रश्न के सम्बन्ध में समझौते के एक सूत्र (फार्मूला) का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो उस सूत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत के उस प्रस्ताव का क्या परिणाम निकला; और

(घ) किन-किन देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण के महासम्मेलन में अफागानिस्तान, बर्मा, लंका, भारत तथा इंडोनेशिया द्वारा प्रस्तुत किये गये संयुक्त संकल्प की एक प्रति निहित है । **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ग) और (घ). उस संकल्प को मतदान के लिये प्रस्तुत ही नहीं किया गया, क्योंकि पन्द्रह देशों का एक और संकल्प जिसमें अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गयी सुरक्षा के सम्बन्ध में समर्थन किया गया था, पारित हो गया था ।

†**श्री प्र० के० देव :** विवरण से यह ज्ञात होता है कि आणविक शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग तथा आणविक संस्थापनों के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण तथा निरीक्षण के लिये भारत तथा कुछ अन्य

---

†मल अंग्रेजी में

देशों ने एक संयुक्त संकल्प प्रस्तुत किया था। क्या उस संकल्प के पक्ष में विश्व का लोक मत बनाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जब भी कोई संकल्प प्रस्तुत किया जाता है, उसे पास कराने के लिये हम सदैव यत्न करते हैं जब तक कि कोई और बात घटित न हो जाये। विशिष्ट प्रकार के प्रविधिक मामलों में लोकमत का आन्दोलन नहीं चलाया जाता। परन्तु वास्तव में डा० भाभा इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा अन्य स्थानों पर प्रचार कर रहे हैं।

†**श्री प्र० के० देव** : उत्तर से यह ज्ञात नहीं होता कि किन-किन देशों ने इस संकल्प के विरुद्ध वोट दिये थे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उसे मतदान के लिये रखा ही नहीं गया था क्योंकि एक और संकल्प उस से पहले पास हो चुका था।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या सम्मेलन में इस सम्बन्ध में भी कोई संकल्प पारित किया गया था कि जिसमें निशस्त्रीकरण का समर्थन किया गया था और यह कहा गया था कि नाभिकीय अस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये और भारत ने उस संकल्प का विरोध किया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं प्रश्न को पूरा सुन नहीं सका हूं। परन्तु इस संकल्प का निशस्त्रीकरण से कोई सम्बन्ध न था। इसका सम्बन्ध परित्राणों से है।

†**श्री हेम बरूआ** : अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के सम्बन्ध में सुझाव देने के अतिरिक्त क्या भारत ने उस सम्मेलन में इस सम्बन्ध में कोई ठोस सुझाव दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय आणविक शक्ति अभिकरण द्वारा विभिन्न देशों को दिये गये अणु विस्फोटक सामान का सैनिक कार्यों के लिये उपयोग न किया जाये ?

†**श्री सादत अली खां** : माननीय सदस्य ने अवश्य उस संकल्प को पढ़ा होगा। उसमें परित्राणों के सम्बन्ध में तीन आधार प्रस्तुत किये गये हैं :—(१) अभिकरण से सहायता लेते समय प्रत्येक देश को यह गारंटी देनी होगी कि उस सामग्री का उपयोग सैनिक कार्यों के लिये नहीं किया जायेगा; (२) यदि आणविक विस्फोटक सामग्री अस्त्रों के रूप में है तो उसकी गणना और निरीक्षण की व्यवस्था की जाये और (३) नियमों के अनुसार सभी देशों की सामग्री का परीक्षण करने के लिये एक बोर्ड की व्यवस्था की जाये।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि वियना सम्मेलन में पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों ने हमारे समझौते सम्बन्धी सूत्र का विरोध किया था ? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

†**श्री सादत अली खां** : अमरीका तथा अन्य देशों का यह कहना था कि परित्राण सम्बन्धी सभी बातें संविधि में ही लिखित हैं; वे सभी आवश्यक थीं। वह पद्धति, जो कि गवर्नरों द्वारा निर्धारित की गयी हैं, एक समझौता सम्बन्धी पद्धति थी। उसके अधीन अभिकरण द्वारा उभय पक्षीय करार किये जा सकेंगे। और फिर उस पद्धति में ऐसी कोई बात नहीं थी जो कि राष्ट्रीय सम्पूर्ण प्रभुता का अतिलंघन करती हो।

———

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

माइकानाइट

†*४५४. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माइकानाइट और ईंटें तैयार करने वाला उद्योग मांग की कमी के कारण ढीला पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने स्थिति की छानबीन की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) उद्योग की सुरक्षा के लिये यह निर्णय किया गया है कि उस प्रकार की इंस्युलेटिंग ईंटों के आयात की अनुमति न दी जाये जिनके स्थान पर स्वदेशी अभ्रक की इंस्युलेटिंग ईंटों का प्रयोग किया जा सकता है और उपभोक्ताओं को यह परामर्श दिया जा रहा है कि वे स्वदेशी ईंटों के प्रयोग की संभावनाओं के सम्बन्ध में विचार करें । शीशा तथा चीनी मिट्टी अनुसंधान संस्था की स्वदेशी उत्पादों की किस्म को सुधारने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं ।

सरकारी उपक्रम

†*४५७. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन अभी हाल में दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो जिन विषयों पर चर्चा हुई उनका ब्योरा क्या है और क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) उन निर्णयों के कब तक लाग किये जाने की आशा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग). परियोजना समन्वयकारी समिति एक ऐसी विभागीय समिति थी जोकि इस मंत्रालय के अधीन सभी परियोजनाओं में समन्वय उत्पन्न करने वाले एक निकाय के रूप में काम करती थी । हाल ही में इसका क्षेत्र बढ़ा कर इसे ऐसा रूप दिया गया है कि अब यह सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं के लिये एक अन्तर्मंत्रालय समिति के रूप में काम करती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रमुख सिफारिशों की संक्षेपिका

विषय-संख्या

१. यूनिटों के संभरण तथा विस्तार के लिये उपक्रमों द्वारा अपेक्षित कच्ची सामग्री तथा पुर्जों की प्राप्ति

इस प्रश्न पर विचार करने और इसके लिये प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिये वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपसमिति स्थापित की गयी ।

२. पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता

स्वदेशी वस्तुओं की उपलब्धि अधिकतम मात्रा में की जाये । सभी प्रबन्धकों को यह चाहिये कि वे तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम अर्ध भाग के लिये पूंजीगत वस्तुओं के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तुओं की सूचियां तैयार करें और सम्बन्धित मंत्रालयों के पास भेज दें ।

३. सहायक उद्योगों का विकास

सहायक उद्योगों के विकास को अधिकतम महत्व प्रदान किया गया है । प्रत्येक उपक्रम को यह चाहिये कि वह अपनी इमारतों में उन पुर्जों तथा सहायक वस्तुओं का प्रदर्शन करें जोकि अन्य निर्माताओं से प्राप्त हो सकती हैं । प्रत्येक उपक्रम को यह चाहिये कि वह अपने सुझाव लघु उद्योग विकास आयुक्त के पास भेजे ।

४. सभी ग्रेडों के घटिया किस्म के कोयले का उपयोग

वायलरों द्वारा अब सभी ग्रेडों के घटिया किस्म के कोयले के उपयोग का कार्यक्रम बनाना चाहिये ।

५. प्रविधिक व्यक्तियों का प्रशिक्षण

इस प्रश्न पर विचार करने के लिये वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक उपसमिति बनायी गई है ।

६. पूर्व-जागत पद्धति

एक उपयुक्त लागत गगना व्यवस्था की अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि एक सैल बनाने के लिये सरकारी उपक्रमों की सहायता करने के लिये एक वरिष्ठ लागत गगना पदाधिकारी नियुक्त किया जाये । वह पदाधिकारी इस प्रयोजन के लिये उपक्रमों को देखने स्वयं जाया करेगा ।

राज्यों को वित्तीय सहायता

†*४६७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री राजेंद्र सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **योजना** मंत्री २ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवर्षीय योजनाओं में राज्यों द्वारा किये जाने वाले खर्च के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता के ढंग और प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सुझाव दिये गये हैं ; और

(ग) इस विषय में सरकार की क्या राय है और उसने क्या निर्णय किये हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). योजना आयोग शीघ्र ही केन्द्रीय सहायता के ढंग के सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से शीघ्र ही अपने सुझाव तैयार करेगा ।

राज्य-उद्यम

†*४६८. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
कुमारी मो० वेदकुमारी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दामानी :
श्री म० क० कुमारन् :
श्री आचार :
श्री सूपकार :
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री प्र० ग० देव :

क्या **योजना** मंत्री १ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य-उद्यमों की पूंजी में सार्वजनिक सहयोग के प्रश्न का परीक्षण करने के लिये नियुक्त अध्ययन दल से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या राय है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) अध्ययन दल द्वारा की गयी सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं और इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार

†*४६९. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्र अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या उन देशों के साथ व्यापार की संभावनाओं का अध्ययन करने की कोई योजना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) स्वतंत्र अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये ये कार्यवाहियां की गयी हैं—अपनी वस्तुओं के सम्बन्ध में आम प्रचार किया गया, एकता तथा पारस्परिक लाभ के आधार पर करारों के सम्बन्ध में विचार विमर्श प्रारम्भ किया गया, प्रतिनिधि मण्डलों का आना जाना आदि ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन देशों से व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने की ओर भारत सरकार पूरा ध्यान दे रही है ।

नारियल जटा उद्योग

†*४७०. **श्री कोडियान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नारियल जटा उद्योग में विभिन्न प्रकार का उत्पादन करने और नारियल जटा की चीजों की किस्म सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस सिलसिले में यदि कोई खर्च किया है तो कितना ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) गद्दे के और कड़े रेशों के उत्पादन के लिये अग्रिम कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार ने कार्यवाही की है और डोर मैट्स, रिब्ड कार्पेट मैट्स और ब्रुथ मैट्स के विभिन्न डिजाइनों और किस्मों के उत्पादन के लिये राज्य सरकारों को सहायता भी दी गयी है । राज्य सरकारों द्वारा स्थापित प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों में कातने की मशीनों से बढ़िया किस्म के 'यार्न' के उत्पादन के कार्य में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है । नारियल जटा उद्योग बोर्ड नारियल जटा वस्तुओं की किस्म के सुधार करने और उनके ग्रेड सम्बन्धी स्तर निर्धारित करने के सम्बन्ध में अनुसंधान संस्थाओं के द्वारा कार्यवाही कर रहा है । नारियल जटा के निर्माण सेक्टर के नवीकरण तथा पंजीकरण का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) भारत सरकार ने विभिन्न नारियल जटा योजनाओं के लिये अर्थात् नारियल जटा सहकारी संस्थाओं की स्थापना, रेशा सम्बन्धी मिलों की स्थापना और परीक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों की स्थापना के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के लिये क्रमश: ८,६३,१५७ रुपयों तथा ३६,०४,३९४ रुपयों का अनुदान मंजूर किया है ।

खनीज पदार्थों की खोज

†*४७१. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जिओलाजिकल, माईनिंग एण्ड मेटालर्जिकल सोसाइटी आफ इंडिया की कलकत्ते में हुई वार्षिक बैठक में डा० सी० महादेवन के अध्यक्ष पद से दिये गये भाषण (१५ सितम्बर) में किये गये इस उल्लेख की ओर दिलाया गया है कि "कुछ अवसरों पर एक ही क्षेत्र के लिये दो पदाधिकारियों को, एक अणुशक्ति विभाग का और दूसरा भूतत्वीय सर्वेक्षण का, एक ही मौसम में क्षेत्रीय कार्य के लिये भेजा गया" ; और

(ख) खनिज पदार्थों की खोज करने और उन्हें निकालने के काम में एक ही काम के दो-दो बार किये जाने को रोकने के लिये क्या किया जा रहा है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). सरकार को जिओलाजिकल, माईनिंग एण्ड मेटालर्जिकल सोसाइटी आफ इंडिया की कलकत्ते में हुई ३६वीं वार्षिक बैठक में डा० सी० महादेवन द्वारा दिये गये अध्यक्षीय भाषण की एक प्रति प्राप्त हुई है । जहां

---

†मूल अंग्रेजी में

तक उक्त बयान का सम्बन्ध है, स्थिति इस प्रकार से है कि संभव है कि कभी-कभी किन्हीं विशेष अवसरों पर किसी विशेष क्षेत्र में कार्य के लिये भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण और अणुशक्ति विभाग दोनों की ओर से एक-एक पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया हो, परन्तु कभी-कभी कार्य में दुहरापन नहीं पाया गया है, क्योंकि दोनों विभागों के कार्य क्षेत्र पूर्णतया भिन्न हैं। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण का कार्य केवल प्रादेशिक भूतत्वीय मान चित्र बनाने अथवा आर्थिक खनिजों के सम्बन्ध में अनुसन्धान मात्र करना है, जब कि अणु शक्ति विभाग का कार्य आणविक खनिजों के अनुसन्धान और खोज का कार्य है।

फिर भी कार्य के दुहरेपन और राष्ट्रीय शक्ति के नाश को बचाने के लिये इस विभाग द्वारा अन्य सम्बद्ध संगठनों के साथ निकटतम सम्पर्क तथा सहयोग रखा जा रहा है और कार्य कार्यक्रम बोर्ड द्वारा किया जाता है जो कि क्षेत्र कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पारस्परिक विचार विमर्श के बाद उन कार्यक्रमों के लिये मंजूरी देता है। वह बोर्ड भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण, इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स, तेल तथा गैस आयोग तथा आणविक खनिज विभाग के सम्बन्ध में कार्यक्रमों के लिये मंजूरी देता है।

अणु शक्ति केन्द्र

*४७२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री:**
श्री कालिका सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश पत्र 'इकोनोमिस्ट' ने यह आशंका प्रकट की है कि भारत शायद अणु बम तैयार कर ले;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त पत्र ने तारापुर के प्रस्तावित अणु शक्ति केन्द्र के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे पश्चिमी शक्तियां बड़े असमंजस में पड़ गई हैं; और

(ग) प्रस्तावित अणु शक्ति केन्द्र की स्थापना के लिये मांगे गये टेंडरों पर कब तक अन्तिम निर्णय होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : १५ अक्तूबर, १९६० के ब्रिटिश पत्र "इकोनोमिस्ट" के एक लेख में यह इशारा किया गया है कि शायद भारत सैनिक उद्देश्यों के लिये प्लूटोनियम का उपयोग करे। लेख में यह विचार भी व्यक्त किया गया है कि तारापुर के अणु शक्ति केन्द्र के सम्बन्ध में टेंडरों की मांग करने से कुछ देश असमंजस में पड़ गये हैं।

ये विचार सही तथ्य उपस्थित नहीं करते। भारत हमेशा ही यह वचन देने को तैयार है कि हम किसी भी बुरे उद्देश्य के लिये परमाणु शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे। २० जनवरी, १९५७ को ट्राम्बे स्थित परमाणु शक्ति संस्थान के औपचारिक उद्घाटन के अवसर पर प्रधान मन्त्री ने इस प्रकार बयान दिया था :—

> "कोई मनुष्य भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपनी सरकार की ओर से और अपनी ओर से भी यह कहना चाहूंगा और मेरा ख्याल है कि मैं भारत की किसी भी भावी सरकार की ओर से कुछ न कुछ यकीन के साथ कह सकता हूं कि चाहे कुछ भी हो और कैसे भी हालात हों, हम परमाणु शक्ति का उपयोग बुरे उद्देश्यों के लिये नहीं करेंगे।"

१० फरवरी, १९५८ को राष्ट्रपति ने संसद् के समक्ष अपने अभिभाषण में यह कहा था :

"अपने बारे में मेरी सरकार इस बात को असंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर देना चाहती है कि यद्यपि हमें आज वैज्ञानिक ज्ञान और साधन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा यदि हम अपनी नासमझी में चाहें तो आणविक शस्त्र तैयार कर सकते हैं, तो भी हमारी कदापि यह इच्छा नहीं कि हम ऐसे शस्त्रों को प्राप्त करें अथवा तैयार करें अथवा उनका कभी प्रयोग करें या किसी अन्य देश द्वारा उनके प्रयोग को क्षमणीय समझें। इस क्षेत्र में हमारे प्रयत्न शान्तिपूर्ण उपयोग केलिये अणशक्ति के उत्पादन तक ही सीमित रहेंगे।"

(ग) तारापुर के अणु शक्ति केन्द्र के सम्बन्ध में टेंडरों के प्राप्त होने की अन्तिम तिथि ३१ मई, १९६१ है। इसक बाद ही यह फैसला किया जायेगा कि कौनसा टेंडर स्वीकार किया जाये।

आकाशवाणी के नये स्टेशन

†*४७३. **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :
श्री वि वनाथ रेड्डी :
श्री रामी रेड्डी :
श्री आचार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के नये प्रेषण केन्द्र (ट्रांसमिटिंग स्टेशन) बनाये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये नये स्टेशन किन किन जगहों पर होंगे और इन पर कितना अनावर्तक तथा आवर्तक व्यय होने का अनुमान है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्यों में इन ट्रांसमिटरों को लगाने के लिये स्थानों की उपयुक्तता का प्रविधिक तथा अन्य बातों की दृष्टि से परीक्षण किया जा रहा है। शीघ्र ही स्थानों का फैसला किया जाएगा। कुल अनावर्तक तथा आवर्तक व्यय का अनुमान क्रमशः ३९४ लाख रुपये और ५९.४२ लाख रुपये प्रतिवर्ष के लगभग होगा।

आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकर

†*४७४. **श्री तंगामणि :**
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री वोडयार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के हथकरघा बुनकरों का एक प्रतिनिधिमण्डल २० सितम्बर, १९६० को माननीय मंत्री से मिला था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगें थीं; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश की हथकरघा बुनकर सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि मण्डल ने अपने ज्ञापन में कई मामले उठाये हैं। मुख्य मामले नीचे दर्शाये जाते हैं :–

(१) संगठित मिल क्षेत्र के लिये ५८००० लाख गज वार्षिक का उत्पादन लक्ष्य अधिक है और इसे घटा कर ४५००० लाख गज कर दिया जाए जिसमें ५००० लाख गज प्रतिवर्ष का निर्यात शामिल हो।

(२) ८००० लाख गज का निर्यात लक्ष्य भी अधिक है और इसे कम करके ५००० लाख गज प्रतिवर्ष किया जाए।

(३) विद्युत् चालित करघे के कपड़े का लक्ष्य उतना ही होना चाहिये जितना दूसरी योजना अवधि में निश्चित था अर्थात् ४००० लाख गज प्रतिवर्ष।

(४) हथकरघा क्षेत्र को आवंटित २८००० लाख गज का लक्ष्य कम है और हथकरघा क्षेत्र का लक्ष्य तीसरी योजना अवधि में प्रतिवर्ष ३१००० लाख गज होना चाहिये।

(५) हथकरघा उद्योग के लिये ३२ करोड़ रुपये का आवंटन बहुत कम है और इसे बढ़ा कर ८४.१९ करोड़ कर देना चाहिये जैसी कि कार्यकारी दल (अध्ययन दल) ने सिफारिश की है।

(ग) प्रतिनिधिमण्डल के विचारों को सरकार ने ध्यान में रख लिया है।

थाइलैंड में भारतीयों पर वीसा सम्बन्धी प्रतिबन्ध

†*४७५. **श्री सै० अ० मेहदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाईलैण्ड की सरकार ने भारतीय राष्ट्रजनों सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या राय है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जहां तक सरकार को विदित है थाई सरकार ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रजनों तथा अन्य विदेशियों के लिये, जो थाईलैण्ड जाना चाहते हों, वीसा देने तथा वीसा संबंधी नियमों का नर्म कर दिया है।

(ख) सरकार इस बात का स्वागत करती है।

तार–प्रसारण परियोजना

†*४७६. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की तार-प्रसारण (वायर ब्राडकास्टिंग) परियोजना जिसका दिल्ली की कुछ बस्तियों में प्रयोग किया गया है, सफल सिद्ध हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने घरों में रेडियो लगाये गये हैं और कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). अग्रिम योजना के अन्तर्गत नई दिल्ली में कस्तूरबा नगर बस्ती में ९३ क्वाटरों में तार-प्रसारण (रेडियो) दिये गये थे। रेडियो लगाने पर ८८५४ रुपये खर्च आये थे और लगभग ५५० रुपये मासिक आवर्तक व्यय आया था। क्योंकि योजना प्रविधिक दृष्टि से ठोस सिद्ध हुई है, उसका लोधी कालोनी तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में विस्तार किया जा रहा है, और आशा की जाती है कि २००० से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठायेंगे। विस्तारित योजना के पूर्णतः कार्यान्वित किये जाने से पूर्व इस योजना का पूर्ण अनुमान लगाना कठिन है।

हिन्द महासागर का सर्वेक्षण

†*४७७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मन्त्री** १८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सोवियत जहाज 'विशियाज' द्वारा हिन्द महासागर के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में आगे और क्या प्रगति हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : 'विशियाज़' जहाज द्वारा किये जा रहे अनुसन्धान कार्य में भाग लेने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये तीन वैज्ञानिकों की रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो चुकी है। यद्यपि इस जानकारी का अभी तुरन्त ही कोई उपयोग नहीं किया जा सकता, तथापि जहां तक हिन्द महासागर के बारे में हमारे ज्ञान में इससे वृद्धि हुई है। यह जानकारी वनस्पति और जानवरों के बारे में और हमारी तटरेखा के साथ साथ समुद्र में मछली पकड़ने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की स्थिति के बारे में है।

छोटे पैमाने के उद्योग

†*४७८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों की उन्नति के लिये रिजर्व बैंक ऋण प्रत्याभूति योजना से छोटे उद्योगपतियों ने लाभ उठाया है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों के छोटे पैमाने के उद्योगों ने अब तक इस योजना से लाभ उठाया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां।

ख) १२ नवम्बर १९६० तक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को निम्नलिखित राज्यों से प्रत्याभूति के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं :

१. महाराष्ट्र
२. पंजाब
३. राजस्थान
४. उत्तर प्रदेश
५. पश्चिम बंगाल
६. गुजरात
७. दिल्ली

---

†मूल अंग्रेजी में

अफ्रीकी देश छोड़ने वाले भारतीय

†*४७९. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्भव के जो व्यक्ति कुछ अफ्रीकी देशों को छोड़कर भारत आ रहे हैं उनके सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या उस स्थिति में कोई सुधार हुआ है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). जहां तक भारत सरकार को ज्ञात है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह प्रकट होता हो कि ये लोग उन देशों को, जिन्हें इन लोगों ने अपना लिया है, छोड़ना चाहते हैं। कांगो की अनिश्चित स्थिति के अतिरिक्त, अफ्रीका के अन्य देशों में स्थिति पहले की तरह सामान्य है।

उत्तर प्रदेश में उर्वरक का कारखाना

*४८०. { श्री भक्त दर्शन :
श्री कालिका सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक उर्वरक का कारखाना स्थापित करने के प्रश्न के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : उत्तर प्रदेश के बारे में उर्वरक टेक्निकल समिति की रिपोर्ट मिल गई है, जिसकी जांच की जा रही है।

औद्योगिक प्रक्रिया उपकरण[1]

†*४८१. { श्री रा० चं० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री वर्ष १९५९–६० की अपने मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ ९५ पर पैरा ४६ के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक प्रक्रिया उपकरण, जैसे पायरोमीटर्स, टैम्परेचर रेकार्डर्स कन्ट्रोलर्स, थरमो-कपल्स और मल्टी-पाइंट रेकार्डर्स, कब तक तैयार किये जा सकेंगे ; और

(ख) वर्ष १९५९-६० में कुल कितने मूल्य की ये वस्तुयें विदेशों से मंगाई गयी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अनुमान है कि इस किस्म के उपकरणों का उत्पादन १९६१ में शुरू हो जायेगा। शुरू-शुरू में सादे किस्म के उपकरण बनाये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Industrial Process instrument.

(ख) इद उपकरणों के आयात के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और मेडिकल उपकरणों और साज सामान के अतिरिक्त वर्ष १६५६-६० में कुल ३.६७ करोड़ रुपये के मापने वाले, नियंत्रण करने वाले और वैज्ञानिक तथा विद्युत् उपकरणों का आयात किया गया।

भारतीय बाजारों में विदेशी माल

†*४८३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली के बाजार विभिन्न प्रकार की विलासिता की और अनावश्यक विदेशी उपभोक्ता वस्तुओं से भरे पड़े हैं ; और

(ख) सरकार ने इस विषय में क्या अनुमान लगाया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). मुख्यतः बम्बई, लकत्ता और नई दिल्ली मार्केटों के कुछ भागों में विदेशों में बनी उपभोक्ता वस्तुओं के कुछ मात्रा में उपलब्ध होने का समाचार मिला है। इन में से कुछ चीजों के आयात के लिये अभी कुछ कोटे दिये जाते हैं। कुछ चीजें, खेल का सामान निर्यात संवर्धन और पर्यटक संवर्धन लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत मंगवाई जाती हैं। इस बात की भी कुछ संभावना हो सकती है कि मार्केट में ये वस्तुयें गैर-कानूनी तरीकों से लायी गयी हों, हालांकि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इस मामले में बड़ी सतर्कता बर्ती जाती है।

चीनी सेना को चीजें पहुंचाने वाले भारतीय व्यापारी

†*४८४. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक ५ अक्तूबर, १९६० के 'दि करेंट' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कुछ मारवाड़ी व्यापारी तिब्बत पर कब्जा जमाने वाली चीनी सेना को खाना और दैनिक उपयोग की वस्तुयें पहुंचाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूरे तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) से (ग). सरकार ने यह समारचार देखा है किन्तु इस बात का शक करने का कोई कारण नहीं कि वहां पर बड़े पैमाने पर चोरी छिपे माल भेजा जाता है।

मद्रास में अस्पताल

†*४८५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा मद्रास में १०० पलंग वाला एक अस्पताल बनाने की दिशा में आज तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक कुल कितनी रकम खर्च की गयी है ; और

(ग) उसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) अस्पताल की मुख्य इमारत का बहुत सा भाग लिंटल स्तर तक पहुंच चुका है ।

(ख) ४·७५ लाख रु० ।

(ग) अगस्त, १९६१ तक ।

आसाम राइफल्स

†*४८६. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम राइफल्स का मुख्य कार्यालय सिल्चर ले जाया जा रहा है और छावनी के लिये जगह चुन ली गयी है ;

(ख) क्या जनता के इन अभ्यावेदनों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि सिल्चर में विमान परिस्थितियों में प्रस्तावित छावनी नगर की सीमाओं से कुछ दूरी पर बनाई जाये; और

(ग) यदि हां, तो उस विषय में सरकार की क्या राय है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**: (क) आसाम राइफल्स के मुख्य कार्यालय को सिल्चर नहीं ले जाया जा रहा । किन्तु वहां पर एक 'रेंज' कार्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिसका उस सेना के एक भाग पर क्षेत्राधिकार होगा । सिल्चर में छावनी के लिये कोई स्थान नहीं चुना गया ।

(ख) पश्चिम सिल्चर विकास तथा कल्याण समिति और सहायता तथा कल्याण समिति, सिल्चर की ओर से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे ।

(ग) नगर पालिका की सीमा के अन्दर छावनी स्थापित करने की कोई प्रस्थापना नहीं है । अतः सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

दिल्ली में भूमिगत जल की सतह

†*४८७. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री राधा रमण :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी दिल्ली में भूमिगत जल की सतह चढ़ रही है ;

(ख) यदि हां तो किन किन इलाकों में ; और

(ग) उन इलाकों में भूमिगत जल की सतह का उंचा होना रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) पुरानी दिल्ली में भूमिगत पानी की सतह के बारे में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया ;

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी

†*४८८. **श्री सै० अ० मेहदी :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना बनायी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन कम्पनियों में वह योजना लागू की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२]**

पाकिस्तान से प्रत्यर्पण सन्धि

†*४८९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री अगाड़ी :
श्री वोडयार :

क्या **प्रधान मंत्री** १८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान को प्रत्यर्पण संधि का जो मसविदा भेजा गया था, क्या उस पर पाकिस्तान सरकार की राय प्राप्त हो गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : जी नहीं ।

घड़ियों का निर्माण

†*४९०. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री झूलन सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फ्रांस, जापान, इटली और पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से घड़ियों के उत्पादन के लिए स्वीकृत योजनाओं में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

जापानी फर्म के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में जो कारखाना स्थापित किया जाने वाला है उसके अगले वर्ष के अन्त तक उत्पादन शुरू कर देने की आशा है। जो भारतीय प्रतिनिधिमण्डल जापान गया था, उसकी रिपोर्ट की अब भी जांच की जा रही है। इस समय भूमि प्राप्त करने के बारे में बात-चीत चल रही है। कुछ जापानी टेक्नीशियनों के शीघ्र ही आकर प्रायोजना कार्य संभाल लेना की आशा है।

२. भारतीय फर्म ने, जो कि फ्रांसीसी फर्म के साथ सहयोग करना चाहती है, एक सहयोग करार का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया है। उसकी जांच कर ली गई है और उसे मंजूर किया जा रहा है।

३. दो अन्य फर्में जो इटली तथा जर्मन फर्मों के साथ सहयोग करार के प्रारूप की अभी प्रतीक्षा है।

अलार्म घड़ियां

†*४९२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलार्म घड़ियां बनाने के लिए हैदराबाद में एक कारखाना खोलने की कोई योजना अंतिम रूप से तैयार की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) एक स्विस फर्म और एक फ्रांसीसी फर्म के सहयोग से हैदराबाद में प्रतिवर्ष १,२०,००० अलार्म घड़ियां बनाने के सम्बन्ध में, नई दिल्ली के श्री सी० सी० देसाई की स्थापना को अगस्त, १९६० में मंजूरी दे दी गयी थी। सहयोग की इस प्रस्थापना में पूंजी लगाने और स्वामिस्व की अदायगी की बातें शामिल हैं।

तिब्बती शरणार्थी

†७७९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** १८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बती शरणार्थियों को कृषि भूमि अलाट करने की प्रस्थापना को अब अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक तिब्बती शरणार्थी को कितने एकड़ भूमि देने का विचार है ; और

(ग) तिब्बती शरणार्थियों में से कितने लोगों ने स्थायी रूप से भारत में बसने की इच्छा प्रकट की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). ५०० तिब्बती शरणार्थियों को उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में भालूकपंग क्षेत्र में और ३००० शरणार्थियों को मैसूर राज्य के पेरियापतन तालुका में बसाने का विचार है। भालुकपंग में शरणार्थी पहुंच गये हैं। भालुकपंग में प्रत्येक परिवार को ३ से ५ एकड़ तक भूमि दी जायेगी। मैसूर में पांच व्यक्तियों के प्रत्येक परिवार को पांच एकड़ भूमि दी जायेगी। शरणार्थी दिसम्बर के प्रारम्भ में मैसूर पहुंच जायेंगे। लद्दाख में १२०० तिब्बती शरणार्थियों को भूमि पर बसाने का विचार है। इस योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

ठेके के मजदूरों सम्बन्धी सर्वेक्षण

†७८०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच चुने हुए उद्योगों में ठेके के श्रमिकों की स्थिति के सम्बन्ध में श्रम कार्यालय, शिमला के निदेशक द्वारा किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्टों की जांच सरकार द्वारा कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). अब तक प्राप्त चार रिपोर्टों पर अभी तक सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय

†७८१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६० के पश्चात् भारत-पश्चिम पाकिस्तान सीमा से पाकिस्तानियों ने कितने भारतीय राष्ट्र जनों का अपहरण किया है ;

(ख) इन में से कितने भारतीयों को छोड़ दिया गया है ; और

(ग) शेष लोगों की रिहाई के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) छः।

(ख) दो।

(ग) अपहरण किये गये दो लोगों की रिहाई में देर इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तानियों का यह दावा है कि वे लोग पाकिस्तानी राष्ट्रजन हैं। स्थानीय अधिकारियों ने उनके घरों में जाने का निश्चय किया है ताकि यह पता लग सके वे भारत में हैं अथवा पाकिस्तान में। शेष दो स्त्रियां हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि उन में से एक ने एक पाकिस्तानी राष्ट्रजन से शादी कर ली है। दूसरी के बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिली।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटर गाड़ियों का उत्पादन

†७८२. **श्री मुरारका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०–५१ में मोटर गाड़ियों का उत्पादन कितना था ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस का लक्ष्य क्या था, इस अवधि में इसे कहां तक पूरा किया गया और इसके लिए कितनी धन-राशि निर्धारित की गयी थी तथा कुल कितनी रकम व्यय की गयी ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य रखा गया था, अब तक इसे कहां तक पूरा किया गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसके लिए कितनी रकम निर्धारित की गयी है और अब तक कुल कितनी रकम खर्च की गयी है ; और

(घ) अगर लक्ष्य प्राप्ति में कोई कमी रह गयी है तो उसका क्या कारण है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) वर्ष १९५० और १९५१ में क्रमशः १४,०६२ और २२,२६९ मोटर गाड़ियों का उत्पादन हुआ ।

(ख) और (ग). पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में उत्पादन के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और कुल जितना उत्पादन हुआ, उसका ब्योरा नीचे दिया जा रहा है ;

उत्पादन के लक्ष्य		वास्तविक उत्पादन		
१९५५–५६	१९६०–६१	१९५५	१९५६	१९६० (जनवरी से सितम्बर)
३०,०००	६५,०००	२३,०८४	३२,१३८	३८,०४४

दिसम्बर, १९५५ के अन्त तक देश के छः मोटर-गाड़ी –निर्माण कारखानों में जमीन, इमारतों , संयंत्रों तथा मशीनों पर कुल ७·४ करोड़ रु० की पूंजी लगी हुई थी । दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस विनियोजन के ४३·०० करोड़ रु० तक हो जाने की सम्भवाना है ।

(घ) विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कुछ कमी रह गयी है ।

मोटर-साइकल और स्कूटर

†७८३. **श्री मुरारका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०–५१ में देश में मोटर साइकलों और स्टकूरों का उत्पादन कितना था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रथम पंच वर्षीय योजना में इनके उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, कितना वित्तीय आवंटन किया गया था तथा कुल कितनी धन-राशि व्यय की गयी थी ;

(ग) दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है अब तक उसे कहां तक पूरा किया गया है तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस के लिए कितनी धन राशि निर्धारित की गयी तथा अब तक कुल कितनी रकम खर्च की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) कुछ नहीं ।

(ख) पहली पंच वर्षीय योजना में इस के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था । किन्तु १९५५ में मोटर साइकिलों और स्कूटरों का उत्पादन शुरू हो गया था और १९५५ और १९५६ में स्कूटरों और मोटर साइकलों के उत्पादन का ब्योरा नीचे दिया जाता है :

वर्ष	मोटर साइकलों का उत्पादन	स्कूटरों का उत्पादन
१९५५ .	४१९	५३६
१९५६ .	१,०२२	४,७३५

(ग) दूसरी पंच वर्षीय योजना में प्रतिवर्ष ११००० मोटर-साइकलों तथा स्कूटरों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था । इस वर्ष, सितम्बर, १९६० तक १२,२३३ की संख्या में इनका उत्पादन हुआ । और अनुमान है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक प्रतिवर्ष २४ ००० मोटर साइकलों तथा स्कूटरों का उत्पादन होने लगेगा । इन दोनों उद्योगों के लिए अलग से कोई धन राशि निर्धारित नहीं की गयी । किन्तु इन उद्योगों में २ करोड़ ३४ लाख रुपये की स्थिर पूंजी लगी हुई है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बॉल और रोलर बेअरिंग

†**७८४. श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०-५१ में बॉल और रोलर बेअरिंग्ज का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) पहली पंच वर्षीय योजना के लिए कितना लक्ष्य था, उसी अवधि में कितना उत्पादन हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना अवधि में कितनी रकम उस के लिए नियत की गयी थी और कितनी रकम वास्तव में खर्च की गयी ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए लक्ष्य क्या है, अब तक कितना उत्पादन हुआ है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उसके लिए कितनी रकम नियत की गयी है और अब तक कितनी रकम वास्तव में खर्च की गयी है ; और

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने में यदि कोई कमी रही तो उस के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनभाई शाह)** : (क) १९५१ में उत्पादन २,३४,३८३ संख्या का था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना में १२ से १३ लाख संख्या का उत्पादन लक्ष्य रखा गया था। १९५६ में वास्तविक उत्पादन १०.४ लाख संख्या हुआ। इस उद्योग के लिए कोई रकम नियत नहीं की गयी थी।

(ग) और (घ). दूसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य २४ लाख संख्या का था। आशा है कि १९६० में लक्ष्य से अधिक उत्पादन हो जायेगा। विनियोजन का लक्ष्य ५० लाख रुपये था और दूसरी योजना के पहले दो वर्षों में वास्तविक विनियोजन २६.५ लाख रुपये का हुआ।

बिजली से चलने वाले पम्प

†७८५. **श्री मुरारका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०-५१ में बिजली से चलने वाले पम्पों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना के लिए कितना लक्ष्य था, उसी अवधि में कितना उत्पादन हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना अवधि में कितनी रकम उसके लिए नियत की गयी थी और कितनी रकम वास्तव में खर्च की गयी ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए लक्ष्य क्या है, अब तक कितना उत्पादन हुआ है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उसके लिए कितनी रकम नियत की गयी है और अब तक कितनी रकम वास्तव में खर्च की गयी है ; और

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने में यदि कोई कमी रही हो तो उस के कारण क्या हैं?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) उत्पादन के आंकड़े कलैण्डर वर्ष के अनुसार और संख्या में रखे जाते हैं। कलैण्डर वर्ष १९५० और १९५१ में उत्पादन आंकड़े क्रमशः ३३,२९२ संख्या और ४७,९८९ संख्या है।

(ख) और (ग). पहली पंचवर्षीय योजना में बिजली से चलने वाले पम्पों के संबंध में कोई निश्चित लक्ष्य नहीं रखा गया था फिर भी, अनुमान है कि पहली योजना के अन्त में उत्पादन ४०,००० संख्या के लगभग था। इस अनुमान के मुकाबले में, १९५६ में वास्तविक उत्पादन ४६,८८१ संख्या का था।

दूसरी पंच वर्षीय योजना में बिजली से चलने वाले पम्पों के संबंध में ८६,००० संख्या का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। १९५९ में वास्तविक उत्पादन ८५,०६७ संख्या का था और इसी वर्ष (जनवरी–सितम्बर, १९६०) वास्तविक उत्पादन ७२,९०० संख्या का रहा।

पहली योजना में और दूसरी योजना में भी इस उद्योग के लिए कोई रकम नियत नहीं की गयी थी।

(क) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोमांस और गाय की खालों का निर्यात

७८६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में दूसरे देशों को होने वाले गोमांस और गाय की खालों के निर्यात में कोई कमी हुई है और यदि हां, तो उस के वर्षवार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष दूसरे देशों को कितने मूल्य के गोमांस और गाय की खालों का निर्यात किया गया ;

(ग) यह निर्यात किन-किन पत्तनों से किया गया ; और

(घ) क्या यह निर्यात स्वयं सरकार द्वारा किया जाता है या कि गैर-सरकारी फर्मों द्वारा और यदि फर्मों द्वारा किया जाता है, तो उन के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). पशुओं के मांस तथा गाय की खालों के निर्यात के आंकड़े १९५७ से पहले अलग नहीं रखे जाते थे । १९५७ से निर्यात के मूल्य के बारे में जितनी भी जानकारी उपलब्ध है वह नीचे दी गई है :—

वर्ष	गाय/बछड़े की खालें (कमाई हुई) (मूल्य रु० में)	पशुओं का मांस (मूल्य रु० में)
	लाख	लाख
१९५७	७६	३.४
१९५८	५०	०.४
१९५९ . .	११९	५.३
१९६० (जन०—अगस्त) . . .	६६	२.७

(ग) बम्बई, कलकत्ता, तथा मद्रास

(घ) निर्यात निजी फर्मों द्वारा किया गया । उनके नाम उपलब्ध नहीं हैं ।

महाराष्ट्र में लघु उद्योग

†**७८७. श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में महाराष्ट्र में लघु उद्योग सेवा संस्थाओं में कितने व्यक्तियों को व्यापार प्रबन्ध का प्रशिक्षण दिया गया ; और

(ख) उन पर कितना खर्च किया गया ?

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) १५३।

(ख) भाषण देने के लिए आमंत्रित अतिथि वक्ताओं को पारिश्रमिक के तौर पर २१० रुपये खर्च किये गये । संस्था से सम्बद्ध पदाधिकारियों और कर्मचारियों को, जिनकी सेवाएं प्रशिक्षण देने के लिए काम में लायी जाती हैं अन्य कामों पर भी लगाया जाता है । इसलिए संस्थापना के वेतन आदि पर के खर्च में से केवल व्यापार प्रबंध के प्रशिक्षण का खर्च अलग से बिलकुल ठीक-ठीक नहीं निकाला जा सकता ।

महात्मा गांधी के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के रेकार्ड तैयार करना

†**७८८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं का आकाशवाणी द्वारा रेकार्ड तैयार करने की योजना कार्यान्वित करने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या उस ने भारत छोड़ो आन्दोलन सम्बन्धी घटनाओं का रेकार्ड तैयार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) "गांधी एण्ड टाल्सटाय" शीर्षक का अंग्रेजी में पाचवां रेडियो डाक्यूमेन्टरी फीचर २ अक्तूबर, १९६० को प्रसारित किया गया था ।

(ख) और (ग). अभी नहीं ।

आइसोटोप

†**७८९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंच वर्षीय योजना में आइसोटोप के उत्पादन के लिए निर्धारित किये गये कुल लक्ष्य क्या हैं ;

(ख) ये लक्ष्य कहां तक प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में लक्ष्य पूरे हो जायेंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) दूसरी पंच वर्षीय योजना के लिए आइसोटोप के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं । फिर भी यह कहा जा सकता है कि 'अप्सरा' में आइसोटोप का उत्पादन उस मात्रा से कहीं अधिक बढ़ गया है जिसकी कल्पना रिएक्टर बनाते समय की गयी थी । बड़े आइसोटोप के लिए वर्तमान उत्पादन क्षमता देश में वर्तमान मांग से कहीं अधिक है और उनके निर्यात किये जाने की संभावनाओं की छानबीन की जा रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में लघु उद्योग

†७९०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विस्थापित व्यक्तियों के लिए १९५९–६० में कितने लघु उद्योग एकक स्थापित किये गये ; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

लंका से भारत को प्रव्रजन

†७९१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त १९६० से कितने भारतीयों ने लंका से भारत को प्रव्रजन किया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : २७ अगस्त, १९६० से १२ नवम्बर, १९६० तक १४६१ भारतीय राष्ट्रजनों ने लंका से प्रव्रजन किया है, जिनमें से १२१९ भारतीय स्वयं अपनी इच्छा से और २४२ 'खाली करने के आदेशों' के आधार पर आये हैं ।

'वक्फ' सम्पत्ति को छोड़ना

†७९२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में अभी तक कितनी वक्फ सम्पत्ति को छोड़ा गया है ; और

(ख) उसकी उचित देखभाल के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). यह सूचना अभी संग्रह की जा रही है और संग्रह हो जाने पर पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में भारत सेवक समाज

†७९३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज को १९५९–६० और १९६०–६१ में अभी तक उत्तर प्रदेश के लिये अनुदानों के रूप में कितनी राशि दी गई ;

(ख) इस काल में उसके कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में भारत सेवक समाज की कितनी शाखायें हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : (क) योजना आयोग की ओर से भारत सेवक समाज को १९५९–६० और १९६०–६१ में अभी तक उत्तर प्रदेश के लिये विशेष तौर पर अलग से कोई भी सहायक अनुदान नहीं दिया गया है । योजना आयोग केन्द्रीय

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत सेवक समाज को लोक कार्य क्षेत्र कार्यक्रम के लिये अनुदान देता है । उसमें से उत्तर प्रदेश में शुरू किये गये कार्यों पर व्यय हुई अनुमित राशि इस प्रकार है :

१९५९–६०	२८,९१८.०० रुपये
१९६०–६१	१६,७००.०० रुपये

(ख) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक लोक कार्य क्षेत्र के लिये व्यवस्थित राशि उस क्षेत्र में चलने वाले विकास कार्यों में जनता का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के लिये व्यय की जाती है ।

(ग) योजना आयोग के पास ऐसा कोई विवरण नहीं है ।

चीन के लिये पारपत्र

†७९४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में कितने भारतीयों को चीन जाने के लिये पारपत्र दिये गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पिछले तीन महीनों में २४४ भारतीयों को चीन यात्रा के लिये पारपत्र दिये गये थे, उन में ८८ सरकारी अधिकारी और राजनयिक सेवा के लोग थे ।

उड़ीसा में भारत सेवक समाज

†७९५. **श्री कुम्भार** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज को उड़ीसा राज्य में कार्य करने के लिये द्वितीय योजना काल में अब तक प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) उड़ीसा राज्य के विभिन्न जिलों में समाज की कौन कौन शाखायें काम कर रही हैं ; और

(ग) उल्लिखित काल में प्रत्येक शाखा ने अपने अलग अलग कार्यों पर कितनी राशि खर्च की ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : (क) और (ग). योजना आयोग ने, भारत सेवक समाज के केन्द्रीय कार्यालय के जरिये, दो लोक कार्य क्षेत्रों के लिये ये अनुदान दिये हैं :—

(१) १९५६–५७.	. बिल्कुल नहीं ।
(२) १९५७–५८.	बिलकुल नहीं ।
(३) १९५८–५९.	५००.०० रुपये
(४) १९५९–६०.	६,७०९.०० रुपये
(५) १९६०–६१ (अभी तक) . .	४,९००.०० रुपये

ये अनुदान दो लोक कार्य क्षेत्रों—(१) खीरा, बालासोर जिले में (जो १९५९ में शुरू हुआ) और (२) सखिगोपाल, पुरी जिले में (१९५९–६०) के लिये दिये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रति वर्ष प्रत्येक क्षेत्र के लिये ५,००० रुपये का अनुदान दिया जाता है, जिसका आधार पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३]

(ख) योजना आयोग को इसकी जानकारी नहीं है ।

संयुक्त राष्ट्र संगठन के लिये तिब्बती प्रतिनिधि-मंडल

†७९६. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री पाणिग्रही :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संगठन के लिये जाने वाले तिब्बती प्रतिनिधि-मंडल ने सरकार कोई सुविधा चाही है ; और

(ख) उसको कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) दलाई लामा के तीन प्रतिनिधियों ने यात्रा-ज्ञापनों और विदेशी मुद्रा के लिये सरकार से अनुरोध किया था ।

(ख) उन में में प्रत्येक को ७,५०० रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा दी गई थी ।

विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

†७९७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आ कर पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में बसने वाले विस्थापित व्यक्तियों को अभी तक पुनर्वास ऋण दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ये ऋण दिये गये ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को ऋण नहीं मिले ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) से (ग) आसाम, त्रिपुरा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बसने वाले लगभग १.६६ लाख परिवारों को पुनर्वास ऋण दिये जा चुके हैं । बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बसे लगभग ७०० परिवारों को ऋण देने के मामले पर विचार किया जा रहा है । अनुमान है कि आसाम और त्रिपुरा में बसे और ६,००० परिवारों को ऋण दिये जायेंगे ।

ओखला औद्योगिक बस्ती

†७९८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५२१ के उत्तर के सम्बन्ध में, यह बताने की

---

†मूल अंग्रेजी में

कृपा करेंगे कि ओखला में औद्योगिक बस्ती के प्रसार की योजना के अन्तर्गत, जिसका भार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को सौंपा गया था, फैक्टरियों के लिये ४० इमारतों के निर्माण के काम में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : कारखानों के लिये जिन ४० इमारतों का निर्माण चल रहा है, उन में से ३२ मार्च, १९६१ तक और बाकी ८ मई, १९६१ तक पूरी तैयार हो जायेंगी ।

ट्रैक्टर

†७९९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४९४ के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषीय ट्रैक्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये जिन चार फर्मों को अनुज्ञप्तियां दी गई थीं, उन में से एक ने सितम्बर, १९६० से उत्पादन शुरू कर दिया है । उसने सितम्बर में २० ट्रैक्टर तैयार किये थे और आशा है कि नवम्बर में ५० ट्रैक्टर तैयार करेगी ।

हाल में मशीनों/उपकरणों के आयात के लिये दो और निर्माताओं के प्रार्थना पत्र मंजूर किये गये हैं और वे भी जल्द ही उत्पादन शुरू कर देंगे ।

विदेशी द्वारा एक कार का विक्रय

†८००. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्पीरियल इथोपियन एम्बैसी (दूतावास) के तृतीय सचिव, श्री डेनियल एम्बात्चैव ने अपना तबादला होने पर वापस जाते समय सरकार की अनुमति लिये बिना ही अपनी कार बेच दी थी और भारत छोड़ते समय उन को गिरफ्तार कर लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई, या करने का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) उस सौदे को रद्द कर दिया गया था और श्री अम्बात्चैव को, वह कार अपने दूतावास को सौंपने के बाद, भारत से जाने की अनुमति दे दी गई थी । उस मामले का विवरण इथोपिया सरकार को बता दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). जी, नहीं। फिर भी, सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं कि जिनके कारण ऐसी कोशिशों को नाकाम किया जा सके और जिनको ऐसी कारें बेची जाती हैं वे उनको न मिल सकें। जो भी कदम उठाये गये हैं, या उठाये जाने वाले हैं, उनका ब्यौरा बताना लोकहित में नहीं है।

भिखमंगे

†८०१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बै० च० मलिक :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भिखमंगों की वृद्धि रोकने के लिये योजना आयोग द्वारा संस्थापित गवेषणा योजनाओं के जरिये किये जाने वाले अध्ययन के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : गवेषणा कार्यक्रम समिति ने भिखमंगी की समस्या के सम्बन्ध में ये दो अध्ययन शुरू कराये थे :—

(१) राजधानी दिल्ली में भिखमंगी की समस्या (जिसका अध्ययन 'दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क' ने किया है) ; और

(२) मद्रास शहर में भिखमंगी की समस्या (जिसका अध्ययन 'मद्रास स्कूल आफ सोशल वर्क' ने किया है)।

इन दोनों अध्ययनों से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रकाशित किये जा चुके हैं और उनकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में रख दी गई है।

सिंचाई सम्बन्धी निर्माण-कार्य

†८०२. **श्री बहादुर सिंह :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या **योजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि एक विधान बनाकर गांव पंचायतों को यह शक्ति दे दी जाये कि वे सिंचाई निर्माण-कार्यों से लाभान्वित होने वाले लोगों पर उनका कुछ दायित्व भार रखा जा सके ;

(ख) क्या इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारों को अनुदेश भेजे गये हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)**: (क) और (ख). जी, हां। देहाती क्षेत्रों की जन-शक्ति के संसाधनों का और अधिक उपयोग करने के लिये योजना आयोग द्वारा दिये गये सुझावों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन सभी राज्य सरकारों को जनवरी १९६० में योजना आयोग द्वारा भेजा गया था। उस ज्ञापन की एक प्रति ४ मार्च, १९६० को तारांकित प्रश्न संख्या ६२४ के उत्तर में सभा-पटल पर रखी जा चुकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ज्ञापन के एक भाग में कुछ प्रकार के छोटे सिंचाई निर्माण-कार्यों के निर्माण तथा संधारण का दायित्व उनसे लाभान्वित होने वाले लोगों को सौंपने की बात कही गई है। उसमें सुझाव दिया गया है कि विधान बनाकर उन दायित्वों का पालन कराने की शक्ति गांव पंचायतों को प्रदान की जाये ।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों से पता चला है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, आसाम और मसूर राज्यों में इस प्रकार के विधान के अधिनियमन पर विचार किया जा रहा है । केरल और आंध्र प्रदेश में ऐसे विधेयकों का प्रारूप तैयार कर लिया गय है । उड़ीसा, बम्बई और राजस्थान सरकारें सिंचाई परियोजनाओं की केवल कुछ हीा श्रेणियों के बारे में ये सुझाव मानने को तैयार हैं । जम्मू तथा कश्मीर और बिहार सरकारों ने इनके बारे में अपनी कोई स्पष्ट राय नहीं बताई है । पंजाब सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर के यह व्वयवस्था कर दी है कि यदि खेती की नहरों से लाभ न्वति होने वाले लोग उनके निर्माण, संधारण और उनकी लागत की वसूली के काम में चूक जायें, तो सरकार उसे करेगी । मद्रास ने अभी अपना अन्तरिम उत्तर ही भेजा है ।

फिल्म प्रोडक्शन ब्यूरो

†८०३. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 'फिल्म प्रोडक्शन ब्यूरो' की स्थापना में जो वैधानिक कठिनाई महसूस की जा रही थी वह अब दूर हो गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : काफी सोच-विचार के बाद, यही निर्णय किया गया है कि 'फिल्म-प्रोडक्शन ब्यूरो' की स्थापना की योजना को आगे न बढ़ाया जाये ।

पंजाब में निष्काम्य भूमि का नीलाम

†८०४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब की मोहिन्द्रगढ़ तहसील और चरखी-दादरी नगरों में १९५८ और १९५९ में निष्काम्य कृषीय भूमि के प्लाटों की एक बड़ी संख्या में नीलामी हुई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके विक्रय की परिपुष्टि रोक दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उस विक्रय को अनुमानतः किस तिथि तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, हां ; १०० प्लाटों का नीलाम हुआ था ।

(ख) जी नहीं ; उन सभी प्लाटों के विक्रय की या तो परिपुष्टि कर दी गई है, या उसे रद्द कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) विक्रय को अन्तिम रूप तभी दिया जायेगा जब उनके खरीददार नकदी या अपने प्रतिकर की राशि के समायोजन द्वारा उनका पूरा मूल्य चुका देंगे ।

पाकिस्तान में भारतीय सीमेंट फैक्टरी

†८०५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **प्रधान मंत्री** २२ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२ और ९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २५० के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार द्वारा पाकिस्तान-स्थित एक भारतीय स्वामित्व की सीमेंट फैक्टरी को खरीदने की वार्ता अब पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दण्डकारण्य योजना के अन्तर्गत बांध

†८०६. **श्री पाणिग्रही :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य क्षेत्र में भास्कल नदी पर उमरकोट में और सत्तीगाड़ा नदी पर मल्कानगिरि में मिट्टी के बांधों के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इन दो सिंचाई परियोजनाओं पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) और (ख). उमरकोट के पास भास्कल नदी पर बनने वाले बांध का निर्माण निकट भविष्य में शुरू होने की आशा है । मानसून के दिनों में उस पर कोई काम नहीं किया जा सका। सत्तीगाड़ा नदी के बांध की परियोजना अभी मंजूर नहीं की गई है ।

उत्तर प्रदेश में छपाई और लिखने के कागज के कारखाने

८०७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विभिन्न कम्पनियों ने अलग-अलग इस बीच क्या प्रगति की है जिन्हें उत्तर प्रदेश में छपाई और लिखने के कागज के कारखाने खोलने की अनुमति दी गई थी और इस सम्बन्ध में जिनके प्रस्ताव विचाराधीन थे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** मांगी गई जानकारी निम्न प्रकार है :—

उत्तर प्रदेश में कागज के नये कारखाने खोलने के लिये जिन आठ योजनाओं को औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं, उनमें से निम्नलिखित को संयंत्र और उपकरणों का आयात करने के लाइसेंस मंजूर किये गये हैं :—

(१) नार्दर्न इण्डिया पेपर मिल्स, मेरठ ।

(२) आनन्द पेपर इण्डस्ट्रीज, गाजियाबाद ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इनमें से पहला कारखाना फ्रांसीसी संभरणकर्त्ता को आर्डर दे चुका है । दूसरा कारखाना अभी विदेशी मशीन संभरणकर्त्ताओं से पत्र व्यवहार कर रहा है तथा उसने निश्चित रूप से आर्डर देने के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं किया है। शेष छः कारखानों में अभी तक कोई खास प्रगति नहीं की है ।

२ तिसम्बर, १९६० को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २०३९ के उत्तर में वर्ग (३) में वर्णित ३ फर्मों में से दो से संयंत्र तथा उपकरणों के देशी निर्माताओं से सम्पर्क स्थापित करने को कहा गया है। तीसरे आवेदनकर्ता, मैसर्स सुरेन्द्र ओवरसीज (प्रा०) लि० से अपनी योजना का और भी ब्यारा देने का कहा गया है, जो पूरा नहीं था । उनके अन्तिम उत्तर की अभी प्रतीक्षा है ।

क्रेप सोल रबर का निर्यात

†८०८. **श्री वारियर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने क्रेप सोल रबर के निर्यात का अभ्यंश देने के प्रश्न के बारे में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा निर्धारित की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी ; हां ।

(ख) चालू वर्ष के लिये १०० टन निर्यात अभ्यंश निर्धारित किया गया है ।

मुद्रण मितव्ययता समिति का प्रतिवेदन

†८०९. **श्री सा० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हाल्दर :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुद्रण की किस्म बेहतर बनाने और उसमें मितव्ययता करने के सम्बन्ध में समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्रतिवेदन की किन किन मुख्य बातों को स्वीकार किया है ; और

(ग) समिति की नियुक्ति से पहले, मुद्रण की किस्म बेहतर बनाने और उसमें मितव्ययता करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही थी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करते हुए समिति की सिफारिशों की परीक्षा की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) समिति की नियुक्ति से पहले, मुद्रण की किस्म सुधारने और उसमें मितव्ययता करने के लिये ये कदम उठाये गये थे :—

(१) भारत सरकार के कुछ बड़े बड़े प्रेसों में नौसिखियों का प्रशिक्षण ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) परीक्षण के तौर पर, नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के प्रेस में कार्य के आधार पर एक प्रोत्साहन बोनस योजना शुरू की गई थी ।

(३) मशीनों के अधिक कार्यक्षम संधारण के लिये भारत सरकार के प्रेसों में मशीनी और विद्युतीय कारखानों की स्थापना का प्रस्ताव ।

(४) उत्पादन को अधिक कार्यक्षम बनाने के लिये कलकत्ता स्थित, भारत सरकार के फॉर्म्स प्रेस में एक योजना विभाग की स्थापना और अन्य प्रेसों में भी ऐसे ही विभाग खोलने का प्रस्ताव ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

†८१०. **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्री दामानी :
श्री न० म० देव :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४९३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज अयस्क के निर्यात के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ, की स्थायी समिति से प्राप्त सिफारिशों पर इस बीच विचार किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या विचार किया गया है; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ तथा अन्य द्वारा प्रकट किये गये विचारों पर काफी विचार करने के पश्चात् एक नई निर्यात नीति की घोषणा की गई है । इस संबंध में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४].**

निर्यात संवर्द्धन

†८११. **श्री मुरारका** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बचत तथा मिली जुली कोशिश दोनों के हित में निर्यात बढ़ाने से संबंध रखने वाले संगठनों की संख्या कम करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम हुए हैं ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). यह प्रश्न विचाराधीन है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

†८१२. **श्री साधन गुप्त** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समुद्र पार भारतीय सन्था के सचिव के वक्तव्य की ओर जो दिनांक ३ सितम्बर, १९६० के स्टेट्समैन के दैनिक अंक में प्रकाशित हुआ था, दिलाया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के केन्या तथा मलाया के अनुभवी भारतीय भवन निर्माता ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन करने से इन्कार कर दिया ; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में अस्पताल का निर्माण

†८१३. **श्री दशरथ देव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष सबरूम (त्रिपुरा) में २० बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण के लिये ठेका देने से पूर्व कोई टेन्डर नहीं मांगे गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो टेंडर न मांगने का क्या कारण था ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) दो बार टेंडर मांगे गये थे किन्तु दोनों बार रद्द कर दिये गये क्योंकि जो दरें प्राप्त हुईं, वे बहुत ऊंची समझी गईं। अन्त में प्रादेशिक परिषद् की स्थायी समिति की सिफारिश पर इस का ठेका बातचीत कर के एक ठेकेदार को दे दिया गया ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नागा विद्रोही

†८१४. **श्री हेम बरूआ :**
श्री वोडयार :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री पु० र० पटेल :
श्री मा० म० गांधी :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २७ सितम्बर, १९६० को नागा विद्रोहियों ने जब कोहिमा से लगभग २० मील दूर किगवेमा ग्राम पर आक्रमण किया तो एक ग्राम सेवक मारा गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये नागा सोमान्त चुंगियों पर आक्रमण करते रहे हैं तथा सैनिकों और अन्य नागरिकों को मारते रहे हैं;

(ग) गत छः महीनों में सीमा पर ऐसे कितने सैनिक मारे गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या सरकार ने सीमा पर सुरक्षा के उपाय दृढ़ करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी हां। लगभग दस नागा विद्रोहियों का एक दल ग्राम सेवक के घर में घुस गया तथा उसे बिल्कुल पास से गोली से मार डाला। आक्रमणकारी तथा उसको उकसाने वाले उसके साथियों को इस बीच गिरफ्तार कर लिया गया है।

(ख) गत कुछ महीनों में नागा विद्रोहियों ने हमारी सीमान्त चुंगियों पर केवल एक बार आक्रमण किया है। तथापि हमारी चुंगियों, गश्ती सैनिकों तथा रक्षक यानों पर गोली चलाने की कुछ छूट पुट घटनायें हुई हैं।

(ग) पांच सैनिक तथा बारह नागरिक।

(घ) उपयुक्त उपाय किये गये हैं।

(ङ) विद्रोहियों के आक्रमणों का मुकबाला करने के लिये उस क्षेत्र में फिर से सुरक्षा सेना तैनात कर दी गई है।

कहवा

†८१५. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६, १९५७, १९५८ और १९५९ के वित्तीय वर्षों में देश में तथा समुद्र पार कहवे की बिक्री बढ़ाने तथा उस की खपत बढ़ाने के लिये कितना व्यय किया गया तथा क्या उपाय किये गये; और

(ख) कहवे की बिक्री बढ़ाने के लिये अब तक जिस रूप में प्रचार किया गया तथा जो अन्य उपाय अपनाये गये, उन में सरकार ने क्या दोष देखे तथा उन दोषों और कमियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५]**

अखबारी कागज का कोटा

†८१६. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२५९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एक्सप्रैस ग्रुप के समाचारपत्रों टाइम्स आफ इंडिया ग्रुप, हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप, स्टेट्समैन ग्रुप तथा हिन्दू द्वारा १९५९-६० में बाहर से मंगाये अखबारी कागज के आंकड़े क्या अब उपलब्ध हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक समाचार संस्थान को एक वर्ष में जितना अखबारी कागज खरीदने की अनुमति दी गई है, उस के अनुसार उन्हें जितना अखबारी कागज रखने का अधिकार है उस का हिसाब रखने के अलावा क्या सरकार ऐसा भी कोई हिसाब रखती है कि वे वास्तव में कितना अखबारी कागज काम में लाते हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं; और

(घ) पृष्ठानुसार मूल्य अनुसूची से संबंधित बातों की जांच किस प्रकार की जाती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). समाचारपत्रों द्वारा वस्तुतः कितना अखबारी कागज काम में लाया जाता है इस का विशिष्ट हिसाब नहीं रखा जाता है । तथापि, समाचार पत्र इस बात के आंकड़े देते हैं कि उनकी वर्ष भर में कितनी बिक्री हुई है, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है तथा कितने पृष्ठ प्रकाशित गये । इसके अतिरिक्त प्रत्येक पत्र के प्रकाशन में नियमितता का रिकार्ड भी रखा जाता है । हाल ही में एक सरकारी नोटिस द्वारा अखबारों से इस संबंध में आंकड़े देने के लिये कहा गया है कि वे निर्धारित फार्म पर यह लिख कर दें कि महीने भर में कितना रद्दी अखबारी कागज बेचा गया तथा कितने अखबारी कागज की खपत की गई ।

(घ) दैनिक समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) आदेश, १९६० के १२ दिसम्बर, १९६० से लागू होने के बाद ही पृष्ठानुसार मूल्य अनुसूची के संबंध में बातें मालूम होंगी ।

भारी मशीनरी औजार संयंत्र

†८१७. **श्री कालिका सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ सितम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया के मेसर्स टेक्नोएक्सपोर्ट अब भी भारी मशीनी औजार बनाने के संयंत्र के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं ;

(ख) प्रारम्भिक रिपोर्ट में ७ प्रकार की जिन मशीनों तथा २२ अन्य चीजों के बनाने का विचार किया गया है, वे क्या हैं; और

(ग) भारी मशीनों तथा प्रत्येक औजार की क्रमशः लागत लगभग क्या आयेगी और इस संयंत्र की स्थापना के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा तथा क्रय मूल्य में कितनी बचत हो सकेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जिन शर्तों के अन्तर्गत चेकोस्लोवाकिया वालों को परियोजना रिपोर्ट सौंपनी है, उन्हें तय करने के लिये उन के साथ बातचीत चल रही है ।

(ख) भारी मशीनी औजार संयंत्र में जिन २८ मशीनों के बनाने का विचार है तथा वे जिन ७ वर्गों में बाटी जायेंगी, उन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

मशीनों का वर्ग	नमूने
१. सेन्ट्रल खराद	६
२. प्लेनर	३
३. आड़े छिद्रक	४
४. सीधी बोरिंग तथा टर्निंग मिलें	३
५. प्लेनो–मिलिंग मशीनें	२
६. पीसने की मशीनें	२
७. रेडियल छिद्रक मशीनें	२
कुल : ७	२२

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस प्रक्रम पर प्रत्येक औजार के उत्पादन की लागत अथवा उस के क्रय मूल्य का अनुमान लगाना संभव नहीं है। इस संयंत्र की स्थापना के परिणामस्वरूप लगभग ५ से ६ करोड़ रुपये प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है।

कृषि मूल्यों पर मजूरी का प्रभाव

†८१८. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मजूरी संचालन समिति द्वारा कृषि मूल्यों पर मजूरी का "प्रभाव" के बारे में तैयार किये गये सरकारी पत्र की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** :(क) और (ख). यह टिप्पण स्वयं श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था और इस में मजूरी संचालन वर्ग के मार्गदर्शन के लिये उपलब्ध जानकारी दी गई है।

शिल्प संग्रहालय

†८१९. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिल्प संग्रहालय की नई दिल्ली में एक नये भवन में व्यवस्था करने का इरादा है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है तथा उस की अनुमानित लागत क्या होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). यह निश्चय किया गया है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में दिल्ली में हस्तकला संग्रहालय के लिये एक नया भवन बनवाया जाये जिस की कुल लागत ६ लाख रुपये से अधिक न हो। इस भवन के लिये स्थान चुनने, निर्माण के प्राक्कलन तैयार करने आदि से संबंधित बातों पर विचार किया जा रहा है।

अभ्रक की ईंटें

†८२०. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में अभ्रक की ईंटें बनाने का कारखाना बन्द हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या कारण है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जनवरी-अक्तूबर, १९६० में कारखाना बन्द रहा। १ नवम्बर, १९६० से यह फिर खोल दिया गया है।

(ख) इस कारखाने में बनाई जाने वाली अभ्रक की ईंटें मशीनों में अधिक समय तक काम नहीं कर पातीं और वे बड़ी फुसफुसी होती हैं, अतः उनकी पर्याप्त मांग नहीं है, विशेष रूप से इस्पात उद्योग द्वारा उन की बिल्कुल भी मांग नहीं है क्योंकि उस उद्योग की बहुत ज्यादा मजबूत विसंवाही ईंटें चाहियें जो १२०० सेन्टीग्रेड तक के उच्च तापमान में ठीक तरह से काम कर सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी उपक्रमों में नगर प्रशासन

†८२१. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी उपक्रमों की बस्तियों में एक नये प्रकार का नगर प्रशासन चालू करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). इस विषय पर सरकार विचार कर रही है ।

बोन में भारतीय राजदूतावास

८२२. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोन स्थित भारतीय राजदूतावास के भतपूर्व निसृष्ट दूत को विदेश सेवा से निकाल दिया गया है; और

(ख) उस को निकालने के क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). नहीं, श्रीमान्। विभागीय कार्यवाही अभी की जा रही है ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

†८२३. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अप्रैल, १९६० से भजगांव गोदी बम्बई को कर्मचारी राज्य बीम अधिनियम से छूट दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):** (क) और (ख). भ्रम के कारण गोदी को कर्मचारी राज्य बीमा योजना की परिधि से अलग समझा गया । ऐसी हिदायतें दे दी गयी हैं कि इसे पुनः उस योजना के अन्तर्गत लाया जाये और कर्मचारियों को सभी लाभ दिये जायेंगे जैसे मानो वहां ऐसा कभी हुआ ही न हो जब कि उसे कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत न रखा गया हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमेंट संयंत्र

†८२४. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में एक नये सीमेंट संयंत्र के लिये निर्यात-आयात बैंक से ऋण की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में प्राथमिकता सूची तैयार कर ली गई है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में किन किन उद्योगों को विदेशी ऋण के योग्य समझा जायेगा ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख) सीमेंट उद्योग के अत्यधिक महत्व के उद्योग के होने पर भी अभी तक सीमेंट के किसी भी कारखाने ने विदेशी मुद्रा के लिये निर्यात-आयात बैंक के ऋण का उपयोग नहीं किया है ।

निर्यात आयात बैंक को मैसूर राज्य में अम्मा सन्दारा में सीमेंट कारखाना स्थापित करने के संबंध में मैसूर सीमेंट्स लिमिटेड को भारत सरकार की स्वीकृति से ५५ लाख रुपये का ऋण देने की अनुमति दे दी गई है । रुपये के रूप में यह ऋण पी० एल० ४८० के दूसरे धन में से दिया जायेगा जिस का प्रबन्ध निर्यात आयात बैंक कर रहा है । मैसूर सीमेंट्स लिमिटेड ने पूंजी निर्गम द्वारा ११५ लाख रुपये इकट्ठे कर लिये हैं और १७० लाख रुपये की अनुमानित मांग में से ५५ लाख रुपये इस ऋण से उन्हें मिल गये ।

दूध का पावडर

†८२५. **श्री कुन्हन**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७७२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूध के पावडर की कथित चोरबाजारी के बारे में इस बीच जांच की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को सजा दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) दूध के पावडर की कथित बिक्री के बारे में जांच इस बीच की जा चुकी है ।

(ख) से (घ) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न किया जाता है ।

विवरण

(ख) सघन क्षेत्र समिति, ताजपुर के सभापति ने जांच की और ताजपुर के ८ गवाहों से पूछताछ की । साक्ष्य से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि दूध का ६० कार्टन पावडर चोरबाजार में

---

†मूल अंग्रेजी में

बेचा गया। यह पता नहीं लगाया जा सका कि किस को और किस दर पर पावडर बेचा गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें भी कीं :—

(१) कि सघन क्षेत्र समिति के सेक्रेटरी से बाजार दर पर दूध के ६० कार्टर पावडर का मूल्य ले लिया जाये।

(२) क्योंकि वह पावडर मुफ्त बांटने के लिये था, बेचने के लिये नहीं, क्षेत्र समिति को बाजार से ६० कार्टर पाउडर खरीद कर उस स्थान में वितरित करना चाहिये जहां वह चोरबाजारी से बेचा गया था।

(३) इस चोर बाजारी के लिये उत्तरदायी सचिव के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये कानूनी सलाह ली जानी चाहिये।

सघन क्षेत्र की योजना समिति ने उपरोक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

(ग) और (घ) तब से सघन क्षेत्र समिति का सचिव नौकरी से हटा दिया गया है और इस विषय में उस के खिलाफ आगे कार्यवाही कानूनी सलाह ले कर की जायेगी।

कांगड़ा में सहकारी चाय कारखाना

८२६. **श्री हेम राज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कांगड़ा (पंजाब) में एक सहकारी चाय का कारखाना स्थापित करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : कोई प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि पंजाब सरकार ने अभी अपनी योजना अन्तिम रूप से तैयार नहीं की है।

इंडियन अल्यूमिनियम कम्पनी

†८८२७. **श्री कोडियान :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, आलवेयी (केरल) ने कम्पनी के विस्तार के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी क्या और कितना विस्तार करना चाहती है;

(ग) क्या सरकार ने प्रार्थनापत्र के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (घ) इंडियन अल्यूमिनियम को० लिमिटेड, कलकत्ता ने आलवई (केरल) स्थित अपने वर्तमान अल्यूमिनियम स्मेलटर को लगभग ५,०८० मीट्रिक टन से बढ़ा कर १०,८५० मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेंस के लिये प्रार्थनापत्र दिया है। प्रार्थनापत्र पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

'प्योर झरिया कोलियरी' में आग लगना

†८२८. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९६० के आरम्भ में 'प्योर झरिया कोलियरी' में जमीन के भीतर आग लगने से कोयले की परतें जल कर राख हो गई थीं ।

(ख) यदि हां, तो क्या आग बुझा दी गई है;

(ग) क्या गिरने वाले क्वार्टरों से कई लोग भाग गये;

(घ) इस से प्रबन्ध को कितनी क्षति हुई; और

(ङ) सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). जमीन के अन्दर की आग पुरानी लगी हुई है जो १९५५ में संख्या १० की परत के इधर उधर के भागों में लगी थी ।

(ग) जी नहीं । ४ अक्तूबर, १९६० को जो क्वार्टर गिरे थे उन्हें काफी पहले खाली करा लिया गया था ।

(घ) जून, १९५९ से जमीन के अन्दर का काम रोक दिया गया है । कुल उत्पादन में कोई कमी न आने की खबर मिली है ।

(ङ) खान मुख्य निरीक्षक की सलाह से कोयला बोर्ड पास की एक छोटी नदी से तथा निकट वर्ती खानों में उपलब्ध आवश्यकता से अधिक पानी को पम्पों से भर कर पीड़ित क्षेत्र को पानी से भर रहा है । सतह पर भी आग बुझाई जा रही है ।

कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में जापानी प्रतिनिधि मंडल

†८२९. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में जापानी प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट पर अन्तर्मंत्रालय समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६]**

सिंचाई परियोजनायें

†८३०. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राज्य सरकारों को तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में संबंधित क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं से वित्तीय लाभ उठाने के कार्यक्रम तैयार करने का सुझाव दिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वस्तुतः क्या सुझाव दिये हैं ; और

(ग) उस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जो सुझाव दिये गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(१) राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे उपयुक्त उपाय अपनाकर अर्थात् हैड-वर्क्स नहरों, सहायक नदियों, जलमार्गों तथा खेतों में नालियों के निर्माण के कार्यक्रमों को एक साथ चला कर, सिंचाई, कृषि, सामुदायिक विकास आदि विभागों के काम में तालमेल उत्पन्न करके; परियोजना क्षेत्रों में विकास खंड स्थापित करके; प्रदर्शन फार्म स्थापित करके; नहरी पानी में फिजूलखर्ची न होने देकर, सुधरे हुए बीजों, उर्वरकों आदि की सप्लाई कर के सिंचाई की सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग उठायें । जितने अधिक क्षेत्र में इस प्रकार सिंचाई होने लगेगी, इससे सिंचाई के निर्माण कार्यों से वित्तीय लाभ होने लगेगा ।

(२) यद्यपि सिंचाई के परिणाम स्वरूप अधिक मूल्य की फसल पैदा होने लगी है और सिंचाई की व्यवस्था बनाये रखने पर व्यय भी अधिक होने लगा है, किन्तु पानी की दरों में तदनुरूप वृद्धि नहीं हुई है अतः उस में वृद्धि की आवश्यकता है । विभिन्न क्षेत्रों में अथवा प्रत्येक राज्य में सिंचाई की जो व्यवस्था है, वहां पानी की वर्तमान दरों में भी और अधिक एकरूपता लाने की दृष्टि से उन के बारे में पुनर्विचार करना चाहिये ।

(३) जिन राज्यों में पानी लेना वैकल्पिक है, वहां उस सम्पूर्ण क्षेत्र पर, जिसके लिये सिंचाई की सुविधायें दी गई हैं, एक अनिवार्य जल उपकर लगाना चाहिये, और इस बात की पर्वाह नहीं करनी चाहिये कि काश्तकार पानी लेते हैं अथवा नहीं ।

(४) जिन राज्यों में विकास कर नहीं लगा है, वहां इसे लगाने के लिये विधान बनाने के हेतु शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये तथा जहां ऐसा विधान बन चुका है, वहां उसे लागू करना चाहिये ।

(ग) अब तक विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों के सारांश का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७]**

पालमपुर में चाय बागान

†८३१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में पालमपुर, पंजाब में कितने एकड़ भूमि में चाय की खेती की गई;

(ख) क्या पिछले वर्ष से इस में कुछ वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ८,०६८.८७ एकड़ ।

(ख) और (ग). कोई वृद्धि नहीं हुई है। कांगड़ा जिले के चाय बागान मालिकों की ओर से चाय बागानों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिये चाय बोर्ड का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

ब्रिटेन में फिजी द्वारा आन्दोलन

†८३२. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी भी ब्रिटेन के कुछ समाचार पत्रों विशेषतः, "दि आवजरवर' द्वारा ब्रिटेन में फिजी के आन्दोलन को पुनर्जीवित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन में भारत के तत्कालीन कार्यकारी उच्चायुक्त श्री एम० ए० हुसैन द्वारा लिखित पत्र २८ अगस्त, १९६० के 'दि आवजरवर' के अंक में प्रकाशित हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रश्न की स्थूल रूप रेखा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) यह सच है कि कुछ समाचारपत्रों ने ब्रिटेन में फिजी की गतिविधियों का कुछ प्रचार किया है। किन्तु सामान्यतः समाचारपत्रों ने उस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

(ख) जी हां।

(ग) ७ अगस्त, १९६० के 'दि आवजरवर' के अंक में 'इंडियाज फ्रंटियर' शीर्षक के अन्तर्गत एक सम्पादकीय लेख में यह भी बताया था कि "श्री फिजी ने बड़े पैमाने पर हत्याकांड तथा अन्य जुल्मों के बारे में जो अत्याधिक गंभीर तथा बड़े आरोप लगाये थे, उन की श्री नेहरू ने बहुत मामूली ढंग से उपेक्षा कर दी।"

श्री एम० ए० हुसैन ने इन आक्षेपों का विरोध करने के लिये पत्र लिखा और प्रधान मंत्री द्वारा लोक सभा में ४ अगस्त, १९६० को दिये गये वक्तव्य का भी उल्लेख किया जिस में फिजी के निराधार आरोपों का काट किया गया है।

रबड़ का मूल्य

†८३३. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** :
श्री मणियंगाडन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के रबड़ उत्पादकों ने रबड़ का मूल्य बढ़ाने के लिये कोई अभ्यावेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) क्योंकि प्रशुल्क आयोग ने उत्पादन की लागत की हाल ही में जांच की थी और उस के आधार पर हाल ही में कच्चे रबड़ के मूल्य नियत किये गये थे, सरकार उन में हेर फेर नहीं करना चाहती।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में औद्योगिक बस्तियां

†८३४. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितनी औद्योगिक बस्तियां कायम की गयी हैं ;

(ख) उनमें से कितनी पूरी तरह काम कर रही हैं ; और

(ग) इन बस्तियों के आंशिक रूप से काम करने के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) पप्पा नाम कोडे, कोल्लकडवू, एत्तूमन्नूर, ओल्लर, ओसावाकोट और पलयाड़ में छः औद्योगिक बस्तियां कायम की गयी हैं।

(ख) सभी शेड दे दिये गये हैं। अधिकतर शेड में उत्पादन शुरू हो गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रबड़ के पौधों का पुनारोपण

†८३५. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री मणियंगाडन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रबड़ के पौधों के पुनारोपण के लिए राज सहायता की बढ़ी हुई दर को कार्यान्वित करने के लिए अखिल केरल रबड़ उत्पादक संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन पर क्या कार्रवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) अखिल केरल रबड़ कृषक संगठन, पुनलुर, केरल से इस विषय पर एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

(ख) रबड़ के पौधों के पुनारोपण के लिए राज सहायता की बढ़ी हुई दरों के संबंध में आदेश जारी करने से पहले सभी संगत बातों पर विचार कर लिये जाने के कारण, उनमें कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

नमक के उपोत्पाद

†८३६. **श्री कोरटकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी अभिकरण ने इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है कि नमक उद्योग के शेष में जिसे 'बिटर्न' कहते हैं और जो बराबर समुद्र में फेंक दिया जाता है, पोटाशियम क्लोराइड और मैगेनेशियम सल्फेट आदि जैसे अमूल्य लवण पदार्थ काफी मात्रा में होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र में नमक उद्योग के उपोत्पादों पर निर्भर कोई उद्योग चालू करने का सरकार का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नमक विशेषज्ञ समिति (१९५०) और नमक समिति (१९५८) ने 'बिटर्न' से उपोत्पाद प्राप्त करने की क्षमता की ओर ध्यान दिलाया था।

(ख) हिन्दुस्तान सा ट कम्पनी लिमिटेड और राजस्थान सरकार का क्रमशः साम्भर और डिडवाना से सोडियम स फेट निकालने का विचार है। टूटीकोरिन में नमक कारखानों से पोटाशियम क्लोराइड प्राप्त करने के लिए प्रयोग भी शुरू किये गये हैं। खारागोड़ा में सरकारी नमक कारखाने में मैगनेशियम क्लोराइड और मैगनेशियम सल्फेट बनाने का काम एक गैर-सरकारी दल को सौंपा गया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्मिक संघ

†८३७. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ सितम्बर, १९६० को दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के कौन कौन से मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ थे ;

(ख) क्या इस बीच किसी संघ की मान्यता वापस ले ली गयी है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या किसी संघ का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है और यदि हां तो कब ; और

(घ) जो कार्मिक-संघ पंजीकृत नहीं है, क्या उसे मान्यता दी जा रही है और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा)** : (क) १५ सितम्बर, १९६० को दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ ये हैं :—

(१) सेन्ट्रल पी० डब्ल्यू० डी० वर्कर्स यूनियन, नई दिल्ली

(२) सेन्ट्रल पी० डब्ल्यू० डी० इम्लायीज़ यूनियन, नई दिल्ली

(३) आल इंडिया सी० पी० डब्ल्यू० डी० (इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकैनिकल) इमप्लायीज़ यूनियन, नई दिल्ली ।

(ख) सेन्ट्रल पी० डब्ल्यू० डी० वर्कर्स यूनियन, नई दिल्ली की मान्यता उस हड़ताल में भाग लेने के कारण जो अत्यावश्यक सेवाएं निर्वहन अध्यादेश, १९६० के अधीन गैर-कानूनी घोषित की गयी थी, २४–९–१९६० से वापस ले ली गयी है।

(ग) यह ज्ञात हुआ है कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० इम्प्लायीज़ यूनियन, नई दिल्ली का पंजीकरण कार्मिक-संघों के रजिस्ट्रार ने १–९–१९६० से रद्द कर दिया है लेकिन २–११–१९६० को उस यूनियन का फिर पंजीकरण किया गया है।

(घ) इस प्रश्न पर कि क्या संघों की पुरानी मान्यता वापस ले ली जाय, सरकार विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दांतों सम्बन्धी वस्तुओं का आयात

†८३८. **श्री आचार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दंत संबंधी परिषद् ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि दातों सम्बन्धी वस्तुओं और कृत्रिम दातों का आयात बढ़ाया जाये ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि दांतों संबंधी वस्तुओं का आयात घटा देने से कितनी कठिनाई हो रही है ; और

(ग) क्या सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी और आयात बढ़ाने देगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां। नई दिल्ली के भारतीय दन्त परिषद् से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह आग्रह किया गया था कि कृत्रिम दांतों का आयात कोटा १० प्रतिशत से बढ़ाकर २५ प्रतिशत और दांतों संबंधी वस्तुओं का कोटा १२० प्रतिशत से बढ़ाकर ३०० प्रतिशत कर दिया जाये।

(ख) दांतों संबंधी वस्तुओं के सरल आयात और देशी उत्पादन को देखते हुए किसी अनुचित कठिनाई की संभावना नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आकाशवाणी, कटक

†८३९. **डा० सामतसिंहार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी कटक में १९५९ में उड़ीसी, कर्नाटक और हिन्दुस्तानी मौखिक तथा वाद्य संगीत के लिए अलग अलग एक महीने में औसतन कितना समय दिया गया ;

(ख) इस बात को देखते हुए कि अन्य आकाशवाणी केन्द्रों से अधिक अच्छा कर्नाटक और हिन्दुस्तानी संगीत प्रसारित किया जाता है क्या आकाशवाणी के कटक केन्द्र में उड़ीसी संगीत के लिए समय बढ़ाने का विचार है ;

(ग) आकाशवाणी कटक में कितने समय से पूर्णतः नाटक के लिये कोई प्रोड्यूसर नहीं है और उसके क्या कारण हैं और उसे कब नियुक्त किया जायगा ;

(घ) कार्यक्रम मंत्रणा समिति (प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी) में कितने सदस्य ऐसे हैं जिन्हें नाटक और संगीत, मौखिक अथवा वाद्य, में विशेष रुचि है ;

(ङ) क्या स्थानीय ध्वनिपरीक्षा समिति (लोकल ऑडिशन कमेटी) में ऐसा कोई सदस्य है जिसे उड़ीसी और उड़ीसा के लोक संगीत का भी ज्ञान हो ; और

(च) उपर्यक्त समिति के सदस्य किस आधार पर चुने जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) कटक स्टेशन से प्रसारित विभिन्न प्रकार के संगीत के लिए १९५९ में एक महीने में दिया गया औसत समय इस प्रकार है :—

उड़ीया संगीत	मौखिक	१४९४ मिनट
	वाद्य	१० मिनट
हिन्दुस्तानी संगीत	मौखिक	१५११ मिनट
	वाद्य	९३२ मिनट
कर्नाटक संगीत	मौखिक	१२० मिनट
	वाद्य	३६० मिनट

(ख) उड़ीसा संगीत का वर्तमान परिमाण पर्याप्त समझा जाता है।

(ग) आकाशवाणी कटक में सितम्बर, १९६० से कोई ड्रामा प्रोड्यूसर नहीं है क्योंकि उस पद पर काम करने वाले व्यक्ति का उस स्टेशन से तबादला हो गया है। उस पद के लिए विज्ञापन दिया गया है और निकट भविष्य में नियुक्ति की जायगी।

(घ) आकाशवाणी के कटक केन्द्र से सम्बद्ध कार्यक्रम मंत्रणा समिति के चार सदस्य ऐसे हैं जिन्हें संगीत और नाटक में विशेष रुचि है।

(ङ) जी हां।

(च) स्थानीय ध्वनिपरीक्षा समिति के सदस्य संगीत क्षेत्र में उनके अनुभव, ज्ञान और रुचि के आधार पर और जहां तक संभव हो उन विशेषज्ञों में से जो पेशेवर संगीतज्ञ नहीं हैं, चुने जाते हैं।

हथकरघा बुनकर

†८४०. **श्री तंगामणि** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा बुनकरों के प्रतिनिधियों ने २० सितम्बर, १९६० को आयोजन आयोग के मंत्री और सदस्यों से भेंट की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनके अभ्यावेदन किस प्रकार के थे ;

(ग) क्या यह सच है कि उन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए अधिक नियतन और निर्यात की अधिक सुविधाओं की मांग की थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में आयोजन आयोग ने क्या कार्यवाही की ?

†**योजन उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) हथकरघा बुनकरों के कुछ प्रतिनिधियों ने १७ सितम्बर, १९६० को आयोजन आयोग के एक या दो सदस्यों से अलग अलग भेंट की थी।

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) और (ग). प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन पेश किया जिसमें मुख्यत: तीसरी योजना में देश की आवश्यकतायें पूरी करने और निर्यात के लिए कपड़ा उत्पादन के लक्ष्य उद्योग के संगठित और विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों के बीच उत्पादन-क्षेत्रों को सुरक्षित रखने और हथकरघा उद्योग के लिए अधिक नियतन के बारे में कुछ सुझाव दिय हुए हैं।

(घ) सुझावों पर ध्यान दिया गया है।

नागा विद्रोही

†८४१. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री आसर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ६ नवम्बर, १९६० को ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स की जो जीपगाड़ी इम्फाल–तामू सड़क पर जा रही थी उस पर जब नागा विद्रोहियों के एक जत्थ ने गोलाबारी की तब एक लान्स नायक और सहायक ड्रायवर को गोलियां लगीं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी हां। नागा विद्रोहियों ने लगभग १५–३० बजे जीप पर गोलाबारी की जबकि यह इम्फाल से मनीपुर में तमेंगलोंग जा रही थी। एक लान्स नायक और जीप के ड्रायवर को गोलियों से चोट लगी। नजदीक की चौकी से कुमक भेजी गयी और उस क्षेत्र की खोज की गयी। आक्रमणकारी किसी तरह निकल कर भाग गये।

राजस्थान का औद्योगिक सर्वेक्षण

†८४२. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या राजस्थान में आर्थिक और औद्योगिक सर्वेक्षण का कोई नक्शा सरकार को प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नेताजी सुभाष बोस की पुत्री की भारत यात्रा

†८४३. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की पुत्री ने भारत आने की अपनी इच्छा सूचित की है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी हां। नेताजी की पुत्री इस वर्ष दिसम्बर में संभवत: भारत आयेगी। उसके आने की तारीख मालूम नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कल और परसों अकालियों द्वारा कुछ इस प्रकार की घटनाएं की गई हैं जिन से दिल्ली की शान्ति व्यवस्था भंग होने की संभावना बढ़ गई है। उस सम्बन्ध में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। पार्लियामेंट से ५० कदम दूर पर जो कल घटना घटी है जिस में ८६ पुलिस के आदमी घायल हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट जज, डिप्टी कमिश्नर, एस० पी०, और डी० एस० पी० जैसे व्यक्ति भी घायलों में सम्मिलित हैं। यहां पर कल अश्रु गैस छोड़ी गई और जिसकी सदन में भी चर्चा हुई। दिल्ली की शांति भंग हो गई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विचार किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर विचार नहीं होगा। कुछ व्यक्ति देश में एक काम कराना चाहते हैं और उसके लिए शांति से प्रदर्शन किया जाता है। जब भी यह आशंका होती है कि उनके प्रदर्शन के कारण शांति भंग होगी तो पुलिस निश्चय ही कार्यवाही करेगी।

जब भी इन प्रदर्शनकारियों को संसद् भवन में आने से रोका जाता है तभी गड़बड़ होती है, यदि उनको संसद् भवन में आने दिया जाय तो और भी अधिक गड़बड़ होगी। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है। अश्रु गैस को संसद् में आने से तो हम नहीं रोक सकते हैं। जब उन्हें संसद् भवन के पास आने से रोका गया तो ईंट तथा पत्थरों का प्रयोग किया गया। तभी पुलिस ने कार्यवाही की और इसके लिए पुलिस के शुक्रगुजार होने के बजाय हम उनके विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि सरकार यदि ठीक काम भी करती है तो भी उस पर आरोप लगाया जाता है। संसद् भवन को सुरक्षित रखा जाना ज़रूरी है और यह ज़रूरी है कि प्रदर्शनकारी संसद् भवन के निकट न आ पायें। अन्यथा हमें अश्रु गैस का थोड़ा सा स्वाद तो लेना ही पड़ेगा। उसको हवा में फैलने से तो रोका नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने इन स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है।

आसनसोल के निकट कोयला खान में कथित उपद्रव

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है जिसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं मिली है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : परन्तु मुझे इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्रम मंत्री इसके बारे में कल कुछ जानकारी देंगे।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: मैं अभी दे सकता हूं। कम्पनी के दो रुपया उधार देने का काम करते थे और २५ प्रतिशत तक सूद लेते थे। इस काम को संरक्षण देने के लिए उन्होंने एक कार्मिक संघ बनाया और कुछ साम्यवादियों का समर्थन प्राप्त कर लिया। तद्नुसार संघ ए० आई० टी० यू० सी० से संबद्ध हो गई। इस अतिरिक्त शक्ति से इन उधार देने वालों व कार्मिक संघ संगठनकर्त्ताओं ने एक मज़दूर की पूरी तन्ख्वाह ही छीनने का प्रयत्न किया जो ऋण का रुपया वापस नहीं दे पा रहा था। मज़दूर का यह कहना था कि उसने उस रुपये से दुगना रुपया वापस दे दिया है। इन उधार देने वाले चपरासियों, संघ संगठनकर्त्ताओं ने बड़ी बेदर्दी से मज़दूर को मारा पीटा। इस पर अन्य मज़दूरों ने

---

†मूल अंग्रजी में

उनकी इस ज्यादती का विरोध किया। जिसके परिणामस्वरूप उपद्रव हुआ और काम में बाधा पहुंची । पश्चिम बंगाल सरकार उस क्षेत्र में शांति बनाने का प्रयत्न कर रही है जिससे कोयला खान में पुनः काम होने लगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यह स्थगन प्रस्ताव १९ तारीख को ही प्रस्तुत करना चाहता था परन्तु क्योंकि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती घटनास्थल पर जाकर जांच करना चाहती थीं इसलिए रुका रहा । अब उन्होंने एक तार भेजा है । हमें पता था कि माननीय मंत्री मनगढ़ंत कहानी ही सुनायेंगे।

हाल ही में 'स्टेट्समैन' के संवाददाता भी वहां पर गये थे। उन्होंने भी बताया है कि ६०० मजदूर जो संघ के सदस्य नहीं थे, नौकरी से अलग कर दिए गए हैं। यह सब सतग्राम कोयला खान में हुआ है जो वहां की एक बड़ी खान है। उस कोयला खान में अंशतः तालाबन्दी है।

हमें अभी बताया गया कि उधार देने वालों ने एक संघ बना लिया है परन्तु हमें पता लगा है कि उस कोयला खान का एजेन्ट स्वयं उधार देता है। **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय** : जब तक कोयला खान सरकारी न हो तब तक संसद् कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। यह बहुत छोटी सी घटना है; इसे लेकर यहां हम अपना समय बरबाद नहीं कर सकते । अगर कोई झगड़ा कहीं होगा तो हड़ताल, तालाबन्दी आदि चीजें होंगी ही। यह केवल शांति तथा व्यवस्था का मामला है। कोई आदमी उधार देता है और उधार का रुपया मांगने पर झगड़ा होता है तो क्या संसद को उस झगड़े को निपटाना चाहिए। पश्चिमी बंगाल सरकार मामलें पर ध्यान दे रही है और कार्यवाही कर रही है। इसलिए मैं इसको अपनी अनुमति नहीं देता हूं।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : श्रीमान.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बैठ जायें।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : जब हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो यहां रहने से क्या लाभ।

इस के पश्चात् राजा महेन्द्र प्रताप सभा भवन से उठ कर चलें गये।

सभा पटल रखें गये पत्र

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें ; कम कीमत की कार सम्बन्धी समिति के बारे में अधिसूचना ; और प्रागा टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों को सभापटल पर रखता हूं :—

(१) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ५ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १२९१।

---

†भूल अंग्रजी में

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वली दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३२६।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अध्ययन अवकाश नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३२७।

(२) भारत में कम कीमत की कार बनाने के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति के बारे में दिनांक २० अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या ए० ई० एण्ड० १(९०)/६० की एक प्रति।

(३) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५८–५९ के लिये प्रागा टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः संख्या एल टी—२४६५, २४६६ तथा २४६७/६०]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नारियल के तेल और गोले का आयात

†**श्री कुन्हन** (पालघाट–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

'मूंगफली के तेल का निर्यात करने वालों को नारियल के तेल और गोले का आयात करने की अनुमति देने की सरकार की नीति से उत्पन्न स्थिति'

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : नारियल के तेल का आयात करने की अनुमति नहीं है इसलिए मूंगफली के तेल का निर्यात करने वालों द्वारा इसके आयात का प्रश्न नहीं उठता है।

मूंगफली के तेल का निर्यात करने से पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ; १९५५ में इससे लगभग २१ करोड़ रुपया मिला था। यद्यपि बाद के वर्षों में मूंगफली का उत्पादन बढ़ गया था परन्तु देश में मूल्य बढ़ जाने के कारण तथा विदेशी मंडियों में भारी प्रतिस्पर्धा के कारण इसका निर्यात नहीं किया जा सका।

हाल में ही यह निर्णय किया गया कि मूंगफली की खली के निर्यात के साथ जिसमें काफी लाभ होता है, मूंगफली के तेल के निर्यात को भी सम्बद्ध कर दिया जाये जिससे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर मूंगफली के तेल को बेचने में जो हानि हो उसको पूरा किया जा सके। वर्तमान वर्ष में देश के तथा विश्व के मूल्यों में अन्तर और बढ़ गया और मूंगफली की खली के निर्यात से इसे सम्बद्ध करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयात किये गये गोले के मूल्य, स्थानीय मूल्यों की तुलना में मूल्य बहुत कम हैं और इसीलिए जिन लोगों को आयात का आवंटन होता है उनको बहुत अधिक लाभ होता है। अतः यह उचित समझा गया कि आयात किये गोले से प्राप्त लाभ का कुछ भाग भी मूंगफली के तेल के निर्यात से सम्बद्ध किया जाना चाहिये क्योंकि गोले के आयात पर काफी विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है।

इसीलिए ऐसे टेंडर मांगे गये हैं जिनमें बताया गया हो कि मूंगफली के तेल के प्रति टन निर्यात पर गोले की कम से कम कितनी मात्रा का आयात करना होगा। ऐसा तेल के प्रति टन पर ३ १/२ टन खली के सामान्य निर्यात आवंटन को भी बढ़ावा देने के लिए किया गया था।

स्वीकृत न्यूनतम टेंडरों में कुल मात्रा केवल १७५ टन गोले की होती है, निर्यात किये जाने वाले मूंगफली के तेल के एक टन पर आधे टन की दर से। १९५९ में ९०,००० टन गोले के आयात की तुलना में यह मात्रा नगण्य है।

स्पष्ट है कि १७५ टन की छोटी सी मात्रा का गोले का तेल निकालने वाले उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निर्यात की प्रगति की कोई योजना बनाते समय सरकार इसका ध्यान रखेगी कि गोले का तेल निकालने वालों को उचित मात्रा में आयात किया हुआ गोला मिल जाये।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान, आपकी अनुमति से मैं सोमवार, २८ नवम्बर, १९६० को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिए जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकरार होगा :—

(१) समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में अग्रेतर खण्डवार विचार और उसे पारित किया जाना।

(२) निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक, १९६० पर विचार और उसे पारित किया जाना।

(३) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६०–६१ पर विचार और उन्हें स्वीकृत किया जाना।

(४) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और उन्हें पारित किया जाना।

(एक) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, १९६०,

(दो) रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक, १९६०,

(तीन) औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, १९६०,

(चार) पशु निर्दयता निवारण विधेयक, १९६० राज्य सभा द्वारा पारित रूप में।

(५) २९ नवम्बर, १९६० को ३ बजे श्री स० मो० बनर्जी तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर, प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति १९५८–५९ के प्रतिवेदन और उस पर श्री जी० पी० कपाड़िया के विमति ज्ञापन,

---

†मूल अंग्रेजी में

टिप्पणियों और सिफारिशों पर, जो २१ दिसम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये थे और वित्त मंत्री द्वारा जांच समिति की अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों पर दिये गये वक्तव्य पर, जो ९ सितम्बर, १९६० को सभा पटल पर रखा गया था, चर्चा ।

(६) ३० नवम्बर, १९६० को ३ बजे सरदार इकबाल सिंह तथा अन्य सदस्यों द्वारा सिन्धु पानी सन्धि पर, जो १४ नवम्बर, १९६० को लोक-सभा पटल पर रखी गई थी, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १९३ के अधीन चर्चा

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : आपने कहा था कि प्रति सप्ताह अनियत दिन के दो प्रस्ताव लिये जायेंगे ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : सप्ताह में एक अनियत दिन का प्रस्ताव लेना सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अनियत दिन के ६० प्रस्तावों की सूचना होने के कारण कार्य मंत्रणा समिति ने इस पर विचार के लिए एक उप-समिति बनाई थी । मैं जानता हूं कि प्रत्येक प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए समय पर्याप्त नहीं है । सरकार ने प्रति सप्ताह एक प्रस्ताव लेना स्वीकार किया है परन्तु समय मिलने पर दो प्रस्ताव भी लिए जा सकते हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : प्रत्यक्ष कर जांच समिति का प्रतिवेदन महत्वपूर्ण है इसलिए सरकार को इस पर स्वयं प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिये जिससे पूरा एक दिन चर्चा के लिए मिल जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाने के बाद विरोधी पक्ष के सदस्यों से चर्चा के लिए प्रस्ताव रखने के लिए कहना उचित नहीं है । महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों पर सरकार को स्वयं प्रस्ताव रखने चाहियें । मैं भी यही ठीक समझता हूं कि कर जांच समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा का प्रस्ताव सरकार को स्वयं प्रस्तुत करना चाहिए ।

त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बें० गोपाला रेड्डी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि त्रिपुरा उत्पादन शुल्क अधिनियम का निरसन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि त्रिपुरा उत्पादन शुल्क अधिनियम का निरसन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**डा० बे० गोपाल रेंड्डी** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

समवाय (संशोधन) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब समवाय अधिनियम १९५६ में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडवार विचार करेगी । श्री सोमानी अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†**श्री सोमानी** (दौसा) : मैंने संशोधन संख्या ९४, ९५, ९६ और ९७ दिये हैं । ये सारे संशोधन खंड ७० के सम्बन्ध में हैं । यद्यपि सिद्धान्ततः मैं इस खंड का विरोध नहीं करता हूं तो भी मेरे विचार से यह खंड न तो आवश्यक है न वांछनीय है । इससे वस्तुतः लाभ से अधिक हानि होने की संभावना है । मैंने भी कुछ जांच समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन जांच समियों के द्वारा की जाने वाली शव परीक्षा से कोई लाभ नहीं होता है । यदि कोई कार्यवाही की जानी है तो उसे पहले ही कर लेना चाहिये ।

यह खंड मूल विधेयक में नहीं था न शास्त्री समिति ने ही इसकी सिफारिश की थी । संयुक्त समिति में दो विरोधी दृष्टिकोणों में समन्वय की स्थापना करने के लिये इस खंड को शामिल किया गया । वास्तविकता यह है कि किसी समवाय की साख या प्रतिष्ठा पर सरकार के केवल इस निश्चय से कि उसके कार्यों की जांच करने के लिये कोई विशेष जांच की जायेगी या विशेष लेखा परीक्षा की जायेगी कोई विशेष अन्तर नहीं आयेगा । जहां तक इससे कोई विशेष नतीजा निकलने का प्रश्न है वह भी नहीं निकलेगा क्योंकि यह जांच एक यथा तथ्य जांच की तरह होगी, जहां तक समवाय के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न है वह समवाय अधिनियम और उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के अधीन किया जायेगा ।

मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि यह खंड सरकार को कोई अतिरिक्त शक्ति प्रदान नहीं करता है । वस्तुतः इस प्रकार की जांच दूसरे तरीकों द्वारा भी की जा सकती है । समवाय अधिनियम प्रशासन का पंजीयक या कोई अन्य अधिकारी इस प्रकार के तथ्य या आंकड़े इकट्ठा करने का आदेश दे सकता है, ये अधिकारी ठीक वही कार्य कर सकते हैं जिसे हम विशेष-लेखा-परीक्षक से करवाने के लिये व्यवस्था कर रहे हैं । वस्तुतः पंजीयक या समवाय विधि अधिकारी को यह अधिकार है कि वह प्रकाशित संतुलन पत्र के आधार पर उन तथ्यों या आंकड़ों की मांग कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझता है या जिनके लिये एक विशेष लेखा-परीक्षक को नियुक्त करने की व्यवस्था की जा रही है ।

विशेष लेखा-परीक्षक नियुक्त करने के दो आधार रखे हैं । पहिला आधार यह है कि यदि किसी समवाय का कार्य उपयुक्त वाणिज्यिक सिद्धान्तों या उचित वाणिज्यिक-प्रथ ओं के अनुसार नहीं चल रहा है तो सरकार विशेष लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकती है । दूसरा आधार यह रखा गया है कि यदि किसी समवाय के कार्य से वाणिज्य अथवा उद्योग के कार्य को हानि पहुंचने की संभावना हो तो सरकार विशेष लेखा परीक्षा करने की आज्ञा दे सकती है ।

इसका यह तात्पर्य है कि यदि पूर्ण कुशलता से चलता हुआ कोई बड़ा उपक्रम, जिसमें आधुनिक मशीनें हैं, वह अपने माल को दूसरों की अपेक्षा कम कीमत पर बेचना चाहे उस पर भी इस खंड के अधीन कार्यवाही की जा सकती है । इस खंड का प्रयोजन यह नहीं है । इस खंड का प्रयोजन यह है कि किसी समवाय में अव्यवस्था जारी न रहे और यदि सरकार सोचे कि किसी समवाय की अवस्था खराब हो सकती है तो उसके हिसाब-किताब की जांच करने के लिये विशेष लेखा-परीक्षक नियुक्त कर दिया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह कहा गया है कि इससे समवायों को दिवालियेपन से बचाया जा सकता है, मेरे विचार से यह सही नहीं है, इससे कम्पनी को केवल असुविधा ही हो सकती है, और उसे जो हानि हो चुकी है उसकी क्षतिपूर्ति विशेष लेखा-परीक्षा से नहीं हो सकती है। इसके अलावा यह समवाय के वर्तमान लेखा परीक्षक के कार्य पर भी एक प्रकार का आक्षेप है।

मैं यह बात पुनः दुहराना चाहता हूं कि इस खंड के द्वारा जिस उद्देश्य की पूर्ति का प्रयत्न किया गया है वह अन्य खंडों के द्वारा की जा सकती है, अतः यह बिल्कुल अनावश्यक है इससे केवल कठिनाइयों में वृद्धि होगी।

†**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर) : मैं श्री सोमानी के तर्कों का पूर्णतः समर्थन करता हूं। मेरे विचार से यह खंड नितांत निरुपयोगी है तथा उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। अतः यह खंड अनावश्यक है। इसे हटा दिया जाय।

यदि सरकार इस खंड को हटाने के पक्ष में नहीं है तो हमें चाहिये कि श्री मसानी का यह सुझाव स्वीकार कर लिया जाय कि विशेष लेखा-परीक्षा प्रारम्भ करने के पूर्व समवाय को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाय। श्री मसानी ने इस संबंध में जो संशोधन दिया है वह स्वीकार कर लेना चाहिये।

सामान्य चर्चा के दौरान मंत्री जी ने समवायों को सफाई देने के बारे में बोलते हुए यह बताया था कि इससे समवायों को मौका मिल जायेगा और वे ऐसे सभी कागज-पत्र या अभिलेख नष्ट कर देंगे जो आवश्यक हैं, इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इस नये खंड को रखने के स्थान में यदि सरकार धारा २३४ में इस आशय का संशोधन कर देवें कि समवाय को नोटिस देने के उपरांत पंजीयक को यह अधिकार हो कि वह समवाय के उन समस्त कागज पत्रों को जिन्हें वह आवश्यक समझे देख सके। इस प्रकार भी सरकार का प्रयोजन हल हो सकता है।

अतः मेरा अनुरोध है कि अनावश्यक खंडों की भर्ती करने से कोई लाभ नहीं है। इससे केवल जनता के हृदय में भय बढ़ता है आवश्यकता इस बात की है कि सरकार वर्तमान विधियों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करे।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : खंड ७० को संयुक्त समिति ने बहुत विचार-विमर्ष के पश्चात् शामिल किया। निसंदेह यह खंड मूल विधेयक में नहीं था तथापि विधेयक की रूप रेखा से यह स्पष्ट था कि इस प्रकार की व्यवस्था की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। अतः मेरे विचार से संशोधन संख्या ८ से १२ व ९४ से ९७ उपयुक्त नहीं हैं। श्री मोरारका ने ठीक कहा है कि लेखा परीक्षक की नियुक्ति से ऐसे समवायों को संरक्षण प्राप्त होता है, जिनके दिवालिये होने का खतरा है।

हमने उन बातों का स्पष्ट उल्लेख किया है जिनके कारण लेखा-परीक्षक को नियुक्त किया जायेगा। वस्तुतः लेखा परीक्षक को कोई विशेष शक्तियां नहीं दी गई हैं। समवाय लेखा परीक्षक तथा सरकार के लेखा परीक्षक में इतना ही अंतर होगा कि एक सरकार को प्रतिवेदन पेश करेगा और दूसरा अंशधारियों को। यथार्थ में इससे समवाय लेखा परीक्षक को अधिक सावधानी से कार्य करना होगा, जनता के हृदय में भी विश्वास पैदा होगा तथा समवाय के संचालक मनमानी नहीं कर सकेंगे।

श्री मसानी ने अपना संशोधन रखा है, उनके संशोधन का आशय यह है कि समवायों को विशेष लेखा परीक्षा करने से पूर्व सफाई देने का अवसर दिया जाय और यदि सरकार उस सफाई

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

से संतुष्ट हो तो लेखा परीक्षक नियुक्त न किया जाय । इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि समवायों को कई अन्य मामलों में स्पष्टीकरण का पर्याप्त अवसर दिया गया है । यह एक विशेष उपबंध है जो लोकहित के कारणों से निविष्ट किया गया है अतः मेरा सुझाव है कि संशोधन संख्या ८ से १२ व ९४ से ९७ अस्वीकार कर दिये जायें और यह खंड स्वीकार किया जाय ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : निस्संदेह इस के समर्थन और विरोध में बहुत कुछ कहा जा सकता है, यह सही है कि बैंकों के संचालन पर भारत रक्षित बैंक तथा सहकारी समितियों के संचालन पर सहकारी समितियों का पंजीयक हस्तक्षेप कर सकता है तथापि हमें यह देखना है कि समवाय स्वतंत्र और स्वायत्तशासी संस्थायें हैं इनके कार्यों पर सरकार के हस्तक्षेप से जनता के हृदय में भय व आशंका की भावना फैलने की अधिक संभावना है तथा जिस समवाय की विशेष लेखा परीक्षा के लिये आदेश दिया जायेगा उसकी साख या प्रतीष्ठा पर जो धक्का पहुंचेगा उसकी पूर्ति सरलता से नहीं हो सकती है । मैं श्री मसानी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन की शब्दावली से भी संतुष्ट नहीं हूं अतः मेरा सुझाव है कि कोई बीच का मार्ग अख्त्यार किया जाय ।

इसके लिये उचित तरीका यह है कि जब भी सरकार को इस प्रकार की सूचना मिले कि किसी समवाय में अव्यवस्था फैल रही है या उसका संचालन उपयुक्त वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं किया जा रहा है तो सरकार को चाहिये कि वह जांच या विशेष लेखा परीक्षा करवाये तथापि इसे समाचार पत्रों में घोषित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस घोषणा से जनता के मन में अविश्वास पैदा हो जायेगा और फलस्वरूप भले ही वह समवाय निर्दोष हो उसके व्यापार व प्रतीष्ठा में धक्का पहुंचेगा अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को, उचित कारण होने पर इन समवायों की जाँच का पूरा अधिकार है, केवल तत्संबंधी घोषणा इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : सामान्य चर्चा के दौरान मैंने इस खंड का समर्थन किया था तथापि इस समय मैं इस खंड की शब्दावली से समवायों पर होने वाले प्रभाव का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । शब्दावली में लिखा गया है कि जब भी केन्द्रीय सरकार इस नतीजे पर पहुंचेगी, यह नहीं लिखा गया हैं कि वह इस नतीजे पर किस आधार पर पहुंचेगी वस्तुतः अल्पसंख्यक अंशधारियों या किसी निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति की शिकायत पर भी सरकार इस नतीजे पर पहुंच सकती है तब उस सारी कार्यवाही का दायित्व उस व्यक्ति या व्यक्तियों पर होना चाहिये जिनकी शिकायत के आधार पर सरकार ने कार्यवाही की है ।

मेरा विचार है कि न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार विशेष लेखा परीक्षा करने के पूर्व समवाय को नोटिस जारी करना आवश्यक है, इससे उसे अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर मिलेगा जो उचित है । यह आशंका करना गलत है कि इससे उसे सारे कागज-पत्र या लेखे जोखों को विनष्ट करने या उनमें तोड़ मरोड़ करने का अवसर मिलेगा । ऐसा करना स्वयं एक अपराध है, वस्तुतः ऐसा किया भी नहीं जा सकता है क्योंकि इसके पूर्व भी समवाय की लेखा परीक्षा हो चुकी है और उसका प्रतिवेदन सरकार के सामने है । समवायों के कागज पत्र भी ऐसे नहीं होते कि उन्हें इतनी सरलता से बदला जा सके इसलिये मुझे श्री भरूचा जैसे अनुभवी वकील के मुंह से यह बात सुन कर आश्चर्य ही हुआ । इसके अतिरिक्त विशेष लेखा परीक्षक को जो शक्तियां दी गई हैं वे सामान्य हैं यदि हम इस खंड को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो लेखा परीक्षक को पुलिस अधिकारी की समस्त शक्तियां प्रदान करनी चाहियें । मेरे कथन का तात्पर्य

---

†मूल अंग्रेजी में

यह है कि विशेष लेखा परीक्षा करवाने के लिये कम से कम कुछ प्रत्यक्ष कारण अवश्य होने चाहियें। तथापि यह कहना गलत है कि विशेष लेखा परीक्षा करवाने से पहिले लेखा परीक्षक के ऊपर आक्षेप लगता है। मेरा सुझाव है कि समवाय को स्पष्टीकरण का अवसर दिये बिना, तथा समवाय के विरुध प्रत्यक्ष मामला बने बिना वि ेष लेखा परीक्षा नहीं होनी चाहिये।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–मध्य) : मैं खंड ७० का पुनः समर्थन करता हूं। मैंने संयुक्त समिति की कार्यवाही में भाग नहीं लिया है तथापि समवाय प्रशासन की वर्ष १९५९ के प्रतिवेदन के अध्ययन से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस खंड को शामिल करना उचित है।

समवायों के संबंध में स्थिति यह है कि न केवल नियमित लेखा परीक्षा की आवश्यकता है अपितु विशेष लेखा परीक्षा की भी आवश्यकता है। इसका कारण समवाय प्रशासन के वार्षिक प्रतिवेदन में यह दिया गया है कि अधिकांश लेखा-परीक्षकों ने १९५६ के पश्चात् से उन पर आने वाले दायित्वों का सही निर्वाह नहीं किया अतः विशेष लेखा परीक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

बड़े समवायों में लेखा परीक्षकों को कई प्रलोभन होते हैं यदि वे अपनी नौकरी की सुरक्षा चाहते हैं तो उन्हें कई ऐसी बातों को जो अवैध होती हैं, लेकिन बड़े समवायों में आमतौर पर की जाती हैं; तरह देनी पड़ती है।

यद्यपि लेखा परीक्षकों को देश के व्यापक आर्थिक स्थिति का पहिले ध्यान रखना चाहिये तथापि अधिकांश संकीर्ण हृदय व्यक्ति इसका ध्यान नहीं रखते हैं। अतः इस प्रकार की अनियमितताएं होती हैं वे ऐसे विवरण प्रस्तुत करते हैं जो स्पष्टतः गलत होते हैं। समवाय प्रशासन के प्रतिवेदन में ऐसे कई मामलों का उल्लेख किया है जहां लेखा परीक्षकों ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया।

उक्त स्थिति में यह आवश्यक है कि हम विशेष-लेखा-परीक्षा करवाने की व्यवस्था करवायें। मैं श्री मीनू-मसानी की इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि यदि किसी समवाय के विरुद्ध विशेष लेखा परीक्षा की जायेगी तो वह बदनाम हो जायेगी और स्टाक एक्सचेंज में उसके अंशों के दाम गिरने से अंशधारियों को हानि होगी वास्तव में इससे न केवल अंशधारियों के हितों में अपितु देश के व्यापक आर्थिक हित में वृद्धि होगी तथा इससे समवायों का भी हित होगा।

अतः मैं सामान्य लेखा परीक्षण की त्रुटियों तथा वर्तमान स्थिति की आवश्यकता को देखते हुए विशेष लेखा परीक्षा करने वाले उपबंध का समर्थन करता हूं :

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : इस खण्ड में एक नई धारा रखी गई है इसलिये यह स्वाभाविक है कि उस के सम्बन्ध में कुछ भय उत्पन्न होगा। मैं प्रारम्भ में ही यह बता देना चाहता हूं कि सरकार आवश्यकता से अधिक शक्तियां कदापि नहीं लेना चाहती है क्योंकि सरकार अपनी शक्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में उत्तरदायी होती है। इसलिये मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार ऐसा कार्य नहीं करेगी जिस से उस पर दोषारोपण किया जा सके और उसे अपने कार्यों के लिये उत्तर देना पड़े।

जब हम निगमों से सम्बन्धित विधान के विकास, केवल अपने देश के ही नहीं वरन् अन्य देशों के भी, को देखते हैं ो पता चलता है कि बहुत से विनियम संचालन की जटिलताओं के कारण समय समय पर आवश्यक हो जाते हैं। इस के अतिरिक्त समाज के कुछ लोग इस प्रकार का व्यवहार

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री कानूनगो]

करते हैं ो निगमों के लिये हितकारी नहीं होता है। सरकार को धारा २३७ तथा उस के आगे की धारा ों में जांच की शक्तियां प्राप्त हैं जो श्री सोमानी के अनुसार अत्यन्त विस्तृत हैं। परन्तु वास्तव में अत्यन्त सीमित हैं और व्यवहारिक रूप में पर्याप्त नहीं हैं। उदाहरण के लिये समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा में यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार एक या अधिक समर्थ व्यक्तियों को किसी कम्पनी के मामलों की जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिये निरीक्षक नियुक्त करेगी यदि कम्पनी वि ेष संकल्प द्वारा अथवा न्यायालय, आदेश द्वारा, यह कहे कि कम्पनी के मामलों की केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक द्वारा जांच की जानी चाहिये। अर्थात् वास्तविक शक्ति निगम और न्यायालय को प्राप्त है न कि सरकार को। आगे चल कर उपखंड (ख) में यह कहा गया है कि कुछ परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से जांच का आदेश दे सकती है जबकि कम्पनी के कार्य में कुछ गड़बड़ हो अथवा कम्पनी के प्रबन्ध से सम्बन्धित व्यक्ति दुराचरण करें अथवा कम्पनी के सदस्यों को कम्पनी के कार्यों की पूरी जानकारी न दी गई हो। केवल इन्हीं परिस्थितियों में सरकार अपनी ओर से जांच का आदेश दे सकती है तथा उस के लिये विस्तृत शक्तियां दी गई हैं। परन्तु वर्तमान खण्ड सरकार को जांच करने की शक्ति नहीं देता है वरन् केवल लेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। उस का लेखापरीक्षण अन्य लेखापरीक्षको जैसा ही होगा। हां, उसे जानकारी प्राप्त करने की अतिरिक्त शक्ति अवश्य दी गई है। खण्ड में कहा गया है कि यदि कम्पनी का कार्य सही वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर न चल रहा हो अथवा उस का प्रबन्ध ठीक न हो अथवा वित्तीय स्थिति खराब हो तो सरकार लेखापरीक्षक नियुक्त करेगी। श्री मसानी ने कहा कि इस शक्ति का दुर्पयोग किया जा सकेगा क्योंकि वह सुनिश्चित नहीं है। मेरा निवेदन है कि यह अनिश्चित नहीं है क्योंकि इन परिस्थितियों को सभी लोग भली प्रकार समझते हैं।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब ब्रिटेन की संसद् की प्रवर समिति में सरकारी उपक्रमों के सरकार द्वारा लेखा परीक्षण के प्रश्न की चर्चा हो रही थी तो इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ने स्वयं यह सुझाव दिया था कि इन मामलों की जांच की जानी चाहिये। सरकार के अनुदेश पर निम्नलिखित मामलों की जांच की जा सकती है :

आय तथा व्यय पर उचित प्रशासकीय तथा वित्तीय नियंत्रण की कमी :

पूंजी व्यय पर पर्याप्त लाभ न होना ;

फिजूलखर्ची ; और

उपक्रम के वित्तीय प्रशासन से सम्बन्धित कोई भी अन्य मामला।

†**श्री मी० रु० मसानी** (रांची-पूर्व) : यह बात यहां असंगत है।

†**श्री कानूनगो :** मैं ने इस का उल्लेख इसलिये किया है कि वह केवल सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित है। ऐसा समझा जाता है कि अंशधारी अपने मामलों की देखभाल कर सकते हैं। वास्तव में समवाय अधिनियम का यही आधार है। परन्तु १९५६ का अधिनियम इसलिये पारित करना पड़ा था कि अंशधारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में असमर्थ थे। जैसाकि श्री मुकर्जी ने कहा था, हमारे देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अधिकांश अंशधारी अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। समवाय अधिनियम की व्यापकता का यही कारण है। संभवत: भविष्य में प्रबन्ध कर्मचारी समाज के अधिक हितैषी होंगे और अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परन्तु वर्तमान स्थिति में हमें उस का सामना करना ही होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये इस नई धारा को अधिनियम में सम्मिलित करने का कारण यह है कि हम उस प्रकार की विस्तृत जांच नहीं करना चाहते जैसाकि वर्तमान धाराओं में कल्पित है। जैसाकि श्री सोमानी ने कहा था कि इस प्रकार की जांच शवपरीक्षा के समान है जिन में कोई उपचार संभव नहीं है। यदि समय पर उपचार किया जाये, अनिवार्यतः सरकार द्वारा ही नहीं वरन् अंशधारियों तथा अन्य अभिकरणों द्वारा भी, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिये ही ये शक्तियां ली जा रही हैं। इस धारा के अन्तर्गत एक कृत्य निवारक कार्यवाही करना होगा। उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। किसी भी प्रकार के लेखा परीक्षण से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही केवल न्यायालय में ही की जा सकेगी। इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा केवल प्रक्रिया सम्बन्धी जुर्माने ही किये जा सकते हैं। अन्य समस्त जुर्माने न्यायालयों द्वारा किये जायेंगे। वास्तव में यह तथ्यान्वेषी कार्य होगा, जैसाकि श्री सोमानी ने संकेत किया है। अभी यह तथ्यान्वेषी कार्य जांच आदेशों के अन्तर्गत ही किया जा सकता है। यह ऐसा उपबन्ध है कि उस हद तक गये बिना ही तथ्यान्वेषण किया जा सकेगा और उन तथ्यों के आधार पर अंशधारी अपने मामलों में सुधार कर सकेंगे अथवा, यदि आवश्यक हुआ तो सरकार प्राभियोजन कर सकेगी। सरकार अन्यथा कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है।

यह कहा गया है कि धारा २३४ के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं और यह प्रयोजन पूरा हो सकता है। परन्तु वास्तव में उस धारा के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्ति उन अस्पष्टताओं और सन्देहों तक ही सीमित हैं जो उसे उन संलेखों में मिलें जो कम्पनी द्वारा उस के समक्ष पेश किये जाते हैं। इसलिये रजिस्ट्रार और इंसपेक्टर के बीच में यह वास्तव में निरोधक प्रयोजन के लिये साधारण जांच और तथ्यान्वेषण हैं ताकि सरकार को अधिक कड़ी कार्यवाही न करनी पड़े और यह निगमों के ही हित में है ताकि उन्हें नुकसान न हो।

यह ठीक ही कहा गया है कि संबंधित पक्ष को, कार्यवाही किये जाने के पूर्व, जवाब देने का अवसर मिलना चाहिये। मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि धारा २३७ के अन्तर्गत सरकार को पूर्ण स्वतंत्रता है। उस में केवल यह कहा गया है कि यदि सरकार की राय में कुछ परिस्थितियां हों तो वह कार्यवाही करेगी। ऐसे मामलों में अभी तक कम्पनी को स्पष्टीकरण का मौका दिये बिना इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि आगे भी सामान्यतः खण्ड ७० के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग, अर्थात् विशेष लेखा परीक्षण का आदेश संबंधित पक्षों को सूचना दिये बिना अथवा उन्हें मौका दिये बिना नहीं दिया जायेगा। परन्तु मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विशेष मामलों में, जिन का निर्देश करना यहां आवश्यक नहीं है, जिन में शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता होगी तो वैसा करना ही होगा।

मैं सभा को यह भी आश्वासन दे सकता हूं कि इन शक्तियों का प्रयोग किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा नहीं किया जायगा जैसीकि कुछ माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है। अभी तक धारा २३७ के अन्तर्गत जांच की समस्त शक्तियों का उपयोग सरकार के आदेश के अन्तर्गत किया गया है, किसी भी स्तर के किसी एक अधिकारी द्वारा नहीं। इस सामान्य सिद्धान्त के अतिरिक्त कि किसी भी स्तर के किसी अधिकारी के कार्यों के लिये मंत्री जिम्मेदार होता है, इन जांच की शक्तियों का उपयोग केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा ही किया जा सकता है और केन्द्रीय सरकार से तात्पर्य है मंत्री की जिम्मेदारी पर। अभी तक ऐसा होता आया है कि मंत्री से परामर्श किया जाता है।

फिर हम यह भी चाहते हैं कि सामान्य मामलों में, जहां हम ठीक समझें, हम आयोग से भी मंत्रणा करें, जो एक स्वतंत्र निकाय है, क्योंकि धारा ४११ सरकार को किसी भी मामले को आयोग को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करती है। इसलिये प्रस्तावित धारा के उपबन्ध देखने में भले ही

[श्री कानूनगो]

कठोर हों परन्तु व उन प्रक्रियाओं से कुछ नर्म हो जाते हैं जिन का मैं ने संकेत किया है और इन में से कुछ प्रक्रियायें नियमों में भी विनिहित की जा सकती हैं ताकि उन की उपेक्षा न की जा सके ।

मैं श्री सोमानी का अत्यन्त आभारी हूं जिन्हों ने इस धारा के विस्त्रार क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या की है और उसे तथ्यान्वेषी प्रकृति का बताया है ।

यह कहा गया है कि एसी जांचों के प्रतिवेदन समवाय अथवा निगम को यथाशीघ्र उपलब्ध किये जान चाहियें । प्रस्तावित धारा २३३(क) की उपधारा (६) में यह कहा गया है कि यदि केन्द्रीय सरकार प्रतिवेदन पर चार महीने के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो सरकार समवाय को उस प्रतिवेदन की एक प्रति अथवा संबंधित अंश भेजेगी । इस प्रकार चार महीने की अवधि परिनियत सीमा है । अर्थात् सरकार चार महीने से अधिक विलम्ब नहीं कर सकेगी परन्तु मैं समझता हूं कि जहां कोई कार्यवाही नहीं की जाती है वहां वैसा काफी पहले ही किया जा सकेगा । परन्तु, कुछ मामलों में, प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं किया जायेगा क्योंकि वैसा करने से न्यायालय में कार्यवाही पर असर पड़ने की संभावना रहेगी ।

मैं समझता हूं कि गत अनेक वर्षों की घटनाओं और १९५६ के पूर्व की परिस्थितियों को देखते हुए यह खण्ड बहुत आवश्यक है और वह वास्तव में उतना कठोर नहीं है जितना कि मालूम पड़ता है । मेरा विचार है कि एक वर्ष बाद सभा को यह निर्णय करने का अवसर मिलेगा कि इन शक्तियों का उपयोग निरंकुश ढंग से तो नहीं किया गया है ? इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस खण्ड को संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या ८, ९, १०, ११ और १२ पर मतदान लूंगा ।

†**श्री सोमानी** : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम अगले खण्डों को लेंगे । खण्ड ७२ में कोई संशोधन नहीं आया है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड ७३ पहले ही स्वीकार किया जा चुका है अतः हम खण्ड ७४ को लेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ७४—(धारा २४० का संशोधन)

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं अपना संशोधन संख्या ६३ प्रस्तुत करता हूं । खण्ड ७४ में यह उपबन्ध है कि यदि कोई व्यक्ति निरीक्षक द्वारा मांगा गया कोई कागज पेश नहीं करता है तो निरीक्षक उस की सूचना न्यायालय को देगा और न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। मेरा इस संशोधन के रखने का प्रयोजन यह है कि किसी प्रश्न को ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिये जिन से उस पर दोषारोपण की संभावना हो क्योंकि संविधान के अनुच्छेद २० (३) के अन्तर्गत व्यक्ति को ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से छूट दी गई है ।

†**श्री कानूनगो** : हमने इस पर विचार किया है परन्तु ऐसे उपबंध से संविधान के अनुच्छेद २० और हरीनगर चीनी मिल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय के उल्लंघन की संभावना है । इस लिये ऐसा उपबन्ध करना उचित नहीं होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन पर आग्रह करते हैं ?

†**श्री नौशीर भरूचा** : जी, नहीं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है ;

"कि खण्ड ७४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ७४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ७५ (नई धारा २४०क का रखा जाना)

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपना संशोधन संख्या ६४ प्रस्तुत करता हूं ।

खण्ड ७५ दस्तावेजों को अधिकार में लेने के संबंध में है । इस प्रकार का उपबन्ध आवश्यक तो है परन्तु उसमें इस प्रकार अधिकार में लिये गये दस्तावेजों की एक निश्चित अवधि में वापसी के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है । इसमें यह खराबी रहेगी कि निरीक्षक उन दस्तावेजों को बहुत समय तक अपने पास रख कर कम्पनी को अनावश्यक रूप से परेशान कर सकेगा इस लिये मैंने यह संशोधन रखा है कि निरीक्षक दस्तावेजों को ६० दिन तक ही अपने पास रखे और यदि अधिक समय तक रखने की आवश्यकता हो तो मजिस्ट्रेट की अनुमति ली जाये । ऐसे दस्तावेजों के बहुत समय तक रोके रखने से कम्पनी के दैनिक कार्यों में असुविधा होगी ।

†**श्री कानूनगो** : श्री भरूचा का कहना ठीक है परन्तु कठिनाई यह है कि बहुत से मामलों में जांच में बहुत समय लगता है । अत: मैं इतना कर सकता हूं कि मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये विभागीय अनुदेश जारी किये जायें ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : क्या इस आशय के अनुदेश जारी किये जायेंगे कि निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिये निरीक्षक समवाय विधि प्रशासन की स्वीकृति प्राप्त करे ?

†**श्री कानूनगो**: हम इस आशय के अनुदेश जारी करेंगे कि यदि निरीक्षक को अधिक समय की आवश्यकता हो तो वह उच्च स्तर के अधिकारी से आदेश प्राप्त करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ७७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ७९—(धारा २५० के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैं अपना संशोधन संख्या १३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नथवानी** (सोरठ) : मैं अपने संशोधन संख्या ८९, ९० और ९१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपने संशोधन संख्या ६५, ६६, ६७ और ६८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री सोमानी** : मैं अपना संशोधन संख्या ९८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री मी० रु० मसानी** : मेरा संशोधन संख्या १३ वर्तमान खण्ड ७९ के स्थान पर नया खण्ड रखता है । यह खण्ड इस समय जिस रूप में है उससे सरकार को मैनेजिंग ऐजेंसी अथवा मैनेजिंग डायरक्टरों के संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन होने की स्थिति में समवाय के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल जाता है। यह सरकार को स्वत्व हरण तक की शक्तियां प्रदान करता है क्योंकि सरकार अंशों के किसी भी हस्तांतरण को अवैध घोषित कर सकेगी । मेरा निवेदन है कि कम्पनी के अंशों का हस्तांतरण अथवा उसके प्रबन्धक वर्ग में परिवर्तन कोई खराब चीज नहीं है । वास्तव में यदि कम्पनी का प्रबन्ध सदा एक ही व्यक्तियों के हाथ में रहेगा तो वह कम्पनी के लिये अहितकर होगा हां, कभी कभी ऐसा अवश्य हो सकता है कि कुछ स्वार्थी लोग मिलकर कम्पनी को लूटने के उद्देश्य से उसके अंश अपने हांथ में लेलें । ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक अंशधारियो को न्यायालय से रक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये । इसलिये मैं चाहता हूं कि मूल अधिनियम में इस आशय का संशोधन हो जाय कि यदि निदेशक मंडल अथवा मैनेजिंग ऐजेंसी के संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो अदालत में अपील की जा सके । इसी प्रयोजन के लिये मैंने यह संशोधन रखा है । सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं मिलना चाहिये क्यों कि उस से सदा निष्पक्षता की आशा नहीं की जा सकती है । अतः यह अधिकार न्यायालय को ही दिया जाना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त वर्तमान खण्ड में 'लोक हित' की जो शर्त रखी गई है वह भी ठीक नहीं है । लोक हित का किसी सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा किसी प्रबन्धकवर्ग के नियंत्रण से कोई संबंध नही है । समवाय विधि में तो अंशधारियों का हित ही प्रधान है । इस लिये मेरे विचार से लोक हित का निर्देश सर्वथा असंगत है । इस लिये मैं वर्तमान खण्ड का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि उसके स्थान पर मेरे संशोधन में सन्निहित खण्ड रखा जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नथवानी** : मेरा पहला संशोधन इस आशय का है कि नई धारा २०५ (१) में से शब्द 'या अन्यथा' निकाल दिया जाना चाहिये क्योंकि वे सरकार को बहुत ही सख्त हिदायतें जारी करने का अधिकार दे देते हैं। मूल धारा में सरकार को धारा २४७,२४८ और २४९ के अन्तर्गत किसी जांच के सम्बन्ध में ही हिदायतें जारी करने का अधिकार दिया गया है परन्तु अब 'या अन्यथा' शब्द जोड़ देने से यह शक्ति बहुत व्यापक हो जाती है। मेरा निवेदन है कि विवेक शक्ति को पूर्ण बना देना निरंकुशता का श्री गणेश है। अनियंत्रित विवेक शक्ति खतरे से खाली नहीं हो सकती। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पहलू पर विचार करेंगे।

फिर मैं अपने संशोधन संख्या ९० पर आता हूं जो उपधारा ३ को खत्म कर देना चाहता है। मैं समझता हूं कि इन शक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है क्यों कि धारा ३४६ और ४०९ के अन्तर्गत सरकार को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं। इस के अतिरिक्त औद्योगिक विनियमन तथा विकास अधिनियम के अन्तर्गत भी सरकार को बहुतसी शक्तियां प्राप्त हैं जो किसी भी आकस्मिकता का सामना करने के लिये पर्याप्त हैं। इस लिये जब तक सरकार इन अतिरिक्त शक्तियों की प्राप्ति के लिये समुचित कारण नहीं बताती है तब तक हम उनके देने के पक्ष में नहीं हैं।

फिर मैं अपने संशोधन संख्या ९१ पर आता हूं जो खण्ड ३ के उप खण्ड २ को निकाल देने के आशय का है। उसमें यह कहा गया है कि निदेशक मंडल के संगठन में परिवर्तन करने के लिये पारित संकल्प अथवा की गई कार्यवाही केन्द्रीय सरकार की पुष्टि के बिना प्रभावी नहीं होगी। मूल विधेयक में इस तरह की शक्ति की कल्पना नहीं की गई थी। मैं समझता हूं कि यह शक्ति अनावश्यक है और वर्तमान स्थिति में उपयुक्त भी नहीं होगी। इस लिये मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : खण्ड ७९ द्वारा शेयरधारियों के प्रबन्धकर्ता अधिकारों में ही हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, उनके मालिकाना अधिकारों को भी रद्द किया जा रहा है। इस लिये सभा को इस खण्ड पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

चूंकि समवाय अधिनियम द्वारा प्रबन्धकों पर बहुत से प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं, इस लिये सरकार को अवांछनीय लोगों, अवान्छनीय शेयरधारियों से समवायों के प्रबन्धकों को बचाने के लिये भी कोई व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये। जब अल्पसंख्यक शेयरधारियों के संरक्षक के लिये व्यवस्था की जा रही हो, तब साथ ही निदेशक बोर्ड को भी उतना ही संरक्षण देना चाहिये।

समवाय के प्रबन्धकों—निदेशक बोर्डों—को थोड़ा बहुत संरक्षण देने की व्यवस्था अधिनियम की धाराओं २५० और ४०९ में की गई है। लेकिन उन में भी इतनी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है कि निदेशक बोर्डों को उन अवांछनीय तत्वों से बचा सके जो धौंस और धोकाधडी के बल पर या दूसरों के नाम में निदेशक बोर्ड पर कब्जा जमा लेते हैं। उन धाराओं में केवल इतनी ही व्यवस्था है कि निदेशक बोर्डों को 'निगमित लुटेरों' से बचाया जा सके।

इन निगमित लुटेरों ने हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था को बड़ी हानि पहुंचाई है। सरकार को उनके विरुद्ध और अधिक संरक्षण देना चाहिये।

"निगमित" लुटेरे को पहचानना इतना आसान नहीं है। उसकी दो विशेषतायें होती हैं; उसके पास धन होता है या उसे धन मिल सकता है ; और साथ ही वह परिस्थितियों से लाभ उठाना जानता है। वह पता लगा लेता है कि किस समवाय पर धावा बोलना ठीक रहेगा। ऐसा समवाय चुनने के लिये वह कुछ खास बातें पहले देख लेता है। उस समवाय के पास संचित नकद रक्षित राशि इतनी हो जो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

उसकी व्यवसायिक आवश्यकताओं से अधिक हो । उस समवाय के शेयर बाजार में अपने वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर मिल रहे हैं । समवाय के पास गुप्त आस्तियां हों । उसके निदेशकों में मतभेद हो । और साथ ही,उस समवाय के शेयरधारी इतनी दूर दूर तक फले हुये हों कि वे समवाय की कार्यवाहियों की ओर अधिक ध्यान न दे पाते हों । और सब से अन्त में वह देखता है कि समवाय की सफलतायें अधिक न हों , जिससे उसके शेयरधारियों में आसानी असंतोष फैलाया जा सके ।

जब भी 'निगमित लुटेरों' को ऐसे किसी समवाय का पता चलता है , वे उसके शेयर खरीदने शुरू कर देते हैं । शेयरों की खरीद बेनामी होती है, उनके अपने नाम से नहीं । और जब उनके पास इतने शेयर जाते हैं कि वे समवाय पर नियंत्रण करने की स्थिति में हों, तब वे अपना नाम घोषित कर देते हैं । फिर वे निर्देशक दौड़ में अपने प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं, शेयरधारियों के हितों की दुहाई देकर । उस मांग के मंजूर न होने पर, वे बोर्ड से पुराने निदेशकों को निकालने और खुद बोर्ड में शामिल होने के लिये कोशिशें शुरू कर देते हैं ।

ये 'निगमित लुटेरे' तीन तरीकों से काम करते हैं । एक तरीका तो यह है कि वे खुद अपना रुपया लगाते हैं । दूसरा यह कि वे अपने एक निगम का रुपया दूसरे में, और तीसरे में विनियोजित करते चलते हैं । और उनका तीसरा तरीका है रुपया लगा सकने वाले साहूकारों को कट्ठा करना । ऐसे साहूकारों का एक गुट बनाकर फिर समवायों के शेयरों की खरीद शुरू की जाती है । उस गुट का उद्देश्य इतना ही होता है कि समवायों के नियमित प्रबन्ध को गड़बड़ा दिया जाये ।

अधिनियम की धाराओं ४०९ और २५० का मंशा यही था कि समवाय का नियमित प्रबन्ध गड़बड़ाने से पहले यह देख लिया जाये कि निदेशक बोर्ड में जो नये लोग आने की कोशिश कर रहे हैं वे वास्तव में कष्ट पाने वाले शेयरधारियों के प्रतिनिधि हैं या नहीं ।

इसी का पता लगाने के लिये अमरीका में व्यवस्था की गई है कि पता चलाया जाये कि जो नये लोग निदेशक-बोर्ड में आने वाले हैं उन के पास समवाय के शेयर कितने दिन से हैं । यदि साल-छै: महीने के अन्दर ही उस ने शेयर खरीदे हैं और अब वह समवाय पर छा जाने की कोशिश कर रहा है, तो स्पष्ट है कि वह 'निगमित लुटेरा' है । हमारे यहां भी इसे रोकने के लिये समवाय विधि में व्यवस्था होनी चाहिये कि जब भी निदेशक-बोर्ड को ऐसी किसी कोशिश का पता चले, तो वह सभी शेयरधारियों को पूरी स्थिति से परिचित कर दे । लेकिन समवायों के निदेशक-बोर्डों को इस का पता कैसे लगेगा कि कोई 'निगमित लुटेरा' समवाय पर हमला करने की तैयारी कर रहा है ? इस का पता बड़ी आसानी से चल सकता है यह देख कर कि सट्टा बाजार में समवाय विशेष के शेयरों की खरीद-फरोख्त असामान्य रूप से हो रही है या नहीं । दूसरा तरीका यह है कि शेयरों का हस्तांतरण किसी एक व्यक्ति ही के नाम में तो नहीं हो रहा है । तीसरा तरीका है साहूंकारों में उड़ने वाली अफवाहों को सुन कर पता लगाने का । और यदि कोई समवाय शेयरधारियों के नामों की सूची मांगें, तो समझा जा सकता है कि ऐसा हमला होने की आशंका है । इन सभी लक्षणों को देख कर 'निगमित लुटेरों' के संभावित हमले का पता समवायों को लग सकता है ।

दूसरी ओर, धौंस दे कर अपना हित साधने वाले व्यवसायी भी होते हैं । वे समवायों के एक-दो शेयर से अधिक नहीं खरीदते । हमारे देश में उन की संख्या दिन-दिन बढ़ती जा रही है । वे लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन को समवायों के शेयरधारियों की आम बैठक में भाग लेने का अधिकार मिल जाये और समवाय के लेखे का संतुलन-पत्र उन को मिलने लगे । फिर वे शेयरधारियों

में असन्तोष फैलाने का काम शुरू कर देते हैं। उस से निदेशकगण घबरा जाते हैं और उन को चुप करने के लिये बहुत ज्यादा मूल्य में उन के शेयर खरीद लेते हैं।

ऐसे व्यवसायियों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब मैं अपने संशोधनों संख्या ८९, ९० और ९१ को लेता हूं। श्री नथवानी ने उन के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। मैं केवल एक ही बात आप के सामने रखना चाहता हूं। धारा २५० एक क्रियाकारी धारा है धाराओं २४७, २४८ और २४९ के लिये। ये तीनों धारायें शेयरों के स्वामित्व के सम्बन्ध में हैं। यदि किन्हीं शेयरों के स्वामित्व का पता न हो, तो सरकार उन पर कुछ प्रतिबन्ध लगा सकती है। लेकिन बिना कोई जांच-पड़ताल किये यह कैसे मालूम पड़ेगा कि शेयरों का वास्तविक स्वामित्व किस के नाम में है? और यदि यह पता नहीं चलेगा तो उस शेयरधारी के मालिकाना अधिकारों से उसे वंचित कैसे किया जायेगा? इसलिये इन तीन धाराओं में से किसी एक में ऐसी जांच-पड़ताल की व्यवस्था भी होनी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सोमवार को अपना भाषण जारी रखें। अब सभा गैर-सरकारी कार्य शुरू करेगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

बहत्तरवां प्रतिवेदन

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २३ नवम्बर, १९६० को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २३ नवम्बर, १९६० को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

धर्मार्थ न्यास विधेयक

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि धर्मार्थ न्यासों के अधिक अच्छे निरीक्षण तथा प्रबन्ध की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : : प्रश्न यह है :

"कि धर्मार्थ न्यासों के अधिक अच्छे निरीक्षण तथा प्रबन्ध की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

पशु-खाद्य के निर्यात पर प्रतिबन्ध विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री अजित सिंह सरहदी अनुपस्थित हैं । इसलिये हम दूसरा विधेयक । श्री झूलन सिंह ।

†**श्री झूलन सिंह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि देश में पशु-खाद्य के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक का उद्देश्य सभा का ध्यान देश की पशु-सम्पदा की गिरती हुई हालत की ओर आकर्षित करना है। बड़ी विचित्र बात है कि देश में पशु-खाद्यों की कमी होने पर भी, उस के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। उस के फलस्वरूप पशुओं की नस्ल बिगड़ती जा रही है।

योजना आयोग ने हिसाब लगा कर दिखाया है कि हमारे देश में पशु खाद्यों की वार्षिक कमी लगभग २८ प्रतिशत है। इस पर भी हमारा देश हजारों-लाखों टन पशु-खाद्य का निर्यात करता है। इतना ही नहीं निर्यात की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। हम ने १९५३-५४ में ६,८८३ टन पशु-खाद्यों का निर्यात किया था, और १९५५-५६ में वह बढ़ कर २,३१,४२७ टन तक पहुंच गया था। १९५८ में पशुओं के खाद्यों का निर्यात २,३६,००० टन तक पहुंचा था और १९५९ में जनवरी से नवम्बर तक ४,४७,००० टन का निर्यात हुआ था। ये आंकड़ खली के संबंध में हैं। खली के अलावा, और भी पशु-खाद्य हैं। उन का भी निर्यात हो रहा है। खली के अतिरिक्त, अन्य खाद्यों का निर्यात १९५७ में ६,७४८ टन, १९५८ में ९,११६ टन, और १९५९ में जनवरी से नवम्बर तक २१,७७३ टन हुआ।

इसी कारण हमारे देश में खली, ग्वार, इत्यादि अन्य पशु-खाद्यों की २८ प्रतिशत कमी पड़ती है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस की ओर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

इस के फलस्वरूप हमारे देश में दूध और दूध के उत्पादों का उत्पादन दिन-दिन गिरता जा रहा है और उन का आयात बढ़ता जा रहा है। हम ने १९३९-४० में ७,८२६ टन दूध, १८७ टन मक्खन, २,६९९ टन घी और ४८२ टन पनीर का आयात किया था। लेकिन १९५६ में वह बढ़ कर ४५,३८१ टन दूध, ६३९ टन मक्खन, और ६७२ टन पनीर हो गया है। घी का आयात कम हुआ है।

यह एक विचित्र विरोधाभास है। हम पशु-खाद्यों का निर्यात बढ़ा रहे हैं। और उसी के फलस्वरूप दध और दूध के उत्पादों का आयात भी बढ़ता जा रहा है। इस विरोधाभास का अन्त किया जाना चाहिये।

योजना के प्रतिवेदन में बताया गया है कि देश में जितने चारे की आवश्यकता है उस का केवल ७८ प्रतिशत सुलभ है, और खली इत्यादि अन्य पशु खाद्य केवल २८ प्रतिशत पशुओं को ही सुलभ हैं। मैं ने पहले ग़लत कहा था कि २८ प्रतिशत की कमी है। स्थिति यह है कि देश में कुल आवश्यकता का केवल २८ प्रतिशत पशु-खाद्य ही सुलभ है। इस का अर्थ है कि ७२ प्रतिशत की कमी।

हमारे देश में एक पशु-खाद्य ग्वार है। उस की पैदावार प्रतिवर्ष ५० लाख रुपये के मूल्य की होती है। १९५७ में उस के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। लेकिन पता नहीं क्यों १९५७ के दिसम्बर में ही प्रतिबन्ध हटा दिया गया था; शायद अमरीका से अधिक डॉलर पाने के लिये। लेकिन ग्वार के निर्यात से हमें प्रतिवर्ष केवल ५० लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा मिलती है, जबकि उस के फलस्वरूप देश में पशु-खाद्यों की कमी पड़ जाने से पशु-सम्पदा और कृषि को कहीं अधिक हानि पहुंचती है।

कुछ लोग कहते हैं कि निर्यात करने से पहले ग्वार में से चुनी और भूसा निकाल लिया जाता है, जो हमारे पशुओं के काम आता है। लेकिन उस से कोई लाभ नहीं।

यह समस्या तीव्रतर होती जा रही है। इसीलिये मैं ने इस विधेयक द्वारा सभा का ध्यान इस की ओर आकर्षित किया है। आशा है, सभा कृषि के विकास और पशु-सम्पदा की समृद्धि की दृष्टि से पश-खाद्यों के निर्यात पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था करने वाले इस विधेयक को स्वीकार करेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश (शिवपुरी) : कृष्णं बन्दे जगद्गुरुम् । उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है वह देखने में तो बहुत साधारण मालूम पड़ता है परन्तु उस का अपना महत्व है, और महत्व इस लिये है कि आज सारे संसार में, मानव समाज को बचाने का नारा बुलन्द हुआ है । परन्तु मानव केवल मानव की रक्षा करे और बाकी जितने भी पशु पक्षी हैं, उन को उदरस्थ कर जाये, यह कोई मानवता का लक्षण नहीं है । तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार हमारे लिये खाद्य सामग्री की आवश्यकता है उसी प्रकार पशुओं के लिये भी खाद्य सामग्री की आवश्यकता है । पशुओं का जीवन मनुष्य पर निर्भर करता है और मनुष्य का जीवन भी पशुओं पर निर्भर करता है । तब यदि हम पशुओं को पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री नहीं देंगे तो उन का जीवित रहना कठिन दिखता है । विशेषकर भारतवर्ष में, जोकि एक कृषि प्रधान देश है, यदि उस कृषि प्रधान देश में पशुओं की खाद्य सामग्री यहां न रख कर बाहर को निर्यात करदी जायगी, तो व जीवित कैसे रहेंगे ? जहां तक गाय की रक्षा का प्रश्न है, जब भी उस की रक्षा की बात आती है तो लोगों के सामने एक सब से बड़ी समस्या यह खड़ी हो जाती है कि जिन के पास दूध देने वाली गाय नहीं रहती, दूध देने वाली भैंस नहीं रहती, और जिन में सन्तान उत्पन्न करने की भी सामर्थ्य नहीं रहती, तो फिर उस को घर में कैसे बांधे रहे। उसे चारा पूरा मिलता नहीं, जो मिलता है वह भी मंहगा मिलता है क्योंकि हमारे पास जो चारा है हम उस को बाहर भज देते हैं, तो सिवा उस के कटवाने के और चारा क्या है । हमारा पशुधन भुखा मरे तो फिर इस की अपेक्षा कटवा देना ज्यादा अच्छा है क्योंकि उस से पैसा भी अधिक मिलता है और तड़प तड़प कर मरने के बजाय वह इस तरह से जल्दी मर भी जाता है । इस प्रकार हमारा पशुधन शनैः शनैः क्षीण होता जा रहा है । अगर भारतवर्ष में इस प्रकार से पशुधन का अभाव हो गया तो खाली मशीनों के बल पर हम अपने कृषि कार्य को नहीं चला सकेंगे ।

यह जो बिल रखा गया है उस के अन्दर नाम तो ग्वार रखा गया है, मगर वह अपभ्रंश हो गया है । उस का शुद्ध शब्द ढूंढ़गें तो वह है गो आहार अर्थात गाय का आहार। हम ने गो आहार को ग्वार कर दिया और उस ने हम को इतना गंवार बना दिया कि हम उसे बाहर भेजने लगे हैं बजाय गाय को खिलाने के । इस लिये चाहे खली हो, ग्वार हो, या दूसरे प्रकार के आहार हों, जिन से पशुओं की पूर्ण सन्तुष्टि हो सकती है, जिन को खाने के बाद वे बलशाली बन सकते हैं, उस आहार को बाहर भेजने के पहले हमें सोचना चाहिये कि कौन सा मार्ग दूरदर्शितापूर्ण है । जो लोग इस प्रकार से गाय के आहार को बाहर भेज कर उन को दुखी करते हैं, उन के दुःख को हमें दूर करना चाहिये । उन का खाना बाहर भेजना बन्द होना ही चाहिये । साथ ही पशुधन के लिये कौन कौन से आहार आवश्यक हैं इस ओर भी हमें खास तौर से देखना चाहिये और उन की पूर्ति का प्रयत्न करना चाहिये । उन की पूर्ति हो जाने के बाद यदि किसी चीज को बाहर भेजने से लाभ होता है तो उस को बाहर भेजने में हानि नहीं है । हमें यहां पर यह संकल्प ले कर नहीं बैठना चाहिये कि कोई वस्तु हमारे काम आये या न आये, हम उसे बाहर नहीं भेजेंगे । उसे घर पर सड़ाने से कोई लाभ नहीं होगा लेकिन यदि कोई चीज हमारे लिये आवश्यक हो तो उस की चिन्ता न कर के उसे बाहर भेज कर केवल द्रव्य अर्जन करने में लगे रहें, मूल में तो पत्थर मारें और ऊपर के पत्तों को सींचते रहें, तो पत्तों पर पानी डालने से कोई लाभ नहीं होगा । यदि जड़ ही सूख गई तो फिर पत्तों पर पानी डालने से क्या होगा ? इस लिये पशुओं की खाद्य सामग्री हमारे यहां पर्याप्त रहनी चाहिये । जिस प्रकार से हमारे शासन का ध्यान मनुष्यों के खिलाने के सम्ब ध में गया

†मूल अंग्रेजी में

है उसी प्रकार से पशुओं के खिलाने के सम्बन्ध में भी जाना चाहिये। यही इस बिल से ध्वनित होता है, इस से इस सवाल पर प्रकाश पड़ता है। शासन को विशेषरूप से ध्यान देना चाहिय कि हमारे पास कितना पशुधन रह गया है और उस पशुधन को खिलाने के लिये हमारे पास यथेष्ट मात्रा में खाद्य सामग्री है या नहीं। यदि नहीं है, तो कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है जिसे बाहर भेज देने से पशुधन भूखा मरता हो।

अभी अकाल पड़ गया राजस्थान में और अगर लाखों नहीं तो हजारों की संख्या में राजस्थान का पशुधन मध्य प्रदेश में मारा मारा फिरता था। उन में से बहुत से भूखे और प्यासे रास्ते में मर जाते थे। यदि वहां मरने से छूट जाते हैं तो फिर दूसरों के जरिये वे मारे जाते हैं। जब इस तरह के केसेज होते हैं तो उन के लिये हम आहार पहुंचा सकें, इस तरह की व्यवस्था शासन की ओर से होनी चाहिये ताकि जिन्होंने पशुपालन का काम अपने हाथ में लिया है उन के लिये पशुओं के पालन करने में, उन को खिलाने में, कठिनाई न रहे। जिस प्रकार अधिक सन्तान उत्पन्न करने वालों के सम्ब ध में सरकार ने कहा कि कम बच्चे पैदा करो क्योंकि हम खिला नहीं सकते उसी प्रकार चूंकि हम पशुओं को खिला नहीं सकते इस लिये उन को मारना शुरू करें, यह उचित नहीं होग। आदमियों को तो हम मार नहीं सकते इस लिये नहीं मार रहे हैं.....

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : मारते हैं, उन पर गोली चलाते हैं।

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश : वह बात अलग है। उन को इस लिय नहीं मारा जाता कि घर के मेम्बरों की संख्या ज्यादा है। इस लिये जिस तरह से हम मनुष्यों के लिये कहते हैं कि सन्तान इस से ज्यादा न करो, कम से कम पशुओं के सम्बध में यह स्थिति देश में न आये कि चारे की कमी के कारण हमें उन क. कटवाना पड़े। हम चारे की कमी के कारण पशुओं को कटवाते जाते हैं और साथ में चारे का निर्यात बाहर के देशों को करते जाते हैं, तो विदेशी लोग यहां भले ही कहने न आते हों, लेकिन हम साधारण मनोविज्ञान के आधार पर, ह्यूमन साइकालोजी के आधार पर, समझ सकते हैं कि वे हमारा उपहास करते होंगे कि हम अहिंसा का तो नारा लगाते हैं लेकिन पशुओं को अपने पास से मार मार कर उनके पास भेजते हैं। और भेजते क्यों हैं? भेजते हैं अपनी अदूदर्शिता के कारण। इस लिये पशुओं का जो आहार है उसे बाहर नहीं भेजना चाहिये। हम यह मान लेते हैं कि हमें बाध्य हो कर पशुधन को मारना पड़ता है, लेकिन यदि हमारा पशुधन ही नष्ट हो जायेगा तो कैसे काम चलेगा। यह विचारणीय बात है। इस तरह से हमारी स्थिति भी हास्यास्पद बनती है और हमारे पशुधन का भी नाश होता है। एतदर्थ अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने और पशुधन को स्वस्थ बनाने के लिये हम को पशुओं के आहार की रक्षा करनी चाहिये क्योंकि खाली सूखी घास के साथ भी खली और गोआर जैसी चीजें दे कर भी पशुओं को रक्खें तो इस से यथेष्ट मात्रा में दूध निकलेगा। इससे ऐग्रिकल्चरिस्ट का भी भला होगा और पशुओं के लिये भी लाभकारी होगा। यदि हम गायों और भैंसों को बिनौला खिलाते हैं, खली खिलाते हैं और उस के पश्चात् गाय के नीचे बैठते हैं तो उसे लगाते ही मक्खन आना प्रारम्भ हो जाता है। यदि पौष्टिक दूध खाने को मिलेगा तब तो उससे लाभ पहुंच सकता है, नहीं तो नाम मात्र के दूध नामी श्वेत पदार्थ से क्या लाभ हो सकता है, ऐसा पदार्थ तो और चीजों से भी बनाया जा सकता है। इसलिए गायों और बैलों को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता है, और पशुओं के पुष्ट होने से मनुष्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस दृष्टि से यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है और गवर्नमेंट जो सदा अहिंसा का नारा लगाती है इस बात पर ध्यान देगी कि पशुओं का आहार बाहर न भेजा जाए। ऐसा करने से पशुओं का स्वास्थ्य सुधरेगा और देश को आर्थिक लाभ भी होगा और हमारे अहिंसा के सिद्धान्त की भी पुष्टि होगी। तो मैं समझता हूं कि इस बिल पर सरकार को विचार करना होगा और उसको भावना

[पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश]

का आदर करना होगा और जो प्राइवेट मेम्बरों के बिलों की स्थिति बनती है वह स्थिति इस बिल की नहीं बनेगी। और इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके शासन इस दिशा में आवश्यक कदम उठायेगा यह इस समय मैं शासन से प्रार्थना करूंगा।

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की आत्मा का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा नहीं करता कि सरकार इसे स्वीकार करेगी, लेकिन इस अवसर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं।

सरकार ने अपनी निर्यात और आयात नीति को इस तरह गलत तरीके से चला रखा है कि हमारे देश से कच्ची चीज़ें, जिनसे हम और चीज़ें बनाकर धन पैदा कर सकते हैं, तो अक्सर बाहर भेज दी जाती हैं, और तैयार शुदा चीज़ें अक्सर हम बाहर से मंगाते हैं। ग्वार और खली भी ऐसी कच्ची चीज़ें हैं जिन पर यह सिद्धान्त लागू किया जा सकता है। इसी तरह से खनिज पदार्थों का भी हाल है। आप देखेंगे कि हम कच्चा लोहा और दूसरी धातुएं जो हमारे देश में मिलती हैं उनको स्वयं साफ न करके और उनसे दूसरी चीज़ें न बनाकर, उनको बहुत बड़ी तादाद में बाहर भेज रहे हैं, और बहाना यह करते हैं कि हमारे देश को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है इसलिए ऐसा करना जरूरी है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि किसी भी विकासशील अर्थ व्यवस्था वाले देश को अपनी शुरू की सालों में विदेशी मुद्रा की अपने विकास के लिए आवश्यकता होती है, और हमें भी आवश्यकता है। लेकिन इस बात के होते हुए भी हमें ऐसी बात सोचनी चाहिए जिससे हमारी आयात निर्यात नीति इस तरह से निर्धारित हो सके कि हमारे देश से कम से कम कच्चा माल बाहर जाए और वही कच्चा माल बाहर जाए जिसकी हमारे यहां बहुत बहुतायात हो।

अब आप खनिज पदार्थों को लें। हमारे यहां खनिज पदार्थों का अपार भण्डार तो है नहीं। और जहां तक खेत की पैदावार का सम्बन्ध है हमें यह देखना चाहिये कि हम खेत की पैदावार उसी समय बाहर भेजें जबकि हम यह देख लें कि हम उसमें उस सीमा पर पहुंच गये हैं कि जब हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो हमारे देश की अर्थ व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। हम देखते हैं कि हमारे देश में सरकार द्वारा पशुधन पर जितना चाहिये उतना ध्यान नहीं दिया जाता। आदमियों के बारे में तो सरकार यह समझती है कि अगर उन्हें नहीं खिलाया जाएगा तो क्रान्ति हो सकती है, विप्लव हो सकता है, इसलिये उनके लिये तो करोड़ों और अरबों रुपये का अनाज बाहर से मंगाया जाता है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जब हम खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर नहीं हैं तो सरकार कैसे यह सोच लेती है कि वह पशुओं का खाद्य जैसे ग्वार या खली आदि बाहर भेज सकती है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता जो मेरे मित्र श्री झूलन सिन्हा ने सदन के सामने रखे हैं, लेकिन यह मोटी बात है कि जब हम गल्ले के मामले में आत्म निर्भर नहीं हैं तो हम पशु खाद्य के बारे में कैसे आत्म निर्भर हो सकते हैं। आज यह देश की आवश्यकता है कि देश में पशुधन का विकास हो। और यह तभी हो सकता है जब उनको पौष्टिक चीजें खाने को दी जाएं। लेकिन जब हम इन पौष्टिक पदार्थों को विदेशों को भेज देंगे तो हम अपने पशुधन का विकास कैसे कर सकेंगे। और यही कारण है कि आज जहां दूसरे देशों में गाएं काफी दूध देती हैं, वहां हमारे यहां गाय सेर भर दूध देगी, और कभी कभी तो आधा सेर ही देगी और जो बहुत ही अच्छी गाय होगी वह दस सेर तक दूध देगी। हम नहीं समझते कि जब पशु को अच्छा खाद्य नहीं मिलेगा तो वह कैसे अधिक दूध देगा और किस तरह खेती में अच्छी तरह काम करेगा। हमारे पशुओं के कमजोर होने का यह नतीजा होगा कि हमारी आने वाली सन्तान कमजोर होती चली जाएगी। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं एक उसूल की

बात कहना चाहूंगा इस अवसर पर और वह यह है कि सरकार को अपनी आयात निर्यात नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। उनको उन चीजों को देश से बाहर नहीं भेजना चाहिये जो देश को बलशाली बनाने में सहायक हो सकती हैं, चाहे वह आदमियों का प्रश्न हो या पशुओं का प्रश्न हो। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की चीजों के निर्यात पर सरकार को प्रतिबन्ध लगाना चाहिये।

इस देश में खेती के लिये हड्डी की खाद की शक्ल में बहुत जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि हड्डी को बाहर भेजा जाता है और हम बाहर से खाद का आयात करते हैं। नतीजा यह होता है कि खेती को पौष्टिक खाद नहीं मिल पाता और देश में खाद्यान्न की कमी हो जाती है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस प्रश्न पर सोचना चाहिये कि हमको ऐसी कच्ची चीजों को जिनसे हम दूसरी चीजें बना कर देश का धन बढ़ा सकते हैं और यहां के लोगों को काम दे सकते हैं,या उन चीजों को जिनसे हमारे देश के आदमियों को या पशुओं को बल मिलता है, देश से बाहर नहीं भेजना चाहिये। हमें उनके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। और इस प्रतिबन्ध को तक तब लागू रखना चाहिये जब तक कि हम उन चीजों में स्वयं पूरी तरह आत्म निर्भर हो जाएं और बाहर भेजने लायक पैदा कर सकें। अभी जबकि हम स्वयं इन चीजों के मामले में आत्म निर्भर नहीं हैं, तब मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इन चीजों के निर्यात पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाती। मैं तो समझता हूं कि सरकार इस विषय में कोई विचार ही नहीं करती और न उसका कोई सिद्धान्त है। जो चीज जैसी चली आ रही है वह उसी तरह चल रही है। और जहां तक पशुओं के खाद्य को बाहर भेजने का सवाल है उसके बारे में कोई कहने वाला नहीं है, पशु तो बेचारे कुछ कह ही नहीं सकते, और जो गांवों के लोग उनको पालते हैं वे गरीब हैं, वे अपनी आवाज को अखबारों आदि के द्वारा बुलन्द नहीं कर सकते। और इसलिये शायद सरकार इस प्रश्न पर विचार ही नहीं करती। इसलिये मैं इस संदर्भ में इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

मैं इस बात पर विशेष जोर देना चाहता हूं कि सरकार अपनी आयात निर्यात नीति पर पुनः विचार करे। कहा जाता है कि अगर हम को विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगी तो हम बाहर से भारी मशीनों का आयात कैसे कर सकेंगे जिनसे हम दूसरी छोटी मशीनें बना सकें और देश की अर्थ व्यवस्था को विकसित कर सकें।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

इस बात को मानते हुए भी मैं कहना चाहूंगा कि हमको इस प्रश्न पर फिर से विचार करना चाहिये। आपने देश के विकास के लिये अभी तक विदेशों से ५३ अरब रुपया कर्ज लिया है और अगली पंचवर्षीय योजना के लिये फिर आप ४८ अरब का कर्ज लेने जा रहे हैं। और खली और ग्वार के निर्यात से आपको मुश्किल से एक, दो या पांच करोड़ की विदेशी मुद्रा मिल सकेगी। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि जहां एक लादी वहां सवा लादी यह सोच कर आप इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दें क्योंकि ऐसा करने से कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर इससे देश का बड़ा लाभ हो सकता है। इसलिये मैं इस संदर्भ में निवेदन करूंगा कि सरकार अपनी आयात निर्यात नीति पर पुनर्विचार करे और उन सब चीजों के निर्यात पर जिनसे दूसरी चीजें बना कर हम अपनी अर्थ व्यवस्था को दृढ़ कर सकते हैं और जिनके द्वारा हम अपने यहां के आदमियों को और पशुधन को बलशाली बना सकते हैं, उनके निर्यात पर रोक लगा देनी चाहिये। अगर सरकार इस विधेयक के इस सदन में प्रस्तुत किये जाने के बाद इसी निश्चय पर पहुंच जाय और उसकी निर्यात नीति में कुछ आमूल चूल परिवर्तन हो जाय और कच्चे माल के बाहर निर्यात किये जाने पर वह कुछ रोक लगाये तो मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य सफल हो जायेगा।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, जहां तक इस विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि हर एक सदस्य उसके साथ सहमत होगा क्योंकि इस देश का पशुधन आज बहुत कमजोर है उसे हमें तगड़ा, मजबूत और शक्तिशाली बनाना है और उसके लिये जरूरी है कि पशुओं

[चौ० रणवीर सिंह]

को अच्छी और पौष्टिक खुराक दी जाय । इसलिये जहां तक इस प्रस्ताव के ध्येय का वास्ता है उससे हर एक सदस्य सहमत होगा । जहां तक खली, ग्वार आदि के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का वास्ता है मैं समझता हूं कि उसमें भी कोई बहुत ज्यादा आपत्ति की बात नहीं है । लेकिन यह विधेयक ऐसा है जो कि काफी हद तक खींचा जा सकता है और जिसका कि कोई अन्दाज नहीं है क्योंकि जहां तक पशुओं की पौष्टिक खुराक का ताल्लुक है तो उसमें यह सारे आयलसीड्स, तिलहन वगैरह आ सकते हैं । अब तिलहन का एक्सपोर्ट यदि आज के हालात में बैन होता है तो देश के आर्थिक हिसाब को धक्का लगेगा ।

श्री झूलन सिंह : माननीय सदस्य ने शायद जो मैंने परिभाषा कर दी है उसको पढ़ा नहीं हैं । उसके अन्दर आयलसीड्स नहीं आते हैं अलबत्ता आयलकेक्स एंड अदर कंसंट्रेट्स आते हैं ।

चौ० रणवीर सिंह : उसको मैंने देखा है । यह तो ठीक है कि आपने उसको इस तौर पर डिफाइन किया है लेकिन सदन में एक मर्तबा विधेयक आने के बाद न तो फिर उनके वश की बात रह जाती है और कोई पता नहीं कि क्या परिभाषा की जाय, उसको कहां तक खींचा जाय और वह परिभाषा किस के हाथ में पहुंच जाय और ऐसी हालत में जो आज उनकी मंशा है वह कहां तक बरकरार रह सकेगी यह मुझे मालूम नहीं है । इसीलिये मैंने शुरू में कहा है कि पशुओं के पौष्टिक पदार्थों के आयात पर जो यह रोक लगाई जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है तो इसके अन्तर्गत क्या क्या चीजें आ जायेंगी और जैसे मैंने कहा आयलसीड्स और तिलहन आदि पर अगर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा तो उसमें आपत्ति हो सकती है क्योंकि उसका असर हमारी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल पड़ने वाला है ।

यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश के पशुओं की हालत निहायत शोचनीय है । आप जानते ही हैं कि जहां तक हमारे देश का ताल्लुक है ७५ फीसदी किसान इस देश में बसते हैं और जिनका कि जीवन खेती-बाड़ी पर निर्भर करता है और खेती आज के हालात में देश के पशुधन पर निर्भर करती है । पशुधन की तरक्की एक तरह से मैं मानता हूं कि देश के ७५ फीसदी आदमियों की तरक्की करनी है । यह एक अजीब हालत है और देश की बदकिस्मती है कि बावजद इस बात के कि हम गऊ सेवक होने का दम भरते हैं और उस सम्बन्ध में गौसेवक समाज और अन्य संस्थाएं बनाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश की गाय, भैंसें आदि दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत कमजोर पड़ती हैं । अमरीका आदि अन्य अन्य देशों में जहां कि लोग गाय या पशु पूजा का नाम तक नहीं लेते हैं उनकी गाय, भैंसों आदि दूध देने वाले पशुओं की नस्ल हमारे मुकाबले बहुत अच्छी है । अपने देश के पशुधन का विकास करने और उनको तगड़ा बनाने के लिये और कई बातों की जरूरत है वहां यह भी जरूरत है कि उनको पौष्टिक खुराक अधिक से अधिक दी जाय । इस नाते मैं श्री झूलन सिंह का मशकूर हूं कि उन्होंने सदन का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया कि आज के हालात में पशुधन की तरक्की के लिये उनको अच्छी खुराक देना कितना जरूरी है । पशुओं की अच्छी खुराक क्या है, किस किस इलाके में कौन कौन सी खुराक है जिसको कि पशुओं के वास्ते अच्छी खुराक में तबदील किया जा सकता है यह काश्तकारों और पशु पालने वालों को बतलाना निहायत जरूरी है । आज जितनी आवश्यकता हमारे देश में ग्रो मोर फूड की है उतनी ही बल्कि उससे भी बढ़ चढ़ कर जरूरत इस बात की है कि हम देहातों के अन्दर यह बतलायें कि पशु पालन करने वालों के पास कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको कि यदि वे अच्छे ढंग से अपने पशुओं को खिलायें तो उनके मवेशी स्वस्थ और ज्यादा दूध देने वाले बन सकते हैं । मेरी समझ में एक्सपोर्ट पर बैन लगाने से यह चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है वैसे मुझे कोई ऐतराज नहीं है अगर खली और ग्वार के एक्सपोर्ट पर पाबन्दी लगा दी जाय । लेकिन जैसे मने बतलाया आयलसीड्स और चना भी पौष्टिक खुराक के तहत आ सकते हैं और उनके एक्सपोर्ट पर यदि पाबन्दी लगती है तो उसका असर देश और समाज की अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल पड़ने वाला

है और खास तौर से हमारे दक्षिण के भाई जो कि आयलसीड्स की खेती करते हैं उनको इससे धक्का पहुंचने वाला है क्योंकि जहां इसका भाव आज ३४ रुपये मन है वहां वह १० या १२ रुपये मन पर भी नहीं बिक सकेगी। इसलिये पाबन्दी लगाने के ढंग से सोचना मैं समझता हूं कुछ ठीक शायद न होगा और मैं नहीं समझता कि सरकार यह विधेयक मंजूर भी कर सकेगी या उसे मंजूर करना भी चाहिये लेकिन जहां तक पशुओं को अच्छी खुराक देने का सवाल है उसमें कोई दो मत नहीं हो सकते और आज उसकी बहुत आवश्यकता है।

सभापति महोदय, अगर आप कलकत्ता या बम्बई जायें तो आप देखेंगे कि हमारे मवेशियों की वहां पर कैसी दुर्दशा की जाती है। हरियाने का पशु धन हमारे देश में सब से अच्छा माना जाता है चाहे वह गाय हो अथवा भैंस सिवाय एक सिंधी काऊ के। हरियाने की गाय भैंस देश के दूसरे भागों की गायों और भैंसों के मुकाबले में अधिक दूध देती हैं और मजबूत होती हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जो डंगर वहां कलकत्ते और बम्बई जाते हैं तो उनको एक ही व्यान्त के बाद बूचड़खाने में पहुंचा दिया जाता है क्योंकि आदमी यह खयाल करता है कि उसको बूचड़खाने भेज कर कटवाना ज्यादा लाभप्रद होगा बनिस्बत इसके कि उसको दूसरी व्यान्त तक पाला जाय।

आज यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि हमारे देश में पशु धन का ह्रास निरन्तर होता जा रहा है और जहां अन्य आवश्यक व्यवस्थायें करनी चाहिएं वहां पशु धन की उन्नति के लिए उत्तम खुराक का प्रबन्ध भी आवश्यक है। आदमी गाय आदि दूध देने वाले जानवर इसीलिये पालते हैं कि उनसे उनको एकोनामिक रिटर्न मिल सके। ऐसा दो तीन तरीकों से हो सकता है। इसके लिये जगह जगह पर ड्राई मिल्क प्लांट्स लगाये जायें। हमारे कृषि मंत्रालय ने जब पंजाब में यह सवाल उठा तो उन्होंने पंजाब के अन्दर अमृतसर में ड्राई मिल्क प्लांट लगाया। अब अगर कलकत्ते में आप अमृतसर के नाम से पशु बेचना चाहें तो उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। उसकी कीमत जभी उठ सकती है जब यह बतलाया जाय कि यह गाय अथवा भैंस रोहतक या हिसार की है और उस हालत में उसकी कीमत १००, २०० रुपये ज्यादा उठ सकती है। अब वहां दूध और क्रीम निकालने का अगर कोई प्लांट लगाया भी जाता है तो वह दूसरी तरफ लगाते हैं। मंत्री महोदय अपने जवाब में कह सकते हैं कि हमने दिल्ली में मिल्क सप्लाई स्कीम लागू की है लेकिन मैं जानता हूं कि वह कितने दूध का इन्तजाम कर सकी है। हमारे इलाके में सब कोई जानते हैं कि कितना अच्छा पशुधन है। अकेले दिल्ली स्टेट के अन्दर जो दो चार सौ गांव हैं सरकार इस स्कीम के तहत उनका भी तमाम दूध नहीं ले पा रही है। लेकिन ऐसा कहने से मेरी यह मंशा नहीं है कि गांव वालों के पास दूध छोड़ा ही न जाय। दूध से क्रीम निकालने की मशीन २००, ३०० या ४० रुपये में आती थी लेकिन आज उसके ऊपर बाहर से मंगाने प र पाबन्दी है और न ही उस मशीनरी को अपने देश में बनाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाता है और उससे भी हमें पशुओं को अच्छी खुराक देने में काफी मदद मिल सकती है। दूसरे देशों में तो चूंकि दूध से क्रीम निकाल ली जाती है इसलिये वे बछड़ों को खूब दूध पिलाते हैं जब कि हमारे वहां पर हालत बि.कुल दूसरी है और गाय से बछड़े को ज्यादा से ज्यादा दूर रखने की कोशिश होती है।

विदेशों में दूध से क्रीम निकालते हैं और जो सैप्रेटा बच रहता है उसको बछड़े को खब पिलाया जाता है और जाहिर है कि वे खब मज़बूत होंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में भी ऐसा हो और वह तभी हो सकता है जबकि देहातों में क्रीम निकालने की छोटी छोटी मशीनें लगी हों और जैसे कि एक इंसान के बच्चे के लिये मां के दूध से अच्छी और पौष्टिक दूसरी कोई वस्तु नहीं है उसी तरह गाय या भैंस के बछड़े के वास्ते गाय या भैंस का दूध है। जहां तक खली वगैरह का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि उनकी बहुत अहम जगह है।

[चौ० रणवीर सिंह]

मैं माननीय सदस्य का फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि इस विधेयक के ज़रिये उन्होंने इस देश के पशुओं की बुरी हालत की तरफ़ ध्यान दिलाया है। मैं समझता हूं कि इस वधेयक को तो शायद सरकार मंजूर न कर सकेगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस तरफ़ तेज़ी से कदम उठायगी कि इस देश के पशु ज्यादा से ज्यादा मज़बूत और ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाले हों।

†**श्री ओझा** (झालावाड़) : मैं मानता हूं कि हमारे देश में, कृषि के बाद, पशु-पालन उद्योग ही सब से महत्वपूर्ण है। पशु-पालन में सुधार किये बिना, देश के देहाती क्षेत्रों की जनता के रहन-सहन का स्तर ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इस काम को वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिये। हमें भावुकता में नहीं बहना चाहिये।

हमारे देश की मुख्य समस्या यह है कि पशुओं की संख्या कैसे घटायी जाये। श्री झूलन सिंह की दलील है कि जब तक हमारे देश के पशुओं के लिये पर्याप्त पशु-खाद्य न जुटें, तब तक उनका निर्यात नहीं होना चाहिये। इसी दलील को अन्य वस्तुओं पर लागू किया जाये तो कहना चाहिये कि जब तक कोई वस्तु देश की आवश्यकता से अधिक न हो, उसका निर्यात न किया जाये। तब तो हमारे देश की पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था कभी भी विकसित नहीं हो पायेगी, क्योंकि तब हमें विदेशी मुद्रा मिल ही नहीं पायेगी।

हमारे देश में ३० करोड़ मवेशी हैं, जिनमें से १६ करोड़ गायें और ५ करोड़ भैंसें हैं लेकिन उनमें से कितनी गायें-भैंसें दूध देती हैं ? अधिकांश दूध नहीं देतीं। केवल पशु-खाद्य खाती हैं। जो गाय-भैंसें दूध नहीं देतीं उनको गो-सदनों में रखना चाहिये।

हमें अपना निर्यात बढ़ाना चाहिये, क्योंकि देश के विकास के लिये विदेशी मुद्रा दरकार है। इसलिये पशु-खाद्यों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की नीति ग़लत होगी। पशु-सम्पदा के सुधार के लिये वैज्ञानिक मार्ग अपनाया जाना चाहिये, कोरी भावुकता का नहीं।

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : आरम्भ में मैं श्री झूलन सिंह तथा अन्य वक्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश के पशुओं के प्रति इतना प्रेम दिखाया है।

श्री ओझा ने बताया कि देश में कृषि के बाद पशुओं को ही महत्व दिया जाना चाहिए। मेरा भी अपना यही विचार है कि इस देश में कृषि का आधार पशुपालन ही है इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी खेती बढ़े तो पशुओं की हालत सुधारनी पड़ेगी। दुर्भाग्यवश इस देश में पशु के प्रति प्रेम भावना के आधार पर अधिक है ; वैज्ञानिक आधार पर पशु पालन की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार को, जनता की राय के कारण पशु विकास के लिए कुछ विधान पारित करने पड़े थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण गो-वध पर प्रतिबन्ध था। अब समय आ गया है कि हम इस पर विचार करें कि उस प्रतिबन्ध के कारण क्या हमारे पशुओं का विकास हुआ है। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि उसका उल्टा प्रभाव हुआ है। ढोरों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। श्री झूलन सिंह ने बताया कि देश में ढोरों की संख्या लगभग ३० करोड़ है ; भारत में पशुओं की संख्या लगभग ४० करोड़ है।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : पशुओं की संख्या ४० करोड़ है और आदमियों की संख्या भी ४० करोड़ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मौं० वें० कृष्णप्पा :** जी हां । मैं आदमियों की तुलना जानवरों से करना नहीं चाहता था। ३० करोड़ ढोर समेत ४० करोड़ जानवर और ४० करोड़ आदमी, सभी को इसी भूमि से अपना पेट भरना है ।

मुझे बताया गया है कि रूस में प्रति व्यक्ति छः से सात एकड़ खेती की भूमि उपलब्ध है । अमरीका में भी प्रति व्यक्ति लगभग छः एकड़ खेती की भूमि है और उनके पास कृष्यकरण के लिये बहुत सी भूमि पड़ी है । हमारे यहां लगभग ३० करोड़ एकड़ भूमि में खेती होती है और शेष केवल दो से तीन करोड़ एकड़ भूमि ऐसी बचती है जिसको खेती के योग्य बनाया जा सकता है । इस प्रकार भारत में भूमि साधन बहुत सीमित है जब कि जनसंख्या तथा पशु संख्या बढ़ती जा रही है । गऊ वध पर प्रतिबन्ध के कारण ऐसे ढोरों की संख्या बहुत बढ़ गई है जो बेकार और बूढ़े हैं परन्तु फिर भी उनकी देख भाल की जा रही है। देश में २० करोड़ पशु , १० करोड़ भेड़, बकरी, ऊंट, गधे और घोड़े तथा लगभग १० करोड़ मुर्गे मुर्गियां हैं । इस प्रकार देश का पशुधन ४० करोड़ हो जाता है । इन ४० करोड़ में से ढोर केवल २० करोड़ हैं अर्थात् १५ करोड़ गाय और बैल तथा ५ करोड़ भैंसें। भारत में ढोरों की संख्या इस प्रकार बढ़ रही है कि दूध कम होता जा रहा है ।

मैं हौलैंड तथा डेनमार्क हो आया हूं, जहां संसार में सबसे ज्यादा और अच्छा दूध होता है । वहां पर मैंने पशुओं को सुधारने के वैज्ञानिक तरीके देखे हैं । उन्होंने प्रति वर्ष पशुओं की संख्या कम करने की और दूध बढ़ाने की योजनायें बना रखी हैं । उनकी यह योजनायें सफल हो रही हैं ।

दुर्भाग्यवश इस देश में हम सभी बेकार, बूढ़े पशुओं को बचाना चाहते हैं । उनकी संख्या २० करोड़ में से लगभग २ करोड़ है । एक गाय या भैंस की देख भाल एक आदमी कीं देख भाल से कम कठिन नहीं है । और जब आदमियों की देख भाल ठीक तरह से नहीं हो पाती है तो इन दो करोड़ पशुओं की देख भाल किस प्रकार हो सकती है । हमारे देश में बहुत से व्यक्ति अपने बूढ़े मां बाप की देख भाल भी नहीं करते हैं । ऐसी स्थिति में हम यह आशा किस प्रकार करते हैं कि हमारे देश के लोग बूढ़े पशुओं की देख भाल करें। इसीलिए हमारे किसान नेक इरादे रखते हुए भी अपने पशुओं को छोड़ देते हैं जो दूसरे लोगो के खेतों में चरने चले जाते हैं । केवल पंजाब में ही इस समय २ लाख बेकार ढोर हैं जो फसलों को चर जाते हैं । जब कि दूसरे देशों में लोग गाय खाते हैं, हमारे देश में गाय ने लोगों को खाना शुरू कर दिया है ।

मैं मानता हूं कि पशुओं के प्रति प्रेम भाव के करण, पशुओं के विकास के कारण इस प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं । परन्तु यदि सरकार इस प्रकार के विधान स्वीकार कर लेगी तो मैं समझता हूं कि पशुओं का विकास होने के बजाये उनका ह्रास ही होगा ।

जैसा कि श्री ओझा ने बताया अब समय आ गया है, जब हमें देश के पशुओं को कम करने के बारे में विचार करना चाहिये । यदि भारत में सभी व्यक्ति यह समझ जाते कि पशुओं को अधिक चारा देने से अधिक तथा उत्तम दूध मिल जायेगा तो हमारे पशुओं की जो दशा आज देखने में आती है वह न हुई होती और वह देश के लोगों के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध हुए होते । दुर्भाग्यवश हम गाय की केवल पूजा तो करते हैं परन्तु उन्हें खाने को नहीं देते हैं । मैंने पशु-रक्षा की दुहाई देने वाले बहुत से लोगों को देखा है जिनके घर के सामने भूखी गायें बंधी रहती हैं और उनको कोसती रहती हैं ।

भारत में अब यही समस्या है कि पशुओं की संख्या कम करके उनकी नस्ल किस प्रकार सुधारी जाये । भारत के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में पशुओं की क्या स्थिति है ? आज दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में अधिक पशु हैं । श्रीमान, मैं आपके राज्य उड़ीसा में एक बार गया था

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मों० वे० कृष्णप्पा]

और वहां रेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। प्रातः काल जब मैं उठा तो मैंने देखा कि रेस्ट हाउस के सामने आठ गायें खड़ी हैं। मने निकट खड़े व्यक्ति से पूछा कि उन आठ गायों को वहां पर किस लिये लाया गया है। उसने बताया कि वह उनको मेरे सामने दुहने के लिये लाया है। मैंने उससे पूछा कि उसके अनुसार मुझे कितना दूध चाहिए। उसने उत्तर दिया कि आठों गायों का दूध लगभग एक सेर होगा। उड़ीसा में ऐसी स्थिति है। यदि आप हालैंड, जर्मनी अथवा फिनलैंड जायें तो आपको पता लगेगा कि वहां पर एक गाय ३५ पौंड अथवा ४० पौंड औसतन दूध देती है। सच यह है कि वहां पर ऐसी भी गायें हैं जो एक मन दूध तक देती हैं जबकि भारत में एक गाय आधा सेर और कभी कभी इससे भी कम दूध देती है। ऐसी स्थिति केवल इस कारण है क्योंकि हम गाय की पूजा करते हैं; क्योंकि हमारा देश के पशु धन का विकास करने का तरीका ही ग़लत है।

इसलिए भारत में हमें किसानों में यह प्रचार करना चाहिए कि वे अधिक चारा उगायें और उसको पशुओं को अधिक खिलायें जिससे पशु अधिक दूध देने लगें। अमरीका में लगभग ३० प्रतिशत भूमि में चारा उगाया जाता है। रूस में भी ऐसा ही है। बल्कि योरोप के सभी देशों में ऐसा है। यदि किसान के पास १०० एकड़ भूमि है तो उसने उसमें से ३० एकड़ चारा उगाने के लिए रखी हुई है। शेष भूमि में ही अनाज उगाया जाता है। किसान ३० एकड़ भूमि में चारा उगाकर, उसको इकट्ठा करके रखता है और पशुओं को खिलाता है जिससे वह अधिक दूध देते हैं और साथ ही साथ खाद भी बनाते हैं। दूध को आदमी पीता है और बाद में मल विष्ठा के रूप में खाद बनती है। उनकी खेती का विकास इस प्रकार हो रहा है कि खेती का आधार स्तंभ उन्होंने ढोरों को बनाया हुआ है।

परन्तु भारत में ३३ करोड़ एकड़ भूमि में से हमारा किसान मुश्किल से एक एकड़ भूमि में भी चारा नहीं उगाता। जो चारा हम अपने पशुओं को देते हैं वह वास्तव में चारा नहीं होता। हम तो केवल उनको ऐसा भूसा खिलाते हैं जिसका उपयोग पैक करने के लिए ही हो सकता है। हमारे पशु जो गेहूं का भूसा खाते हैं उसकी तुलना में विदेशों में पशु कहीं अच्छा चारा खाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने किसानों को बतायें कि वह खेतों में अधिक चारा उगायें। उनको बताया जाना चाहिए कि प्रत्येक १० एकड़ भूमि में से ३ एकड़ भूमि में चारे की खेती होनी चाहिए, जिससे गाय, भैंस आदि को पर्याप्त चारा मिल सकें और वह दूध और खाद पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न कर सकें। परन्तु हम केवल गाय की पूजा करते हैं और गऊ वध बन्द कराना चाहते हैं।

विधेयक के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि प्राप्य आंकड़ों के अनुसार हम ४० लाख टन खली (बिनौले सहित), चोकर आदि अन्य पशु-खाद्य उत्पादित करते हैं। क्या आप समझते हैं कि यह सारा ४० लाख टन पशुओं को खिलाया जाता है? यदि हम केवल इतना भी अपने पशुओं को खिलाते तो भी हमारे पशुओं की हालत काफी अच्छी होती। हमारी बहुत सी खली तो खाद के काम में आती है। यदि हम गन्ना, तम्बाकू और मिर्च उगाने वालों को उर्वरक न दें तो वह खली को खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए भारत में उत्पादित सारी खली गायों को नहीं खिला दी जाती है अपितु कुछ तम्बाकू और मिर्च के खेतों में खाद के रूप में भी डाली जाती है। इस चीज़ को रोकना है।

खली का निर्यात करने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है वह इस प्रकार है। हम ने इसका निर्यात केवल विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य से किया है जिससे उर्वरकों का आयात किया जा सके। खली में ७ प्रतिशति नाइट्रोजन होता है जबकि अमोनियम सल्फेट में २१ प्रतिशत। इस प्रकार एक टन

अमोनियम सल्फेट के स्थान पर तीन टन खली का प्रयोग किसान को करना होता है। और खली का प्रति टन मूल्य उर्वरक के प्रति टन के मूल्य से अधिक है। इसलिए हमने यह ठीक समझा कि कुछ लाख टन खली का निर्यात करके हम उसका तीन अथवा चार गुना उर्वरक आयात कर सकते हैं। खली के निर्यात से जो भी धन हम कमाते हैं उसका प्रयोग उर्वरकों के आयात में करते हैं। यह उर्वरक किसानों को गन्ने, तम्बाकू अथवा मिर्च के लिए दिये जाते हैं।

तो सरकार बीच बीच में इन मामलों पर विचार करती है। जब उत्पादन बढ़ता है तभी निर्यात की स्वीकृति दी जाती है। जब हम खली का निर्यात करते हैं तो इसके मूल्य बढ़ जाते हैं। और इसलिये किसान को अधिक मूंगफली उगाने का प्रोत्साहन मिलता है। आन्ध्र प्रदेश में अधिकांशतः ऐसा होता है। हम इन मूल्यों के बारे में राज्यों से पूछताछ करते रहते हैं और पशुओं की खुराक के मूल्यों का ध्यान रखते हैं। मैं श्री झूलन सिंह को बताना चाहता हूं कि तीन वर्षों में मूंगफली की खली के मूल्य १–८ रुपये से २ रुपये तक बढ़ गये हैं। मूंगफली या अन्य सभी कृषि उत्पाद के मूल्य खली से अधिक बढ़े । परन्तु पशुओं के लिए इसकी अत्यधिक उपयोगिता होने पर भी हमें विदेशी मुद्रा कमाने के लिए और उर्वरक मंगाने के लिए इसका निर्यात करना ही पड़ता है। दूध की मशीनों का आयात करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि देश में जितनी अधिक दुग्धशालायें स्थापित हो जायेंगी उतनी अच्छी तरह से हम पशुओं की देखभाल कर सकेंगे। हमारा अनुभव है कि जहां कहीं भी दुग्ध संभरण योजना आरम्भ हुई वहीं पर पशुओं की हालत सुधरी है। नस्ल भी अच्छी होती है और दूध की बिक्री से किसानों को धन भी अधिक मिलता है।

इस प्रकार हमें पूरी स्थिति का ध्यान रखना पड़ता है। हम ने यह भी ठीक समझा था कि हम पशुओं के खाद्य पदार्थों को निर्यात करें जिससे विदेशी मुद्रा हमें मिल सके। अन्यथा मैं श्री झूलन सिंह की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि पशुओं की खुराक का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हम गाय को इसलिए अच्छा खिलाते हैं जिससे अच्छा दूध मिले। सरकार इन सभी बातों पर विचार करके खली का निर्यात कर रही है।

मैं आशा करता हूं कि श्री झूलन सिंह अब इस विधेयक को वापस ले लेंगे।

†**श्री झूलन सिंह** : मैं इस विधेयक का समर्थन करने वाले माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं चौधरी रणवीर सिंह की एक गलत फहमी दूर कर दूं। इस विधेयक का मंशा तिलहनों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना नहीं है। हां, परोक्ष रूप से उस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। विधेयक में पशु-खाद्यों की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। उसमें केवल वही खली है जो पशुओं की खुराक के काम आती है।

श्री ओझा ने मेरे तर्क को अन्य वस्तुओं के निर्यात पर भी लागू किया है और नतीजा निकाला है कि उसको मानने से तो सभी वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की जानी चाहिये। मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं। मैंने इस समस्या का गहराई से अध्ययन किया है और उसके बाद ही यह विधेयक रखा है। मुझे सरकारी नीति मालूम है। सरकार विदेशी मुद्रा के लिये ही पशु-खाद्यों के निर्यात की अनुमति देती है। विदेशी मुद्रा हमारे देश के विकास के लिये अत्यावश्यक है। लेकिन वस्तु-स्थिति यह है कि इससे हमें जितनी विदेशी मुद्रा मिलती है, उसकी अपेक्षा हमारी कृषि और पशु-सम्पदा को कहीं अधिक हानि पहुंचती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री झूलन सिंह]

सरकारी नीति से मेरा बुनियादी तौर पर मतभेद है । माननीय मंत्री ने बताया है कि गायों के वध पर प्रतिबन्ध लगाने से देश की अर्थ-व्यवस्था पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है । मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन माननीय मंत्री ने जब प्रश्न उठा ही दिया है तो उसका उत्तर मुझे देना पड़ेगा । गौ-वध पर प्रतिबन्ध लगाने वाले राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब—ने इस समस्या का महत्व समझ लिया है । वे भी देश देश के हितों का उतना ही प्रतिनिधित्व करते हैं जितना कि केन्द्र करता है । हमें केन्द्रीय सरकार से मतभेद रखने का पूरा अधिकर है । गौ-वध पर प्रतिबन्ध लगाने से कोई पेचीदगी नहीं आई है । वह हमारे देश के इतिहास और संस्कृति के अनुकूल है ।

जब माननीय मंत्री उड़ीसा गये थे, तो उनके लिये दूध जुटाने को आठ गायों की जरूरत पड़ी थी । उसका कारण यही हो सकता है कि उड़ीसा में मवेशियों की नस्ल और उनकी खुराक घटिया दर्जे की होगी । हमारे क्षेत्र की आठ गायों का दूध केन्द्र के सारे मंत्रियों के लिये पूरा पड़ सकता है । इसलिये यदि किसी क्षेत्र की गायें कम दूध देती हैं, तो उसके आधार पर पूरे देश में गौ-वध लागू करने की दलील नहीं दी जा सकती ।

माननीय मंत्री ने वैज्ञानिक तरीकों से मवेशियों के पालन-पोषण पर जोर दिया है, लेकिन हमारे देश की परिस्थिति में अभी वह सम्भव नहीं । वैसे मैं चाहता हूं कि वैज्ञानिक तरीके अपनाये जायें । वे व्यावहारिक भी हैं । लेकिन उसका यह मतलब भी नहीं होता कि देश में सुलभ पशु-खाद्यों का निर्यात किया जाये । सरकार चाहे तो खली इत्यादि पशु-खाद्यों के खाद के लिये उपयोग किये जाने पर प्रतिबन्ध लगा सकती है । चूंकि खादों के लिये उनका उपयोग किया जाता है, इसलिये उनका निर्यात हो—यह तो कोई अच्छी दलील नहीं हुई ।

हिन्दू शास्त्रों और ऋषि-महर्षियों ने गौ-पूजा और गौ-विकास की जो बात कही थी, वह अकारण नहीं थी । मैं यह नहीं मानता कि उन्होंने केवल भावुकतावश उसका प्रतिपादन किया था । उन्होंने समझ लिया था कि कृषि के लये पशुओं का कितना महत्व है ।

अन्त में, माननीय मंत्री ने कहा है कि विदेशी मुद्रा पाने के लिये ही खली का आयात किया जाता है ।

इस से स्पष्ट है कि खली का निर्यात करने का कारण यह नहीं है कि खाद के लिये उसका दुरुपयोग होता है । यदि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खादें नहीं मिलेंगी, तो उसके लिये वे खली का प्रयोग अवश्य करेंगे । उसमें गलत बात क्या है ?

यह दलील भी ग़लत है कि मवेशी हमारे देश में आदमियों के सुलभ सारा खाद्य खुद खा जाते हैं । एक किसान इस दलील को कभी भी नहीं मानेगा ।

अन्त में मुझे कहना है कि आप जिन मवेशियों को आर्थिक रूप से अस्तित्व-योग्य नहीं मानते, वे भी हमें कुछ अधिक ही देते हैं । उनसे हमें गोबर, चमड़ा, इत्यादि मिलता है । मैंने हिसाब लगा कर देखा है कि एक गौ-सदन में एक मवेशी पर लगभग २३ रुपये खर्च किये जाते हैं और वह मवेशी हमें लगभग ३५ रुपये के मूल्य की वस्तुयें देता है । फिर उनको आर्थिक दृष्टि से अस्तित्व-योग्य क्यों नहीं माना जाता ?

मेरे इस विधेयक का मंशा यही था कि पशु-खाद्यों की समस्या की ओर सभा का ध्यान आकर्षित हो । वह पूरा हो चुका है । इसलिये मैं अब अपने विधेयक को वापस लेना चाहता हूं ।

विधेयक, सभाकी अनुमति से, वापस लिया गया ।

नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलूबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "स्थायी प्रकार की नौकरियों में नैमित्तिक श्रमिकों को नियुक्त करने की पद्धति का अन्त करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

नैमित्तिक श्रमिक हमारे समाज के सब से दयनीय व्यक्तियों में से हैं । इन्हें न केवल कृषि में अपितु पूर्ण विकसित उद्योगों में भी नियुक्त किया जाता है । दुःख की बात यह है कि इनके काम, इन की नियुक्ति की पद्धति इन की मजूरी इत्यादि के बारे में कोई भी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

वस्तुतः अंग्रेज़ी शासन काल में भी इस पद्धति की निन्दा की गई थी । इस के सम्बन्ध में एक रायल आयोग भी नियुक्त किया गया था, किन्तु आज भी यह पद्धति न केवल गैर-सरकारी अपितु सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में प्रचलित है । गैर-सरकारी क्षेत्रों में इनकी नियुक्ति ठेकेदारों द्वारा की जाती है, ये लोग अधिकांश अप्रवीण श्रमिक होते हैं, इस का फल यह होता है कि इन्हें मजूरी कम दी जाती है और इन का खूब शोषण किया जाता है । दुख का विषय यह है कि यद्यपि अस्थायी श्रमिकों को कुछ सुविधायें इत्यादि प्राप्त हो गई हैं, लेकिन इन श्रमिकों को अभी तक किसी प्रकार की सुविधायें या सुरक्षा प्राप्त नहीं हैं । इन श्रमिकों के लिये कोई विधान भी नहीं बना है । इन के लिये कोई नियत मजूरी भी नहीं है ।

नैमित्तिक श्रमिकों की सब से अधिक संख्या रेलवे और डाक तथा तार विभाग में काम करती है । केवल रेलवे में दो लाख से अधिक नैमित्तिक श्रमिक हैं । वे लोग एक ही कार्य को पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, तथापि उन्हें अस्थायी नहीं बनाया जाता है । प्रत्येक माह के अन्त में उन्हें नोटिस दे कर एक दिन के लिये काम से हटा दिया जाता है, इस प्रकार वे वर्षों तक नैमित्तिक श्रमिक ही बने रहते हैं । इस से सम्बन्धित अधिकारियों में भ्रष्टाचार बढ़ता है, दूसरी ओर श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात होता है । डाक और तार विभाग में भी यह पद्धति अपनाई जाती है ।

इस सम्बन्ध में पहले वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि रेलवे तथा डाक और तार विभाग में भी, जहां कि काम अस्थायी प्रकार का है, वहां नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या कम से कम रखी जाय । दुःख का विषय यह है कि उन की संख्या बढ़ती जा रही है ।

गैर-सरकारी कारखानों में श्रमिक विधानों में प्रगति के साथ साथ नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति में वद्धि हुई है । वे बदली के नाम पर इन श्रमिकों को स्थायी श्रमिकों के एवज में नियुक्त करते हैं और इस प्रकार एक तो स्थायी श्रमिकों को उन के हक से वंचित किया जाता है और दूसरे इन नैमित्तिक श्रमिकों को कोई सुविधायें नहीं दी जाती हैं ।

[श्री मूल चन्द डुबे पीठासीन हुए]

बंगाल में जितनी भी इंजीनियरिंग कम्पनियां हैं, वे सब अपने ठेकेदारों द्वारा नैमित्तिक श्रमिकों को ही नियुक्त कर वर्षों से काम कर रही हैं । इस सम्बन्ध में, मैं आप को दो तीन कम्पनियों के उदाहरण देना चाहता हूं ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक समवाय में लगभग दो हजार व्यक्ति पिछले दस वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन वे सब के सब श्रमिक नैमित्तिक आधार पर हैं समवाय के वास्तविक कर्मचारी केवल तीन ठेकेदार हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अरविन्द घोषाल]

ज्वाइंट स्टीमर कम्पनी कलकत्ता भारत की सब से बड़ी नौपरिवहन कम्पनी है यह आसाम की चाय को बंगाल में और आसाम की आवश्यकता का सामान बंगाल से आसाम पहुंचाती है । इस समवाय में पिछले ५० वर्षों से ५,००० व्यक्ति काम कर रहे हैं। लेकिन वे सारे के सारे श्रमिक नैमित्तिक आधार पर रखे गये हैं । यद्यपि उन के कार्य में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है तथापि श्रमिकों की दशा वही चली आ रही है ।

बर्ड एण्ड कम्पनी के भारत में लगभग दो लाख मजदूर काम करते हैं । लेकिन ये सभी मजदूर ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । एक औद्योगिक विवाद के दौरान यह ज्ञात हुआ कि कम्पनी मजदूरों की नियुक्ति का सारा कार्य कुछ सरदारों के द्वारा करवाती है, इन की संख्या केवल ९४ है, इन के ऊपर कुछ छोटे ठेकेदार हैं जिन की संख्या २३ है इन के ऊपर कुछ ठेकेदार हैं, इन की संख्या केवल तीन है, यह स्पष्ट है कि किसी भी नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति में इन सभी को कुछ न कुछ अंश मिलता है ।

कुछ कार्मिक संघों ने नैमित्तिक श्रमिकों तथा नियोजकों के बीच के सम्बन्धों के स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया । दुख का विषय यह है कि ये नैमित्तिक श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन दी गई श्रमिक की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं, इस कारण उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन मिलने वाले लाभ भी नहीं मिल सकते हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि कई औद्योगिक न्यायाधिकरणों ने यह सिफारिश की है कि इन नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी बना लिया जाये । कई औद्योगिक न्यायाधिकरणों ने यह लिखा है कि नैमित्तिक श्रमिकों को यथासंभव स्थायी कर दिया जाये । वे इस सम्बन्ध में कोई पंचाट नहीं दे सके हैं ।

नैमित्तिक श्रमिकों की यह पद्धति अब न केवल मजदूरों पर अपितु क्लर्क और टाइपिस्टों पर भी लागू की जा रही है । कलकत्ता की कुछ वाणिज्यिक फर्में क्लर्क और टाइपिस्टों को भी दैनिक मजूरी पर नियुक्ति कर अपना काम करती हैं ।

अतः सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इस क्षेत्र में कुछ कार्यवाही करे । मैं ने अपने विधेयक में यह सुझाव दिया है कि तीन महीने पश्चात्, चाहे कार्य की अवधि कितनी भी क्यों न हो, कर्मचारी को स्थायी बना दिया जाय । जिन स्थानों का कार्य स्थायी प्रकार का हो वहां काम करने वाले सभी व्यक्तियों को स्थायी बनाया जाय । मैं अनुरोध करता हूं कि कम से कम सरकार इस सम्बन्ध में कोई विधेयक प्रस्तुत करे जिस से कि उन नैमित्तिक श्रमिकों को जो स्थायी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, स्थायी बनाया जा सके ।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । वस्तुतः सरकार से इस सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछे गये हैं कि सरकार नैमित्तिक श्रमिकों को कब स्थायी बना रही है । इस संबंध में मैं पहिले सरकारी क्षेत्र के नैमित्तिक श्रमिकों पर प्रकाश डालना चाहता हूं ।

दुख का विषय है कि हाल की हड़ताल के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे में लगभग ४०० नियमित व्यक्तियों को नैमित्तिक बना दिया गया है । इस प्रकार उन्हें नियमित व्यक्तियों को मिलने वाली

---

†मूल अंग्रेजी में

सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय उपमंत्री उन का मामला रेलवे मंत्री तक पहुंचायेंगे ।

प्रतिरक्षा संस्थापनों में यद्यपि इस प्रकार के आदेश जारी किये जा चुके हैं कि यदि कोई कर्मचारी छः महीने से अधिक कार्य करेगा तो उसे स्थायी करार दिया जायेगा, परन्तु दुःख का विषय है कि कई संस्थानों में इस आदेश पर अमल नहीं किया जा रहा है और वहां दो दो वर्ष से काम करने वाले कर्मचारी भी अभी स्थायी नहीं बनाये गये हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम के लिये रखे गये श्रमिक भी वस्तुतः नैमित्तिक श्रमिक ही हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री इन्हें स्थायी बनाने की ओर कदम उठा रहे हैं, वस्तुतः हम भली भांति जानते हैं कि वर्तमान स्थिति में इस विभाग का कार्य बढ़ने की ही अधिक आशा है, अतः वर्तमान मजदूरों को निःसंकोच स्थायी बनाया जा सकता है, इस से यह होगा कि उन्हें भविष्य-निधि, उपदान आदि की सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं ।

अब मैं ठेके के अधीन काम करने वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । सरकार का यह कथन सही है कि एक परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर वहां हजारों व्यक्ति खाली हो जायेंगे उन्हें काम पर लगाये रखना संभव नहीं है, मेरा सुझाव है कि ऐसे श्रमिक जो इस प्रकार की परियोजनाओं में काम करते हैं, उन का एक पुंज बना दिया जाये और एक परियोजना में काम समाप्त होने पर उन्हें दूसरी परियोजना में भेज दिया जाये । इस प्रकार उन मजदूरों का रोजगार लगा रहेगा । इस का एक लाभ यह भी होगा कि उन्हें वे सामाजिक सुविधायें इत्यादि भी प्राप्त हो जायेंगी, जो उन्हें इस समय प्राप्त नहीं हैं यथा छुट्टियां, चिकित्सा, भविष्य निधि इत्यादि की सुविधा ।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग में लगभग ४० प्रतिशत ऐसे कर्मचारी हैं जोकि विभागीय छट्टी पद्धति पर कार्य कर रहे हैं । इन कर्मचारियों को भत्ते इत्यादि की कोई सुविधायें नहीं दी जाती हैं ।

केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों में गर्मियों की ऋतु में ३ महीने के लिये खस खस पर पानी डालने वाले लड़के रखे जाते हैं उन्हें केवल तीस रुपये प्रति माह दिये जाते हैं, जोकि न्यूनतम मजूरी से भी बहुत कम हैं । भत्ते इत्यादि का उन के मामले में सवाल ही नहीं पैदा होता है, मैं माननीय उपमंत्री से यह निवेदन करता हूं कि वे उन की ओर ध्यान देवें ।

अब मैं बदली मजदूरों को लेता हूं । इन को कपड़ा मिलों में महीने में पांच दिन या सप्ताह में केवल दो दिन काम मिलता है । माननीय मंत्री को इन की ओर ध्यान देना चाहिये ।

जहां तक मकानों के निर्माण में लगे हुए मजदूरों का संबंध है, जिन का काम कुछ समय बाद समाप्त हो जायेगा, उन के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सरकार एक सूची बना लेवे और आवश्यकता पड़ने पर उस सूची से मजदूरों को अन्यत्र काम दिया जाय. इस प्रकार उन का रोजगार टूटने नहीं पावेगा ।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं यह एक व्यापक और गम्भीर बुराई है । मैं यह अनुभव करता हूं कि इस का उपचार करना कठिन है तथापि श्री घोषाल ने इस के निराकरण के लिये कुछ उपाय रखे हैं । मेरे विचार से यह उपाय उतने प्रभावशाली सिद्ध नहीं होंगे जितने उपायों की इस क्षेत्र में आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मेलकोटे]

नैमित्तिक श्रमिक पद्धति की कई हानियां हैं । इस से श्रमिकों का शोषण होता है । भारत जैसे देश में जहां कि बेकारी बहुत अधिक है शोषण की गुंजायश बहुत अधिक है । इस के अतिरिक्त नैमित्तिक श्रमिक कभी भी स्थायी नहीं हो सकते हैं । उन के रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं रहती है । उन्हें उन सुविधाओं से वंचित रखा जाता है जोकि स्थायी श्रमिकों या कर्मचारियों को प्राप्त रहते हैं । सरकारी क्षेत्र में इन्हें कई नामों से रखा जाता है, चाहे आप उन्हें काम के लिये रखे गये श्रमिक कहें या अतिरिक्त अस्थायी या नैमित्तिक ; वस्तुतः ये सभी श्रमिकों को उन सुविधाओं से वंचित रखा जाता है जोकि किसी स्थायी कर्मचारी को प्राप्त होते हैं ।

सरकार को इस समस्या का पता है । वह इस ओर कुछ कार्य करने का प्रयास भी कर रही है, तथापि अभी तक इस संबंध में बहुत कम कार्य किया गया है । मेरे विचार से उन्हें वे सभी सुविधायें और भत्ते इत्यादि दिये जायें जो कि एक स्थायी कर्मचारी को प्राप्त होते हैं ।

श्री घोषाल ने अपने विधेयक के खंड ४ में यह उपबंध किया है कि इस अधिनियम के लागू होने के दिन जो भी श्रमिक तीन महीने की अवधि पूर्ण कर लेगा वह स्थायी मान लिया जाये । मेरे विचार से यद्यपि हम सब यही बात चाहते हैं तथापि प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण ऐसा करना संभव नहीं होगा, इसके स्थान पर मैं एक संशोधन रखना चाहता हूं, वह यह है कि तीन महीने की अवधि समाप्त करने के पशचत् उन्हें वे सभी सुविधायें प्रदान की जायें जो एक स्थायी कर्मचारी को प्राप्त होती हैं । मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये और इस विधेयक को पारित किया जाये ।

†**श्री मू० चं० जैन** (कैथल) : मैं श्री घोषाल को इस बात के लिय बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक के द्वारा देश का ध्यान एक गम्भीर समस्या की ओर खींचा है, मैं पहिले भाषणकर्त्ता की इस बात से सहमत हूं कि विधेयक के उपबंध इस संबंध में पर्याप्त नहीं हैं ।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि नैमित्तिक श्रमिक पद्धति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है । अतः इस समस्या को जितने जल्दी समाप्त कर दिया जायेगा उतना ही अच्छा होगा ।

नैमित्तिक श्रमिक दो प्रकार के होते हैं । एक तो वह जो कि वर्षों से किसी एक काम को कर रहे हैं और उनका काम आगे भी अनिश्चित काल तक इसी प्रकार चलता जायेगा, ऐसे श्रमिकों को आसानी से स्थायी बनाया जा सकता है, चाहे ये लोग गैर-सरकारी कारखानों में काम करते हैं या कि लोक निर्माण विभाग इत्यादि सरकारी विभागों में काम करते हैं ।

दूसरे वे लोग हैं जो कि सरकारी विभागों या गैर-सरकारी कारखानों में केवल कुछ ही दिन काम करते हैं । उनको सहायता देना बहुत कठिन है, तथापि मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे पहिले वर्ग के लिये कुछ ठोस कार्य अवश्य करें ।

निःसंदेह इस विधेयक की शब्दावलि में कई त्रुटियां हैं और इसमें पर्याप्त उपचार भी नहीं किया गया है, अतः इसे इस विधेयक के वर्तमान रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, तो भी मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस समस्या की गम्भीरता पर विचार करें और इस दिशा में कुछ ठोस कार्यवाही करने की कृपा करें। मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि ऐसे श्रमिक जिनका कार्य स्थायी

†मूल अंग्रेजी में

प्रकार का है, किन्तु जो वर्षों से नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें स्थायी बनाने के ठोस कदम उठाये जायें ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : सभापति महोदय, इस विधेयक की आत्मा बहुत सुन्दर है लेकिन काया उसकी ठीक नहीं है । सामायिक श्रमिकों की जो परिभाषा की गई है वह परिभाषा व्यापक नहीं है और वह संकुचित है । सामायिक श्रमिकों में और इंडस्ट्रीज में जो ठेके पर काम करते हैं, उनमें बड़ा भारी अन्तर है । जैसे कि एक लेबर है कोई एक श्रमिक ग्रुप है, जिसको कि ३, ४ या ५ महीने के ठेके पर सर्विस में ले लिया जाता है तो इस बिल के अनुसार अगर वह आदमी तीन महीने से ज्यादा काम करता है तो वह सामायिक श्रमिक में आ जायेगा । इस वास्ते इस विधेयक में यह सबसे बड़ा दोष है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इंडस्ट्रीज का सम्बन्ध है और किन्हीं इंडस्ट्रीज के लिए यह विधेयक यहां पर उपस्थित किया गया है जैसे कि धारा ३ में संकेत मिलता है । उस के अनुसार जैसे कि कौटेन मिल हैं, स्पिनर्स हैं, वीवर्स हैं, ३, ४, ६ या ७ महीने के वास्ते रक्खे जाते हैं लेकिन उनको वह सुविधाएं प्राप्त नहीं होतीं जो सुविधाएं कि स्थाई श्रमिकों को प्राप्त होती हैं । अगर उसका हाथ टूट जाय तो उसको स्थायी श्रमिक की भांति सुविधा और राहत नहीं दी जाती है । ऐक्सीडेंट की हालत में उसको वह सुविधा नहीं मिलती है । स्पिनर्स और वीवर्स के अलावा प्रैसों में कम्पोजिटर्स होते हैं और उनको ३, ४ महीने के वास्ते काम पर लगा लिया जाता है और अगर बाद में आपस में मेल नहीं खाया, पटरी नहीं बैठी तो उसका पत्ता काट दिया । मैं चाहता हूं कि इस तरह की चीज दूर होनी चाहिए ।

एक उदाहरण मैं और दूं और वह रेलवेज का है । रेलवे की पटरियों पर काम करने वाले काफी मजदूर होते हैं । एक एक, दो दो और तीन तीन वर्ष तक वह रेलवे की पटरियों पर काम करते हैं । कंकड़ उठाते हैं, ढोते हैं और फेंकते हैं लकिन उन बेचारों को कैजुएल लेबरर्स की तरह से ट्रीट किया जाता है और उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है । स वास्ते मैं अपने श्रम मंत्री महोदय से जो कि अपने जीवन के प्रारम्भ काल से ही लेबर में दिलचस्पी रखते हैं और सदैव मजदूरों की बहबूदी के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को चाहे वे स्वीकार करें या न करें लेकिन एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि यह कैजुएल लेबरर्स के नाम पर इंडस्ट्रीज में, रेलवेज़ में और दूसरे उद्योग धंधों में बड़ा अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को रोकने का कोई न कोई प्रबन्ध होना चाहिए ।

मैं समझता हूं कि श्री अरविंद घोषाल ने आज सदन के समक्ष जो विधेयक विचारार्थ पेश किया है उसके द्वारा सारे भारतवर्ष का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित हो गया है । केजुएल लेबरर्स के नाम पर आज जो हमारे बेचारे मजदूर और श्रमिकों पर अन्याय हो रहा है उसको रोकना चाहिए । इस वास्ते मैं इस विधेयक की आत्मा और उसके भाव का तो समर्थन करता हूं । लेकिन उसके साथ ही यह भी कह देना चाहता हूं कि उसकी काया ठीक नहीं है ।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : यह समस्या बहुत व्यापक और बहुत बड़ी है । यह गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में नियोजन का एक अंग बन गयी है । यह दुख की बात है कि १९४७ से यह पद्धति सरकारी क्षेत्र का एक स्थायी अंग बन गयी है । इसके पूर्व स्थायी प्रकार के कामों के लिये नैमित्तिक श्रमिक नहीं रखे जाते थे, किन्तु हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र की देखा देखी अब गैर-सरकारी क्षेत्र में भी स्थायी कामों के लिये भी नैमित्तिक श्रमिक रखे जाने लगे हैं । सरकारी

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री वारियर]

क्षेत्र में रेलवे इस समय सब से बड़ी नियोजक है। रेलवे में दो लाख से अधिक नैमित्तिक श्रमिक काम कर रहे हैं। इनको ३० जून और ३१ दिसम्बर के रोज काम छोड़ देने को कहा जाता है। इस प्रकार इन्हें नैमित्तिक ही रखा जाता है यद्यपि वे वर्षों से एक ही काम कर रहे हैं, उन्हें अस्थायी मजदूरों की मजूरी या सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। उनकी मजूरी यद्यपि स्थान विशेष के अनुसार घट या बढ़ सकती है तथापि उन्हें कभी भी ३५ या ४० रुपये से अधिक नहीं दिया जाता है।

गोदी कर्मचारियों का भी वही हाल है। कोचीन में दो या तीन हजार कर्मचारी हैं जो कि पिछले कई वर्षों से एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नैमित्तिक ही रखा गया है इस प्रकार उन्हें अस्थायी कर्मचारियों को प्राप्त सुविधाओं से वंचित रखा जाता है।

†**श्री सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रखें।

इस के पश्चात् लोक सभा, सोमवार, २८ नवम्बर, १९६०/७ अग्रहायण १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९६०

४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		११५३–७५
तारांकित प्रश्न संख्या		
४५३	बिहार में गन्धक माक्षीक (सल्फर पाइराइट्स) की खोज	११५३–५६
४५५	गोआ के लिये स्थल मार्ग .	११५६–५८
४५६	उत्तर प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को छूट .	११५८-५९
४५८	कोयला क्षेत्र भरती संगठन	११५९-६०
४५९	ट्रांजिस्टर रेडियो . .	११६०–६२
४६०	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	११६२–६५
४६१	सरकारी क्वार्टर देने वाली समिति . . .	११६५-६६
४६२	संयुक्त राष्ट्र संघ में गोआ के बारे में चर्चा . .	११६६–६९
४६३	एक्स-रे उपकरण	११६९-७०
४६४	सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड .	११७०-७१
४६५	निर्यात योग्य वस्तुओं का उपभोग . .	११७२
४८२	निर्यात के लिये राजसहायता . . .	११७२
४९१	निर्यात की वृद्धि	११७२–७४
४६६	आण्विक संस्थापनाओं पर नियंत्रण और उनका निरीक्षण .	११७४–७५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	११७६–१२१८
तारांकित प्रश्न संख्या		
४५४	माइकानाइट	११७६
४५७	सरकारी उपक्रम	११७६-७७
४६७	राज्यों को वित्तीय सहायता	११७७-७८
४६८	राज्य-उद्यम . .	११७८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

४६६ अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार ११७८–७९
४७० नारियल जटा उद्योग ११७९
४७१ खनिज पदार्थों की खोज ११७९–८०
४७२ अणु शक्ति केन्द्र ११८०–८१
४७३ आकाशवाणी के नये स्टेशन ११८१
४७४ आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकर . . . ११८१–८२
४७५ थाइलैंड में भारतीयों पर वीसा सम्बन्धी प्रतिबन्ध . . ११८२
४७६ तार-प्रसारण परियोजना ११८२–८३
४७७ हिन्द महासागर का सर्वेक्षण ११८३
४७८ छोटे पैमाने के उद्योग ११८३
४७९ अफ्रीकी देश छोड़ने वाले भारतीय . . ११८४
४८० उत्तर प्रदेश में उर्वरक का कारखाना . . . ११८४
४८१ औद्योगिक प्रक्रिया उपकरण ११८४–८५
४८३ भारतीय बाजारों में विदेशी माल . . . ११८५
४८४ चीनी सेना को चीज़ें पहुंचाने वाले भारतीय व्यापारी . ११८५
४८५ मद्रास में अस्पताल . . . ११८५–८६
४८६ आसाम राइफल्स ११८६
४८७ दिल्ली में भूमिगत जल की सतह . . . ११८६–८७
४८८ सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी ११८७
४८९ पाकिस्तान से प्रत्यर्पण संधि ११८७
४९० घड़ियों का निर्माण ११८७–८८
४९२ अलार्म घड़ियां . . . ११८८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७७९ तिब्बती शरणार्थी ११८८–८९
७८० ठेके के मजदूरों सम्बन्धी सर्वेक्षण . ११८९
७८१ पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय . . ११८९
७८२ मोटर गाड़ियों का उत्पादन . ११९०
७८३ मोटर साइकल और स्कूटर . . . ११९०–९१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७८४	बॉल और रोलर बेअरिंग्ज	११९१–९२
७८५	बिजली से चलने वाले पम्प .	११९२
७८६	गोमांस और गाय की खालों का निर्यात . .	११९३
७८७	महाराष्ट्र में लघु उद्योग . . .	११९३–९४
७८८	महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित घटनाओं के रेकार्ड तैयार करना	११९४
७८९	आइसोटोप	११९४
७९०	राजस्थान में लघु उद्योग . .	११९५
७९१	लंका से भारत को प्रव्रजन . .	११९५
७९२	"वक्फ़" सम्पत्ति को छोड़ना .	११९५
७९३	उत्तर प्रदेश में भारत सेवक समाज . . .	११९५–९६
७९४	चीन के लिये पारपत्र . . .	११९६
७९५	उड़ीसा में भारत सेवक समाज . . .	११९६–९७
७९६	संयुक्त राष्ट्र संगठन के लिये तिब्बती प्रतिनिधि-मंडल .	११९७
७९७	विस्थापित व्यक्तियों को ऋण . . .	११९७
७९८	ओखला औद्योगिक बस्ती . .	११९७–९८
७९९	ट्रैक्टर	११९८
८००	विदेशी द्वारा एक कार का विक्रय . . .	११९८–९९
८०१	भिखमंगे	११९९
८०२	सिंचाई सम्बन्धी निर्माण-कार्य .	११९९–१२००
८०३	फ़िल्म प्रोडक्शन ब्यूरो . . .	१२००
८०४	पंजाब में निष्क्राम्य भूमि का नीलाम . . .	१२००–०१
८०५	पाकिस्तान में भारतीय सीमेंट फैक्टरी	१२०१
८०६	दण्डकारण्य योजना के अन्तर्गत बांध . . .	१२०१
८०७	उत्तर प्रदेश में छपाई और लिखने के कागज के कारखाने .	१२०१–०२
८०८	क्रेप सोल रबर का निर्यात . . .	१२०२
८०९	मूद्रण मितव्ययता समिति का प्रतिवेदन .	१२०२–०३
८१०	मैंगनीज अयस्क का निर्यात .	१२०३
८११	निर्यात संवर्द्धन . .	१२०३
८१२	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग .	१२०३–०४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८१३	त्रिपुरा में अस्पताल का निर्माण	१२०४
८१४	नागा विद्रोही	१२०४–०५
८१५	कहवा	१२०५
८१६	अखबारी कागज का कोटा	१२०५–०६
८१७	भारी मशीनी औजार संयंत्र	१२०६–०७
८१८	कृषि मूल्यों पर मजूरी का प्रभाव	१२०७
८१९	शिल्प संग्रहालय	१२०७
८२०	अभ्रक की ईंटें	१२०७
८२१	सरकारी उपक्रमों में नगर प्रशासन	१२०८
८२२	बॉन में भारतीय राजदूतावास	१२०८
८२३	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम	१२०८
८२४	सीमेंट संयंत्र	१२०९
८२५	दूध का पावडर	१२०९–१०
८२६	कांगड़ा में सहकारी चाय कारखाना	१२१०
८२७	इंडियन अल्यूमिनियम कम्पनी	१२१०
८२८	"प्योर झरिया कोलियरी" में आग लगना	१२११
८२९	कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में जापानी प्रतिनिधि मंडल	१२११
८३०	सिंचाई परियोजनायें	१२११–१२
८३१	पालमपुर में चाय बागान	१२१२–१३
८३२	ब्रिटेन में फिजो द्वारा आन्दोलन	१२१३
८३३	रबड़ का मूल्य	१२१३
८३४	केरल में औद्योगिक बस्तियां	१२१४
८३५	रबड़ के पौधों का पुनारोपण	१२१४
८३६	नमक के उपोत्पाद	१२१४–१५
८३७	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्मिकसंघ	१२१५
८३८	दांतों सम्बन्धी वस्तुओं का आयात	१२१६
८३९	आकाशवाणी, कटक	१२१६–१७
८४०	हथकरघा बुनकर	१२१७–१८
८४१	नागा विद्रोही	१२१८
८४२	राजस्थान का औद्योगिक सर्वेक्षण	१२१८
८४३	नेताजी सुभाष बोस की पुत्री की भारत यात्रा	१२१८

विषय पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव २२१९–२०

अध्यक्ष महोदय ने आसनसोल के निकट माडर्न सतग्राम कोयला खान में हाल में हुए उपद्रवों के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना सर्वश्री स० मो० बनर्जी और तंगामणि ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १२२०–२१

(१) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ५ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १२९१ ।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३२६ ।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अध्ययन अवकाश नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३२७ ।

(२) भारत में कम कीमत की कार बनाने के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति के बारे में दिनांक २० अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या ए० ई० एण्ड० १(९०)/६० की एक प्रति ।

(३) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५८-५९ के लिये प्रागा टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १२२१–२३

श्री कोडियान ने मूंगफली के तेल का निर्यात करने वालों को नारियल के तेल और गोले का आयात करने की अनुमति देने की सरकार की नीति से उत्पन्न होने वाली स्थिति की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा ।

विधेयक—विचाराधीन . . . . . १२२४—३५

समवाय (संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, खंडवार चर्चा जारी रही । खंडवार चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बधी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत १२३५

बहत्तरवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . . १२३५

(१) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९६० (नये अध्याय ५क का रखा जाना) [श्री त० ब० विट्ठल राव का]

(२) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना) [श्री त० ब० विट्ठल राव का]

(३) धर्मार्थ न्यास विधेयक, १९६० [श्री राम कृष्ण गुप्त का]

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—वापस लिया गया . . . १२३६—४८

श्री झूलन सिंह ने प्रस्ताव किया कि पशु-खाद्य के निर्यात पर प्रतिबन्ध विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाये और वाद-विवाद का उत्तर भी दिया । विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन . . . १२४९—५४

श्री अरविन्द घोषाल ने प्रस्ताव किया कि नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, २८ नवम्बर, १९६०/७ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि—

समवाय (संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, अग्रेतर खंडवार चर्चा और विधेयक का पारित किया जाना ।